राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् बैठक, सोमवार, दिनांक १५ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ११-१४ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४२

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ।

श्री हरिकृष्ण व्यास

(अनुपस्थित । यह प्रश्नोत्तर आगे लिये गये)

प्रश्न संख्या ४३

रावराजा श्री सरदारसिंह

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—यदि आप कहें तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष—शायद वे आ ही जायं ।

प्रश्न संख्या ४४

श्री लक्ष्मण हिरात

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५

श्री एच० के० व्यास

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६

श्री भैरूंसिंह (वि. स. १६)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७

श्री एच० के० व्यास

(अनुपस्थित)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न संख्या ४८

श्री भैरूसिंह (नि. स. १६)
(अनुपस्थित)
श्री चांदमल मेहता

प्रश्न संख्या ४९

जनवरी १९५६ के पश्चात् तहसील परबतसर में लगान के अतिरिक्त ली जाने वाली लागें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील परबतसर में लगान के अलावा किसानों से क्या क्या लागें १ जनवरी, १९५६ के बाद वसूल की गई ?

(२) लागें वसूल नहीं करने के सम्बन्ध में कब कब राजस्व विभाग द्वारा आज्ञा दी गई और उसके बाद भी किन किन ग्रामों में इस प्रकार की लागें वसूल की गई ?

(३) उक्त लागें वसूल करने में किन किन अधिकारियों का हाथ रहा और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) १ जनवरी, १९५६ के पश्चात् तहसील परबतसर में निम्नलिखित लागें लगान के अलावा और वसूल की गई—

(१) खरडा

(२) घासमारी

(३) सिवाय

(२) लागें वसूल नहीं करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक ५-४-५६ एवं ९-६-५६ को आज्ञाएं प्रचलित की गई।

(३) आज्ञाएं होने के पश्चात् कोई लागबाग वसूल नहीं की गई।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आज्ञाएं होने के बाद भी लागें वसूल करने की वजह से माननीय राजस्व मंत्री के पास कुछ प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रार्थना-पत्र आये होंगे। मगर मेरी सूचना यह है कि जब आज्ञा जारी होगई तो उसके बाद कोई लागें वसूल नहीं की गई हैं।

Page No 3

श्री मेहता—क्या यह सही है कि चावड़ा ग्राम के लोगों ने राजस्व मंत्री महोदय के पास प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे कि मंत्री महोदय की लाग बंद करने की आज्ञाएं होने के बाद भी लागें वसूल की जारही हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि इस तरह के प्रार्थना-पत्र आये होंगे, मगर लागें उसके बाद वसूल नहीं की गई, ऐसी मेरी सूचना है।

श्री मेहता—मैं आपके इस जवाब को चेलेञ्ज करता हूं। क्या आप यह जांच करवाने को तैयार हैं कि आज्ञा देने के बाद लागें वसूल नहीं हुई हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप डाइरेक्ट प्रश्न पूछिये कि फलां गांव में फलां आदमी से वसूल की गई है। एक जिले में कई गांव होते हैं यह पता नहीं लग सकता है कि कहां वसूल की गई है। इस तहसील में जिस तारीख से यानी ५-४-५६ एवं ९-६-५६ से जो आज्ञाएं दी गई थीं उसके बाद में कोई लाग वसूल नहीं की गई। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक बात बताते हैं तो जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री मेहता—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद भी लागें वसूल की गई हैं और मैं स्वयं प्रार्थना-पत्र लेकर आया था कि आपके आदेश नहीं माने जा रहे हैं तो आपने फिर आदेश दिया कि लागें वसूल नहीं की जाय। क्या आप मेरे इस चेलेन्ज को स्वीकार करने को तैयार हैं और इस बात की जांच करवाने को तैयार हैं कि आदेश देने के बाद कोई लाग वसूल नहीं की गई?

श्री व्यास—मैंने अर्ज किया कि ५-४-५६ को आज्ञा जारी की गई थी। उसके बाद ९-६-५६ को दुबारा आज्ञा जारी की गई थी। जब तहसील से दरयाफ्त किया गया कि इसकी खिलाफवर्ज़ी हो रही है क्या, तो उनका जवाब आया कि नहीं हो रही है। यदि किसी गांव में किसी से वसूल हुई है तो आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताएं तो जांच करवाऊंगा।

श्री श्रीदास गोयल—यदि खिलाफावर्ज़ी हुई है तो जांच के बाद मन्त्री महोदय उन अधिकारियों को कठोर दन्ड देंगे?

श्री अध्यक्ष—बताइये कि कहां खिलाफवर्जी हुई है तो उसकी जांच करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, पोजीशन यह है कि पहले प्रार्थना-पत्र दिया उस पर आदेश हुआ, दुबारा लिखा गया कि खिलाफवर्ज़ी की गई है क्या तो उसका जवाब आया कि खिलाफवर्ज़ी नहीं हुई और एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसकी खिलाफवर्ज़ी हुई है तो यह एक ऐसा अहम मसला है कि जिसकी जानकारी होना निहायत जरूरी है। तो इसकी अच्छी तरह से पूछताछ होना जरूरी है। उसके बाद में अवज्ञा करने वाले को दन्ड देना चाहिये नहीं तो डिसिप्लिन क्या रहता है? यह इससे बहुत सम्बन्धित बात है, इसका जवाब देना चाहिये।

श्री व्यास—आप जानकारी कराइये कि कहां, किस गांव में, किस आदमी के साथ हुक्म की खिलाफवर्ज़ी हुई है। अगर खिलाफवर्ज़ी पाई जायगी तो उनको सज़ा मिलेगी।

Page No 4

श्री मेहता—खिलाफवर्जी की गई तभी तो एक प्रार्थना-पत्र देने के बाद दुबारा प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। उस पर फिर आदेश दिये गये, लेकिन उसके पहले यह नहीं बताया गया कि इस तरह की जांच सम्बन्धित व्यक्तियों के समक्ष की गई जिन्होंने कि यह प्रार्थना-पत्र पेश किया था कि आज्ञा होने के बावजूद लागें वसूल की जा रही हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—लागबागें तहसीलों में वसूल की जाती हैं। जब तहसील के अधिकारी यह कहते हैं कि आज्ञा होने के बाद कोई लागबाग वसूल नहीं की गई तो वह ठीक है। कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स हो तो बताइये कि फलां गांव में फलां आदमी से इस तरह से तहसीलदार या पटवारी या किसी अधिकारी ने लागबाग वसूल की तो जांच हो सकती है।

श्री मेहता—मैंने नाम बताया है। मैं स्वयं चावंडा ग्राम के लोगों को लेकर माननीय राजस्व मन्त्री महोदय के पास आया था और अर्ज किया था कि आपकी यह आज्ञा है कि लागें वसूल नहीं की जायं, उसके बाद भी वसूल की गई है। दुबारा मैं स्वयं प्रार्थना-पत्र लेकर उपस्थित हुआ था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय मेरे चेलेन्ज को स्वीकार करके जांच करवायेंगे कि लागें वसूल नहीं की गई? मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि वसूल की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि आप नाम वगैरह देकर ठीक इन्स्टान्स बतायेंगे तो जांच अवश्य की जायगी।

प्रश्न संख्या ५०

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५१

बिना नाम भूमि के पर्चे बनाने सम्बन्धी शासकीय आदेश

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) किन किन तहसीलों में बिना नाम भूमि के पर्चे बनाने के लिये सरकार द्वारा आदेश दिये गये हैं?

(ख) ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जहां अधिकतर बारानी जमीनों के सेटिलमेन्ट के वक्त पर्चे नहीं दिये गये?

(ग) उक्त तहसीलों में वर्षों से काश्त करने वाले किसानों को पर्चे नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) समस्त राजस्थान में।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—समस्त राजस्थान के लिये आदेश कब जारी किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये कानून है। कोई अनओक्यूपाइड लेन्ड है और कोई काश्तकार उस पर काश्त करता है तो उसको पर्चे बना दिये जाय।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह का कानून होते हुए भी पर्चे नहीं बनाये जा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कहीं काश्तकारों ने पर्चे नहीं लिये होंगे तो नहीं बनाये होंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय राजस्व मन्त्री ने यह निर्णय ले लिया है कि बिना नाम की भूमि पर जिस काश्तकार का कब्जा है उसको टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत पर्चे बना दिये जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, ऐसे आदेश दे दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—इस आदेश के अन्तर्गत पर्चे बनाने के कौन कौन अधिकारी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटिलमेन्ट के अन्तर्गत सेटिलमेन्ट कमिश्नर, वरना राजस्व अधिकारी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रकार के आदेश के पश्चात् भी कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी मुझे जानकारी नहीं है और न ही मेरे यह नोटिस में बात आयी है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे लोगों का जिनका बिना नाम की जमीन पर कब्जा है और जिनके पर्चे नहीं बनाये जा रहे हैं क्या इस प्रकार की कोई शिकायत माननीय राजस्व मन्त्री के पास पहुंची है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य ने खुद ने शिकायत की थी। एक सरकुलर जारी कर दिया गया और उसके पश्चात् कोई शिकायत मेरे सम्मुख नहीं आयी है।

श्री चांदमल मेहता—यह सरकुलर कब जारी किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब माननीय सदस्य ने शिकायत की।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि रूपनगर में इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी।

श्री चांदमल मेहता—यह कहा गया कि पर्चे बना दिये जायं तो फिर पर्चे नहीं बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मुझे यह मालूम नहीं है कि पर्चे नहीं बनाये गये। आप यह सूचना दे रहे हैं, मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२

पूर्व जयपुर राज्य के सचिवालय की पूर्व रेकॉर्ड शाखा के कर्मचारियों का इन्टीग्रेशन

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Chief Minister be pleased to state:—

(*a*) Has the integration of the employees of the former Records Section of the Secretariat of the former Jaipur Government been completed?

(*b*) If so, when and has it been given effect to?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री, श्री मुख्य मन्त्री की ओर से) —(*a*) Yes. (*b*) 1-8-54.

श्री एच० के० व्यास—When it was given effect to ?

श्री दामोदरलाल व्यास--I have not been able to understand your question.

श्री एच० के० व्यास—When given effect to, I am asking this ?

श्री दामोदरलाल व्यास--Provisional list. I have given date already, 1-8-54.

श्री अध्यक्ष—When was given effect to ?

श्री दामोदरलाल व्यास—After the provisional list the final list was prepared on 1-10-56.

श्री एच० के० व्यास—Has the prepared final list been given effect to ?

श्री दामोदरलाल व्यास--Yes.

श्री एच० के० व्यास—I want the date.

श्री दामोदरलाल व्यास—As I have already said 1-10-56, that was the final list.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछ रहा हूं कि यह जो लिस्ट बनी है उसके माफिक फिक्सेशन कर दिया गया है क्या ? यदि कर दिया गया है तो कौनसी तारीख को उसे लागू किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—फाइनल लिस्ट जब तैयार हो जाती है तो फिक्सेशन कम्प्लीट हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह लागू कर दिया गया है तो कौनसी तारीख से ?

श्री दामोदरलाल व्यास--१-१०-५६ से लागू कर दिया गया।

प्रश्न संख्या ५३

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री एच. के. व्यास।

प्रश्न संख्या ५४

शासकीय बन्दोबस्तयुक्त श्री गंगानगर मिल्स के ८५ स्थायी श्रमिकों को बिना नोटिस के सेवा मुक्त करना

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(*a*) Has the Management of the Government run Sugar Factory at Shri Ganganagar discharged some 85 workers who were permanent employees of the Mills without any notice and without justification?

(*b*) Is it a fact that the Government is still running that factory in the capacity of Managing Agents ?

(*c*) Is it a fact that the Management of the Factory is now recruiting fresh hands in place of the old employees?

(*d*) Is the Government aware that there are serious charges of nepotism being made in respect of this recruitment?

(*e*) Is it a fact that the Labour Department of the Government has termed this action of the Government Management of the Factory as irregular?

(*f*) Is it a fact that the Manager of the Factory has so far disregarded even the advice of the Labour Department ?

(*g*) What steps has the Government taken to set this serious irregularity right ?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मन्त्री)--(अ) नहीं।

(ब) स्थायी कर्मचारी कोई नहीं निकाला गया। जिनको निकाला गया उनको नियमानुसार नोटिस दिया गया।

(स) नहीं।

Page No 8

[श्री भोगीलाल पंड्या.]

(ड) हां, नये आदमी तब ही रखे जाते हैं जब कि पुराने नहीं मिलते।

(ई) नहीं।

(फ) नहीं, कार्यवाही चल रही है।

(ज) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास–मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, क्या ८५ आदमियों को डिस्चार्ज किया गया है, मैंने परमानेन्ट अथवा टेम्पोरेरी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ऐसी हालत में पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, उनका क्या तात्पर्य है; क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे?

श्री भोगीलाल पंड्या––परमानेन्ट शब्द था इसलिये मैंने परमानेन्ट कहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास––जो प्रिन्टेड क्वेश्चन है उसमें "परमानेन्ट एम्प्लोईज ओफ दी मिल्स" का जो उल्लेख है उसके पहले यह उल्लेख है कि "८५ वरकर्स वर डिस्चार्जड आर नोट' उसके बारे में उत्तर दिया कि "नहीं"। बाद में कहा कि परमानेन्ट कुछ लोगों को निकाला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले पार्ट का उत्तर नहीं दिया गया उसका क्या मतलब है ?

श्री भोगीलाल पंड्या––स्थायी को नहीं निकाला गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास––कितनों को निकाला गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या––ऐसे नियम है कि जब फैक्टरी का काम बन्द होता है तो सब को नोटिस दिया जाता है। करीब ४००-५०० को नोटिस दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास––क्या यह सही है कि पहले ३-४ वर्ष लगातार जब जब ओफ सीजन था तब तब लगातार लोगों को काम करने के लिये रखा गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या––जब जरूरत होती है तो रखते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास––मेरे प्रश्न का उत्तर चाहता हूं मैं। उसूलन क्या बात होती है उसके बारे में जानकारी की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की आवश्यकता है कि पिछले वर्षों में ओफ सीजन में कुछ लोगों को काम पर रखा गया था या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या––मैंने जवाब में साफ कहा कि आदमी रखे गये है. उन सब को नोटिस दिया गया था। उस फैक्टरी को चलाने का नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास––कितने दिन का नोटिस दिया गया था, क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ? कितने दिन का नोटिस दिया गया ? डेट ओफ डिस्चार्ज के बीच में और नोटिस देने के बीच में कितना फर्क था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियमानुसार जितने दिनों का देना चाहिये था उतने दिन का दे दिया गया था। नोटिस का मजमून मालूम करके मैं बता दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कितने दिन का नोटिस दिया गया ? I want to know if the Hon'ble Minister incharge is in position to reply what was the period of the notice given ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगले साल जरूरत नहीं है, इस तरह का नोटिस दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं नोटिस पीरियड की बात पूछ रहा हूं, मैं उस नोटिस की भाषा नहीं पूछ रहा हूं। उनकी अब उस फैक्ट्री में काम की आवश्यकता नहीं है उसके बीच में और जिस तारीख को इस प्रकार की सूचना देने का आदेश दिया गया था उसमें कितना फर्क था ?

श्री अध्यक्ष— The question is quite clear.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं तारीख मालूम करके बता दूंगा। जितने दिन पहले दिया जाना चाहिये ठीक ढंग से ही दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतावेंगे कि कितने दिन पहले देना चाहिये था?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप कानून देख लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस जानकारी का आधार क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस डिपार्टमेन्ट में कानून जानने वाले आदमी रहते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कुछ को चार दिन का नोटिस दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक तिहाई लोगों को ८ दिन का नोटिस दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—Why do you loose your chance for half an hour discussion. If you are not satisfied then put for half an hour discussion rather pressing for three days, four days, eight days.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not trying to press that. Neither he is in a position to say what are the facts. I have got a copy of the notice.

क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि जो लोग लगातार फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको निकालते वक्त अनएम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट देने पड़ते हैं ?

Page No 10

श्री भोगीलाल पंड्या--जो कुछ करना पड़ता है वह सारी कार्यवाही हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि उनको अनएम्प्लोयमेन्ट बेनिफिट दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या--आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि लेबर डिपार्टमेन्ट ने फैक्ट्री मैनेजर को यह कहा था कि उपरोक्त कार्य विधान के अंतर्गत उचित नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--लेबर कमिश्नर ने जो कुछ कहा उसको डिपार्टमेन्ट ने पूरा जवाब दे दिया है। कार्यवाही चल रही है, यह मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है, कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त लेबर ओफिसर ने फैक्ट्री मेनेजर को यह लिखा है, कि तुमने इस प्रकार लोगों को निकालने की जो कार्यवाही की है वह न्यायोचित नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसका जवाब दे दिया गया है कि जो कार्यवाही की गई है वह न्यायोचित की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं कार्यवाही के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हू कि क्या लेबर ओफिसर ने चिट्ठी लिखी या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--लिखी। मैंने कहा कि जवाब दे दिया गया और इसके आगे की बात भी और बता दी।

श्री अध्यक्ष--यही तो गड़बड़ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि कंसीलिएशन प्रोसिडिंग्ज लेबर डिपार्टमेन्ट द्वारा शुरू की गई है।

श्री भोगीलाल पंड्या--जो भी कार्यवाही की गई होगी वह उचित कार्यवाही होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कंसीलिएशन की कार्यवाही चालू की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं बता चुका हू कि लेबर ओफिसर या लेबर कमिश्नर ने जो कुछ कहा उसका जवाब दे दिया गया है, अंतिम निर्णय होगा तब वह भी बता दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--फिर आप यह कहिये कि you do not want to disclose that.

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने बताया है कि जवाब दे दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--No. The correspondence between the Labour Department and the Factory Manager is a different question, Sir. Under the Industrial Disputes Act there is something known as Conciliation Proceedings. I want to know whether Government is aware that Conciliation Proceedings have been commenced at any stage; if so it may be stated, otherwise you may contradict it.

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने आपको बताया पहले आपने जो प्रश्न पूछा है कि ८५ आदमियों को सूचना दी गई जिनके आपने नाम दिये थे उनमें से केवल ११ आदमियों के नाम का नोटिस निकला; इसलिये आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिये। जिनके नाम नोटिस निकला उनके नाम मेरे पास हैं।

श्री अध्यक्ष--कंसीलिएशन प्रोसिडिंग्ज पूरी हो चुकीं क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या--नहीं। हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि लेबर कमिश्नर ने कंसीलिएशन प्रोसिडिंग्ज का नोटिस यूनियन और फैक्ट्री मेनेजर को भेजा और इस महीने की १६ तारीख को प्रिलिमिनेरी पेशी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--आप यह सूचना दे रहे हैं। यदि आपके पास सूचना है तो आपको पूछना नहीं चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार के ध्यान में यह बात है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--सरकार के ध्यान में बात थी इसीलिये तो जवाब दिया गया।

प्रश्न संख्या ५५

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूंसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६

जनवरी, सन् १९५६ के अनाज और कपड़े के भावों के मुकाबिले में अभिवृद्धि एवं इस सम्बन्धी शासकीय कदम

श्री चांदमल मेहता--क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) एक जनवरी १९५६ के मुकाबिले में वर्तमान समय में अनाज व कपड़े के भावों में राजस्थान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और उसके क्या क्या कारण हैं ?

(ख) अनाज के बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—१ जनवरी, १९५६ के मुकाबिले में वर्तमान समय में अनाज व कपड़े की दरों में राजस्थान में, अनुमानतः कपड़े में १० से २५ प्रतिशत एवं अनाज में २५ से ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है। दरों में वृद्धि के कारण निम्न हैं:—

(१) कपड़ा : कोटन की कीमत तथा कर में ड्यूटी वृद्धि।

(२) ग्रेन : वर्षा की शुरू में अतिवृष्टि तथा बाद में अनावृष्टि से फसल के नष्ट होने से अनाज की दरों में वृद्धि हुई।

(ख) अनाज की बढ़ती हुई दरों को रोकने के लिये सरकार द्वारा विदेशी अनाज आयात किया जा रहा है जो प्रत्येक जिले में भेजा जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अब तक कितना विदेशी अनाज आयात किया जा चुका है?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी अनाज बाहर से आया है। जयपुर में १५००० मन के करीब आया है। झालावाड़ और कोटा में भी आया है। यह प्रश्न आपने पहले पूछा नहीं था, नहीं तो पूरी जानकारी करके कि अब तक कितना अनाज आया है इसकी जानकारी दे देता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अनाज में आयात की मात्रा कम होने से भावों की वृद्धि नहीं रुक पाई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका यही इलाज है कि लोगों को आयात का अनाज दिया जावे ताकि इसका असर दूसरों पर चलता रहे।

श्री चांदमल मेहता—कहां कहां सस्ते अनाज की व्यवस्था की जा चुकी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया था कि जयपुर, झालावाड़, कोटा आदि में अनाज का आयात हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो व्यवस्था की गई है वह अपर्याप्त है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी जानकारी में यह बात नहीं आई है।

श्री चांदमल मेहता—जयपुर शहर में कितनी दुकानें खोली गई हैं?

श्री भोगीलालल पंड्या—यह प्रश्न यदि अलग से पूछेंगे तो जानकारी करके कि रोज कितनी दुकानें बढती हैं, बता दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जो दुकानें खोली गई हैं वे अपर्याप्त हैं और बढते हुए धान के भाव को रोकने में ना काफी हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। बाजार का हरएक आदमी यह जानता है कि धान का भाव कितना नीचा गया है।

Page No 13

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि धान का भाव कितना नीचा गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भाव बढ़ने की जानकारी नहीं है, घटने की जानकारी है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि जो दुकानें खुली हैं उनसे पूरा नहीं पड़ता और जहां मांग की गई है वहां नहीं खोली गई हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहली बार सुन रहा हूं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में मांग की गई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खाली मांग करने से ही नहीं हो जाता। कलेक्टर के पास रुपये जमा कराने पड़ते हैं, फिर तुरन्त अनाज आ जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कलेक्टर के पास रुपये जमा कराने के बाद भी मांग पूरी नहीं की गई ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी जानकारी में नहीं है कि मांग आई हो और नहीं खुले ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार अधिक अनाज की व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जरूर ।

श्री मानसिंह महार—क्या क्या अनाज जयपुर में मंगाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं. गेहूं और चावल।

श्री मानसिंह महार—और के बारे में क्या नीति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—और अनाज की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

श्री मानसिंह महार—गेहूं किस भाव आता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१४ रु० से १४ रु० १२ आ० स्टेशन पर पड़ता है । वहां से जितना दूर ले जाया जायगा उसका खर्चा और पड़ेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस अनाज की अवेलेबिलिटी की सूचना व्यापारियों को है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री हिम्मतसिंह—यह गेहूं कितना पुराना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नया आया है।

Page No 14

राज श्री हिम्मतसिंह—राजस्थान में नया आया है, लेकिन बाहर कितना पुराना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बाहर से पुराना नहीं आया है। मैंने इसकी रोटी खाकर देखी है, पुराना नहीं मालूम पडता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में कितनी शोप्स अवेलेबिल हैं, इसकी सूचना आम तौर पर प्रकाशित की है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपका प्रश्न समझा नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस क्षेत्र के लिये कितनी दुकानें एलोट करके रखी हैं, इसकी सूचना क्या प्रकाशित करदी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो जिलाधीश हैं उनके पास सूचना भेज दी गई है। लोडिंग, अनलोडिंग, मुनाफा आदि के बारे में तय कर दिया गया है। जिनको मंगाना हो वे कलेक्टर के यहां रुपये जमा कराकर डायरेक्ट मंगा सकते हैं। कलेक्टर की देखरेख में अनाज अवेलेबिल होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि यह हिदायत करने के बावजूद भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—संभव है, ऐसा हुआ हो। इसकी जानकारी की जायगी और कलेक्टर से जवाब तलब किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार और अधिकारियों के पास जोधपुर के लोगों ने आज से २० दिन पहले रिप्रजेन्टेशन्स भेजे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे याद पड़ता है कि वहां के एक व्यापारी ने रुपये जमा कराये हैं और उनके पास अनाज पहुंचने वाला है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सही है कि सरकार की ओर से दुकान खोलने की मांग की गई थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी आवश्यकता होगी तो करेंगे। अभी व्यापारियों से ठीक ढंग से अनाज मिल सकता है तो हिसाब किताब के झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को यह मालूम है कि जोधपुर में गेहूं का भाव २० रु० मन है।

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इतना ऊंचा भाव होने से वहां के लोगों ने सामुहिक मांग की है कि जल्दी से जल्दी दुकानें खोली जायें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है। यदि वहां के व्यापारी नहीं मंगायेंगे तो दूसरे व्यापारी मंगाने के लिये तैयार हैं और जल्दी से जल्दी मंगाया जायगा। इसके अलावा गवर्नमेन्ट की तरफ से भी व्यवस्था हो रही है। उसमें कुछ समय और लगेगा।

श्री एच० के० व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि न तो किसी व्यापारी के जरिये और न सरकार के जरिये धान की व्यवस्था की गई है और न इनके जरिये एक भी दुकान में धान है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है वहां धान नहीं हो, पर कलेक्टर वहां व्यवस्था करेगा। अभी आप कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था नहीं है तो इस बारे में जानकारी हासिल करके वहां धान भेजने का प्रयत्न करूंगा।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह सूचना सरकार के पास है कि कलेक्टर आठ दिन के लिये दौरे में जा रहा था तो उसे कहा गया कि अनाज की व्यवस्था नहीं है, इस पर भी उसने कहा कि अभी मैं ८ दिन के लिये दौरे में जा रहा हूं, वापिस आकर इस पर विचार किया जायगा ?

श्री पंड्या—हो सकता है कलेक्टर के पास ऐसी सूचना हो, पर मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। अभी आप सूचना दे रहे हैं तो इसकी जानाकारी हासिल करके व्यवस्था की जायगी।

प्रश्न संख्या ५७

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना

प्रश्न संख्या ५८

राजस्थान में वर्तमान वर्ष में तकावी वितरण—विशेषतया भीलवाड़ा जिले में

श्री तेजमल बापना—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) चालू वर्ष में राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितनी कितनी तकावी एलोट की जाकर वितरित की गई है ?

(ब) भीलवाड़ा जिले में और विशेष कर भीलवाड़ा तहसील में कितनी तकावी दी गई ?

(स) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील में करीब एक लाख की दरख्वास्तें पेन्डिंग हैं और यह रकम समय पर नहीं मिलने से किसानों को बीज व बैल वगैरह के लिये बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

(द) क्या सरकार शीघ्र पर्याप्त मात्रा में रकम तकावी की व्यवस्था करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(अ) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ब) भीलवाड़ा जिले में ४०००० एक दफा और ५०००० एक दफा।

(स) जी हां। १४९००० की दरख्वास्तें पेश हुई। इस प्रकार की कोई कठिनाई इस वजह से नहीं हुई है।

(द) यथासंभव व्यवस्था की जा सकती है।

(लिखित प्रश्न एवं सूची अनुपलब्ध)

श्री तेजमल बापना—अभी फरमाया कि ५०००० एक दफा और ४०००० दूसरी दफा तो यह भीलवाड़ा तहसील के लिये ही है या भीलवाड़ा के सारे जिले के लिये?

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry ४० हजार और ५० हजार नहीं। एक दफा ९ हजार और दूसरी दफा (अश्रव्य)।

श्री बापना—१४९००० की दरख्वास्तें रखी हैं, उनको कब तक तकावी दी जायगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—दरख्वास्तें जो आती हैं उनमें यह देखा जाता है कि किसको कितनी आवश्यकता है और उसी हिसाब से निबटाया जा रहा है। कमिश्नर उदयपुर की एक लाख की मांग थी उनको ५० हजार और अलोट कर दिया और जगह भी आवश्यकता माफिक अलोट किया जायगा।

श्री बापना—किस तारीख को ये ५० हजार अलोट किये?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मानसिंह महार—तकावी किस बेसिस पर दी जाती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—तकावी मन्जूर होती है, उसको डिविजन वार पोपुलेशन बेसिस पर बांट दिया जाता है।

श्री मानसिंह—तो फिर जयपुर जिले में इतनी कम तकावी क्यों दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग से प्रश्न पूछिये, यह भीलवाड़ा का प्रश्न है।

श्री मानसिंह—टोंक जिले को इतनी अधिक तकावी देने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—टोंक जिले को कोई अधिक तकावी नहीं मिली है, बल्कि पोपुलेशन के लिहाज से कम मिली है।

श्री मानसिंह—जयपुर जिले के लिहाज से टोंक जिले की आबादी कम है फिर जयपुर जिले को इतनी कम आबादी क्यों दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरा यह बता दीजिये कि जयपुर जिले को कितनी तकावी दी गई है और टोंक जिले को कितनी आबादी दी गई है ?

(हंसी)

रावत श्री शम्भूसिंह—एडवाइजरी कमेटी में जो लोग रहते हैं उनमें एम. एल. एज. भी रहते हैं क्या उनकी इस बारे में राय ली जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां, वे अपने सुझाव दे सकते हैं और उस पर ध्यान जरूर दिया जाता है।

प्रश्न संख्या ५६

श्री अध्यक्ष—श्री माधोलाल खानपुरिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०

श्री नारायण चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६१

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में विभिन्न उद्योगों को दिया गया ऋण

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग व व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष में किन किन उद्योगों को कितना कितना ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया गया ?

(ख) ऐसे ऋण देने के कितने मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ?

(ग) सहकारी विभाग द्वारा कितने मामलों में ऋण देने की सिफारिश की गई ?

(घ) उक्त मामलों में से अभी तक कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(ङ) किशनगढ़ सब डिविजन की किन किन फर्म व सहकारी समितियों के ऋण देने के मामले सरकार के समक्ष कब से विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री)—(क) चालू वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों को स्वीकृत किये गये ऋण के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) १०२ पार्टीज के मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

(ग) सहकारी विभाग द्वारा २५ मामलों में ऋण देने की सिफारिश की गई है।

(घ) उक्त मामलों में १९ केसेज़ विचाराधीन हैं।

(ङ) कोई नहीं। २३ जून, सन् १९५६ ईस्वी से।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये) ।

श्री चांदमल मेहता—अन्तिम का जवाब क्या दिया ?

श्री पंड्या—कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—मैं माननीय मन्त्रीजी के जवाब को चेलेन्ज करता हूं । मैं अभी भी प्रमाण पेश कर सकता हूं।

श्री पंड्या—मैं माननीय मित्र को निवेदन करूंगा कि चेलेन्ज न दिया करें। प्रश्न सोच कर पूछा करें। आपने किशनगढ़ सब डिविजन का पूछा है ।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ सब डिविजन का है। क्या यह सही है कि किशनगढ डायर्स एन्ड प्रिन्टर्स कोओपरेटिव सोसायटी का बहुत दिनों से ऋण का मामला चल रहा है ?

श्री पंड्या—मैंने जो जवाब दिया है वह ठीक दिया है। मैंने कल फिर जानकारी कर ली है, ऐसा कोई केस बाकी नहीं। हो सकता है उसमें खानापूरी में खामी हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सोडा वाटर फैक्ट्री को ऋण देने का केस सरकार के विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विचाराधीन और बात है।

श्री चांदमल मेहता—विचाराधीन से आपका क्या मतलब ?

श्री पंड्या—अन्डर कन्सीडरेशन, जिन पर कार्यवाही की जा रही हो। आपने पूछा कि सहयोग समितियों के कितने मामले ऋण देने के बाकी हैं ?

श्री चांदमल मेहता—आप सवाल को अच्छी तरह पढ़ लेते तो ठीक रहता। इसमें लिखा है :—

"किशनगढ़ की किन किन फर्म व सहकारी समितियों के ऋण देने के मामले सरकार के समक्ष कब से विचाराधीन हैं ?"

श्री पंड्या—मैंने दोनों का जवाब दे दिया, 'कोई नहीं'।

श्री चांदमल मेहता—अभी जो विचाराधीन हैं वे कितने समय से हैं?

श्री पंड्या—मैंने उत्तर में बता दिया है कि २३ जून, सन् १९५६ से।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि २३ जून से पहले के मामले भी सरकार के पास विचाराधीन हैं?

श्री पंड्या—मैंने बताया कि सारे के सारे ४ लाख रुपये थे। २३ जून से पहले की मीटिंग हुई और उसमें जो कम्प्लीट केसेज़ आये उनको पूरा दे दिया गया। अब रुपया नहीं है, भारत सरकार से रुपया मांगा गया है, राजस्थान सरकार से भी मांग की गई है। २३ जून से पहले का कोई भी कम्प्लीट केस बिना रुपया दिये बाकी नहीं रहा है।

श्री चांदमल मेहता—नये केसेज़ को रुपया देने की मांग पूरी करने के लिये भारत सरकार से जो मांग की गई है वह रुपया कब तक मिल जायगा?

श्री पंड्या—आशा करते हैं जल्दी ही मिलेगा।

श्री चांदमल मेहता—छोटे उद्योगों के लिये कितने रुपये की मांग थी?

श्री पंड्या—४ लाख रुपये तो दे दिये गये, मांग और अधिक की थी।

श्री मेहता—अब और कितने मांगे हैं?

श्री पंड्या—१० लाख और मांगे हैं।

श्री मेहता—यह जो मांग की गई है इसका रुपया इस वर्ष के अन्त तक मिलने की उम्मीद है क्या?

श्री पंड्या—मैं इसी सिलसिले में दिल्ली गया, वहां से अच्छा आश्वासन मिला। यहां के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने भी आश्वासन दिया है। आशा है कि १०००००० रुपया मिलेगा और यह ३१ मार्च, १९५७ के पहले मिल जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ४ लाख रुपया छोटे उद्योगों के लिये मांगा गया था वह नाकाफी था और अब जो १० लाख रुपया मांगा गया है वह भी नाकाफी है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री नारायण चतुर्वेदी।

प्रश्न संख्या ६०

जयपुर जिले में अतिवृष्टि से फसलों के न होने के कारण क्षतिग्रस्त ग्राम एवं कृषकों को रियायत

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(क) जयपुर जिले के किन किन ग्रामों में अतिवृष्टि होने के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने के समाचार सरकार के पास आये हैं?

(ख) किन किन तहसीलों के काश्तकारों ने अपने यहां की फसल बर्बाद होने के कारण रियायत की दरख्वास्त दी है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जयपुर जिले की निम्नलिखित तहसीलों से हानि की सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं: जयपुर, चाकसू, आमेर, जमवा रामगढ़, दौसा, लालसोट, फागी और रूपनगर। गांववार ब्यौरा प्राप्त नहीं हो सका है।

(ख) दरख्वास्तें तो बहुत सी तहसीलों के काश्तकारों की प्राप्त हुई हैं। जब तक नक्शा नुकसान तैयार नहीं हो जावे और सही हालात मालूम नहीं हो सकते, किन्तु जहां बिना इसके भी सहायता देना आवश्यक समझा गया, वहां सहायता प्रदान की गई।

प्रश्न संख्या ६२

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३

श्री माधोलाल खानपुरिया।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६४

राजस्थान में इन्टर कालेज एवं उनमें वाणिज्य व विज्ञान कक्षाएं

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में इन्टर कालेज कहां कहां हैं और उनमें वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा कहां कहां दी जाती है ?

(२) चालू वर्ष में वाणिज्य और विज्ञान की नई क्लासें किस किस कॉलेज में खोली गई ?

(३) किशनगढ़ इन्टर कालेज में वाणिज्य और विज्ञान की क्लासें चालू नहीं करने के क्या क्या कारण हैं ?

Page No 21

श्री दामोदरलाल व्यास—(शिक्षा मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री) :—१. राजस्थान में इन्टर कालेज निम्न स्थानों पर खुले हुए हैं :—

१. राजमहल गर्ल्स कालेज, जोधपुर।
२. महारानी कालेज, कोटा।
३. इन्टर कालेज, बांसवाड़ा।
४. इन्टर कालेज, डीडवाना।
५. इन्टर कालेज, सिरोही।
६. इन्टर कालेज, टोंक।
७. इन्टर कालेज, बूंदी।
८. इन्टर कालेज, झालावाड़।
९. इन्टर कालेज, सरदारशहर।
१०. इन्टर कालेज, किशनगढ़।
११. इन्टर कालेज, दौसा।
१२. इन्टर कालेज, सीकर।
१३. एस. के. एन. जोबनेर।
१४. महारानी गर्ल्स इन्टर कालेज, उदयपुर।

उपरोक्त कालेजों में से निम्नलिखित कालेजों की इन्टर कक्षाओं में वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है :—

१. इन्टर कालेज, दौसा वाणिज्य।
२. इन्टर कालेज, झालावाड विज्ञान।
३. इन्टर कालेज, बूंदी वाणिज्य, विज्ञान।
४. इन्टर कालेज, बांसवाड़ा, विज्ञान।
५. इन्टर कालेज, सरदारशहर, विज्ञान।
६. इन्टर कालेज, सिरोही, वाणिज्य।
७. इन्टर कालेज, डीडवाना, वाणिज्य।

२. सिरोही इन्टर कालेज में विज्ञान।
टोंक इन्टर कालेज में वाणिज्य।

३. क्योंकि विश्व विद्यालय ने मान्यता नहीं दी थी। अब विज्ञान की क्लासें चालू करने की कार्यवाही जारी है।

श्री चांदमल मेहता—विश्वविद्यालय ने इसकी इजाजत नहीं दी, उसका क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसका कारण यही है कि उन्होंने वहां पर उनको उचित नहीं समझा।

Page No 22

श्री चांदमल मेहता—जो स्थान किशनगढ़ से कम महत्व के हैं वहां पर पहले से वाणिज्य और विज्ञान की क्लासें हैं तो फिर किशनगढ़ को उपयुक्त कैसे नहीं समझा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हर एक स्थान अपना अलग अलग महत्व रखता है ।

श्री चांदमल मेहता—कोटा और डीडवाना में वाणिज्य और विज्ञान कब खोला गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१९५६ में ।

श्री चांदमल मेहता—वहां पर खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि विश्वविद्यालय ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ इनसे कम महत्वपूर्ण स्थान है ? क्या वहां पर इन क्लासेज का होना जरूरी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टोंक में भी खोलना जरूरी था मगर विश्वविद्यालय ने इजाजत नहीं दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वक्त पर इसके लिये मांग नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मांग करने का प्रश्न नहीं है। युनिवर्सिटी को लिखा गया और उसने इसके लिये स्वीकृति नहीं दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के लिये २५ हजार रुपये सरकार से वाणिज्य और विज्ञान की क्लासेज के लिये मन्जूर हुए, वे भी लेप्स कर दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें।

श्री चन्दनमल—क्या विश्वविद्यालय ने इसके लिये विशेष कारण नहीं बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें।

श्री चांदमल मेहता—आप दर्याफ्त करके बतावें ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Information has been given that the University has not accorded sanction. What more is required ? Reasons are altogether different.

श्री चांदमल मेहता—यह साफ नहीं हुआ। एक ओर तो कुछ स्थानों पर खोल दिये गये और किशनगढ़ के लिये कहा जाता है कि स्वीकृति नहीं हुई और जब कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि इसके लिये मेरे पास जवाब नहीं है इसलिये इस प्रश्न को आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि यह डिस्क्रीशन विश्वविद्यालय का था। इसमें कोई गवर्नमेन्ट का दखल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—उन्होंने ऐसा किया तो किसी आधार पर किया होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर आप इसके लिये अलग से प्रश्न करें तो दरियाफ्त करके जवाब दिया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मैंने अपने प्रश्न में ही पूछा है कि इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यही कारण मैंने बताया कि विश्वविद्यालय से मन्जूरी नहीं हुई।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन कारणों से यह मन्जूरी नहीं हुई ?

श्री चन्दनमल—आपने फरमाया कि युनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं दी। इसको रिफ्यूज़ करते समय कुछ तो रीजन्सदिये होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं।

श्री चांदमल मेहता—आयन्दा वाणिज्य और विज्ञान की क्लासें खोलने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि इस साल भी लिखा गया और अगले साल भी लिखा जावेगा।

प्रश्न-संख्या ६५

चाकसू तहसील के विभिन्न ग्रामों के उपयुक्त चारा गाह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. तहसील चाकसू के किन किन गांवों की दरख्वास्तें उपयुक्त चारागाह की जमीन चाहने के सिलसिले में पेश हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—निम्नलिखित गांवों से उपयुक्त चरागाह के लिये दरख्वास्तें प्रस्तुत हुई:

तीतरिया, जीवनपुरा, निंगरिया, बींड पिनारपुर, यादगारपुरा, चन्दलाई, बाद चौहान, विनोद, लालपुरा, नीमोडिया।

ये प्रार्थना-पत्र जिलाधीश जयपुर के विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६

वर्तमान वर्ष के आरम्भ में नये खोले गये टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स तथा उनके खोलने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चालू वर्ष के आरम्भ में टीचर्स ट्रेनिंग सेन्टर कहां कहां चालू थे और कहां कहां नये खोले गये व उनके खोलने का आधार क्या माना गया ?

(२) नये ट्रेनिंग सेन्टर खोलने में बिल्डिंग्ज पर कहां कहां कितना कितना खर्चा करना पड़ा ?

(३) जयपुर जिले के अध्यापकों को कहां कहां ट्रेनिंग के लिये भेजा गया ?

(४) किशनगढ़ में ट्रेनिंग सेन्टर नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने का मुख्य आधार भवन की सुविधा मिलना है।

(२) चूरू के लिये १५००० रु०, शाहपुरा के लिये १५००० रु०, प्रतापनगर—उदयपुर के लिये १०००० रु०, कोटा के लिये २५००० रु०, बीकानेर के लिये ३५००० रु०, खेतड़ी के लिये ३०००० रु० की स्वीकृति दे दी गई है।

(३) सवाई माधोपुर, गोनेर तथा पावटा भेजे जाते हैं।

(४) किशनगढ़ जिला जयपुर का ही एक अंग है और जयपुर जिले में पहले से ही अध्यापकों के लिये पावटा, परूशरामद्वारा, गोनेर तथा जयपुर में तथा अध्यापिकाओं के लिये जयपुर में ट्रेनिंग सेन्टर्स खुले हुए हैं। इसलिये किशनगढ़ में नया ट्रेनिंग खोलना आवश्यक नहीं समझा गया।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, इस बात का जवाब नहीं मिला कि ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का आधार क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि आधार कुछ नहीं है, सुविधा यातायात की व मकानों वगैरह की देखी जाती है ?

श्री चांदमल मेहता—क्या किशनगढ़ में सुविधा कम है ? किशनगढ में क्या क्या असुविधाएं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने स्थान हैं उनको एक दूसरे से कम्पेअर नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—कहा यह गया है कि जहां पर पहले ट्रेनिंग स्कूल हैं वहां नहीं खोला। लेकिन यह पूछना चाहता हूं कि पहले जहां पर इस प्रकार के स्कूल्स थे वहां पर खोलने का क्या कारण है ?

Page No 25

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर खोले गये। किशनगढ़ में ऑलरेडी ट्रेनिंग स्कूलें हैं।

श्री चांदमल मेहता—उदयपुर में भी पहले से ट्रेनिंग स्कूलें चल रही हैं और भी फिर वहां पर अभी खोले गये तो क्या वजह है कि जयपुर में पहले चलते थे इसलिये वहां नहीं खोलें गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हमें सब बातें देखनी पड़ती हैं और इसके अलावा टीचर्स की सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि किशनगढ़ में क्या खास बात थी कि वहां पर खोला जाना चाहिये था। किशनगढ़ के समान और भी बहुत से शहर राजस्थान में हैं, हर एक शहर चाहे कि वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल खोला जावे तो यह कैसे पोसिबल हो सकता है ? सरकार अपनी सुविधा देख कर खोले।

श्री चांदमल मेहता—जयपुर जिले में पहले से ट्रेनिंग स्कूल खुला था और इसी कारण से किशनगढ़ में नहीं खोला गया तो फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में ट्रेनिंग स्कूल्स हैं तो फिर वहां पर क्यों खोला गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि ४ स्कूलें थीं।

श्री चांदमल मेहता—जयपुर जिले की जनसंख्या दूसरे जिलों की जनसंख्या से ज्यादा है और उस हिसाब से टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि चार हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह चार ट्रेनिंग स्कूल्स यहां की जनसंख्या को देखते हुए काफी नहीं है; उदयपुर जिले में इतने होते हुए भी खोले है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिये अलग से आप प्रश्न पूछेंगे तो बता दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—कोटा जिले में खोले गये तो फिर क्या वजह है कि किशनगढ़ में नहीं खोला गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं इसका साफ साफ जवाब दे चुका हूं। कोटा और इसका कोई कम्पेरिजन नहीं किया जा सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जहां पर मकानों की व्यवस्था नहीं है वहां पर ट्रेनिंग स्कूलें खोलने की व्यवस्था की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप जगह का नाम बतावें तो उसका जवाब दिया जा सकता है (अश्रव्य) का जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री चांदमल मेहता—आपने इसके लिये आधार क्या बनाया है, वह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—ये आधार पर ही बनाये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—ये सब सिफारिश के आधार पर बनाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६७

भीलवाड़ा जिले में विकास कार्यों हेतु इस वर्ष स्वीकृत धनराशि एवं अधूरे विकास कार्यों की समाप्ति

श्री शम्भूसिंह—क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–(क) भीलवाड़ा जिले में विकास कार्यों के लिये इस वर्ष कितनी रकम मंजूर हुई, किस कार्य हेतु कितनी कितनी दी गई और कहां से कितनी कितनी मांग और हैं ?

(ख) क्या मंजूर शुदा रकम जिले के विकास कार्यों के लिये नाकाफी रही जिससे जिला विकास समिति ने रकम और मांगी ?

(ग) यदि हां, तो यह रकम कब दी जायगी व अधूरे विकास कार्य कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष विकास कार्यों के लिये ७५,००० रु० स्वीकृत हुए हैं। रकम जो वितरित की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

कहां २ से और मांग है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। उपर्युक्त धनराशि के अलावा २५०० रु० मांडल आयुर्वेदिक औषधालय बनवाने के लिये स्वीकृत हुए हैं जो कि भारत सेवक समाज द्वारा बनाया जावेगा।

(ख) ८०,००० रु० मांगे थे।

(ग) हाल ही में इस रकम के देने की कोई संभावना नहीं है पर परिस्थिति देखने पर यदि बचत हुई तो विचार किया जावेगा। जो कार्य मंजूर शुदा रकम से कराये जा रहे हैं वे साल के अन्त तक पूरे हो जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री शम्भूसिंह—परिस्थिति किस आधार पर मानी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दरख्वास्तें हर जिले से लाखों रुपयों की आती हैं। गुंजाइश होती है तो दे दिया जाता है।

श्री शम्भूसिंह—७५ हजार की सेंक्शन थी, २५०० ज्यादा दिये गये। यह बचत किसमें से की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि उसी फंड में से दिये गये।

रावत श्री शम्भूसिंह—क्या उस फंड में से और भी देहातों को पैसा नहीं दिया जा सकता ताकि जरूरी कार्य पूरे किये जा सकें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस वक्त हालत ऐसी है कि रुपया हमारे पास नहीं है। अगर कुछ गुंजाइश हुई तो अवश्य दिया जा सकता है।

श्री तेजमल बापना—यह कब तक मालूम हो जायगा कि आपके पास रुपयों की गुंजाइश है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुल रुपया वितरित हो जायगा, खर्च हो जायगा उसके बाद पता चलेगा कि कितनी बचत है।

प्रश्न संख्या ६८

चाकसू व बसी तहसीलों के विभिन्न ग्रामों के चकबन्दी के रेट्स अधिक निश्चित करने सम्बन्धी शिकायतें

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

चाकसू तथा बसी तहसीलों के किन २ गांवों की ऐसी दर्खवास्तें सरकार के पास पेश हुई हैं जिनमें चकबन्दी की रेट बहुत ज्यादा कायम करने की शिकायत की गई है तथा इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बस्सी तहसील में अभी तक पर्चे नहीं बांटे गये। चाकसू तहसील के ग्राम आकोडिया और निमोडिया के काश्तकारों की शिकायतें बेसी लगान के बाबत होती रहीं। इस तहसील के खालसा ग्रामों के पर्चे सन् १९४८ ओर नोन खालसा के १९५२ में बांटे गये और इनमें बन्दोबस्त समाप्त होने की विज्ञप्तियां राजपत्र में क्रमशः २८-५-५१ और ३-७-५४ को प्रकाशित हो चुकी है।

१९५६ में निम्न लिखित ग्रामों के किसान वर्ग के प्रार्थनापत्र लगान कम करने के सिलसिले में प्रस्तुत हुए।

ग्राम सूरजपुरा, वाटका, सावलिया उर्फ परतापपुरा, कोयून, चोंप ग्वार जाटान, मानपुर उर्फ भाटियावाला, मदनपुरा, दाढिया उर्फ पुरुषोत्तमपुरा।

(ख) सेटिलमेन्ट कार्य समाप्त घोषित हो जाने के कारण इन ग्रामों में कोई कार्यवाही लगान कम करने के संबंध में नहीं की जा रही है।

प्रश्न संख्या ६९

अनाज के बढ़ते हुए भावों को रोकने विषयक शासकीय कदम

श्री तेजमल बापना—क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बढ़ते हुए अनाज के भावों को रोकने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

[श्री तेजमल बापना]

(ख) किस किस जिले में सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें प्रारम्भ कर दी हैं व वहां किस भाव अनाज बेचा जाता है ?

(ग) भीलवाड़ा जिले में कितना अनाज भेजा गया है और कितनी दुकानें चालू हैं ? यदि नहीं हैं तो वहां अब तक दुकानें क्यों नहीं खोली गई और अब कब तक खुल जाने की संभावना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आनज के बढते हुए भावों को रोकने के लिये सरकार द्वारा विदेशी अनाज मंगवाया गया है, जो प्रत्येक जिले में जहां आवश्यकता है भेजा जायगा।

(ख) दुकानें कोटा, झालावाड़ व जयपुर में खुल गई हैं। वहां आनज १४ रु० ६ आने से १४ रु० १२ आ० के भाव तक बेचा जा रहा है।

(ग) कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा भीलवाड़ा जिले के लिये कोई सस्ते अनाज को आयात करने बाबत विभाग में रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। इसलिये वहां सस्ते अनाज की दुकान खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मांग आते ही विदेशी गेहूं फौरन भेज दिया जायगा।

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर १८ रु० मन पर भी गेहूं नहीं मिल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं भीलवाड़ा गया था, उस दिन मालूम किया कि वहां पर १५ रु० से लेकर १७॥ रुपये मन तक गेहूं बिक रहा है। मैंने उस समय कलेक्टर को कहा था कि व्यापारियों आदि से बातचीत करें गेहूं लेने के संबंध में, तो उस पर दो व्यापारियों को बुलाया गया था। उसके बाद पता नहीं उन्होंने गेहूं मंगवाने के लिये लिखा, या नहीं लिखा, उसके बाद वे दौरे पर चले गये। यह तो मुझे पता है कि आज और कल तक तो नहीं मंगाया गया। अगर वहां से मांग आयी तो सरकार अवश्य भेजेगी।

श्री तेजमल बापना—क्या यह गेहूं समितियों को भी बेचने के लिये दिया जा सकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—व्यापारी हो या समिति हो, कोई भी हो जो गवर्नमेन्ट के नियमानुसार बेचने के लिये तैयार होगी उसको दिया जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—तहसीलों में यह अनाज पहुंचाने की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां रेलवे स्टेशन हैं वहां तो रेल द्वारा जायगा और जहां रेल्वे की सुविधा नहीं वहां ट्रक्स से, बैलगाडियों से या जैसी भी सुविधा होगी भेजा जायगा।

प्रश्न संख्या ७०

घाटगेट शरणार्थी प्राइमरी स्कूल जयपुर में इस समय नियुक्त अध्यापिकायें एवं उनकी योग्यतायें

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) घाटगेट शरणार्थी प्राईमरी स्कूल जयपुर में इस समय कितनी अध्यापिकायें काम कर रही हैं ?

Page No 29

[श्री नारायण चतुर्वेदी]

(२) इन अध्यापिकाओं की योग्यता क्या २ है ?

(३) प्रधानाध्यापिका की योग्यता क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) ८ अध्यापिकायें ।

(२) प्रधानाध्यापिका श्रीमती ईश्वरी शिवदासनी सैकण्ड ईयर इन्टर बी. टी. सी..

सहायक अध्यापिका	निर्मला देवी	जे. टी. सी.
,,	कुंज देवी	जे. टी. सी.
,,	मीरा देवी	जे. टी. सी.
,,	पार्वती देवी	एस. टी. सी., मैट्रिक
,,	लीलावती देवी	बी. टी. सी.
,,	विद्या देवी	मिडिल पास
,,	रामा देवी	पी. टी. सी.

(३) सैकिन्ड ईयर बी. टी. सी.

प्रश्न संख्या ४२

फ्रन्टियर पब्लिकेशन की "बाल-विनोद" पुस्तिका ब्लेक लिस्ट करने सम्बन्धी

श्री एच० के० व्यास—Will the Minister for Education be pleased to state:—

(*a*) Has the Government taken any dicision to blacklist the Book "Hindi Bal Vinod" of the Frontier Publications ? If so, when was this decision taken and intimated to the Director of Education and the Inspector of Schools?

(*b*) Has the Government intimated its decision in regard to the above to the Nationalisation Board of Text Books? If so, on what date?

(*c*) Did the Government in any manner notify its decision to the public and the students to enable them to stop purchases of this book?

(*d*) Is the Government aware that the Nationalisation Board has been recognising the above book even as late as July 1956?

(*e*) Has the Frontier Publications been notified of this decision and have they been asked to refrain from selling this book to the booksellers and the students?

(*f*) What are the reasons for the delay in the communication of the Government decision and its notification?

(*g*) Is the Government aware that even after its decision thousands of copies of this Book have been sold due to such delay?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(*h*) How does the Government propose to reimburse the guardians as the students, who in bona fide belief purchased this book even after the Government decision because the decision was not communicated or notified?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। केवल फर्म को १९-६-५६ के आदेशानुसार ब्लेक लिस्ट किया गया और शिक्षा संचालक एवं शिक्षा निरीक्षकों को क्रमशः २५-६-५६ एवं ३-७-५६ को सूचित किया गया।

बी. जी हां, २५-६-५६ को।

सी. जी नहीं, क्योंकि पुस्तक को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया।

डी. जी हां।

ई. जी हां।

एफ. कोई विलम्ब नहीं किया गया।

जी. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एच. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने पहले भाग में उत्तर दिया, "जी नहीं", जब कि मैंने यह पूछा "Has the Government taken any decision to blacklist the book 'Hindi Bal Vinod' of the Frontier Publications?" बाद में आपने बताया २५-६-५६ एवं ३-७-५६ को सूचित किया गया। क्या आदेश के बगैर ही निर्णय के आदेश जारी कर दिये गये थे?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा जवाब आपने सुना नहीं। मैंने कहा था, "जी नहीं", केवल फर्म को १९-६-५६ के आदेशानसार ब्लेक लिस्ट किया गया और शिक्षा संचालक एवं शिक्षा निरीक्षकों को क्रमशः २५-६-५६ एवं ३-७-५६ को सूचित किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो आज्ञायें शिक्षा विभाग के निरीक्षकों को जारी की गई क्या उनमें फर्म को ब्लेक लिस्ट करने का उल्लेख था या किताब चालू नहीं रहेगी इस प्रकार का उल्लेख था?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने जो जवाब दिया उसमें "आदेश जारी किये गये", ऐसा कहा गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदेश जारी किये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—फर्म को ब्लेक लिस्ट करने के लिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अमुक किताब एप्रूव्ड नहीं, इसलिये इस किताब को एप्रूव्ड नहीं समझा जाय; क्या इस प्रकार के आदेश जारी किये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब कि फर्म को ब्लेक लिस्ट करने के आदेश दिये गये तब उसकी किताब भी एप्रूव्ड नहीं समझी जाय।

Page No 31

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन आदेशों का माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया, २५-६-५६ एवं ३-७-५६ के उन आदेशों में क्या आज्ञा प्रदान की गई थी, क्या यह किताब एप्रूव्ड नहीं है ऐसा लिखा गया या क्या लिखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा फर्म को १९-६-५६ के आदेशानुसार ब्लेक लिस्ट किया गया। किताब को ब्लेक लिस्ट नहीं किया जाता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने जो आज्ञा जारी की उसके मुताबिक वह किताब डिसएप्रूव नहीं की गई, यह ठीक है न ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब फर्म को ब्लेक लिस्ट किया गया तो उसकी किताब भी अपने आप डिसएप्रूव हो जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर दें माननीय मंत्री महोदय। जो आदेश जारी किये गये वह माननीय मंत्री महोदय पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उस आदेश की कापी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उस आदेश में उपरोक्त किताब अब एप्रूव्ड नहीं मानी जाय, इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को और स्कूलों को दे दी जाय, ऐसा लिखा हुआ था।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मैं नहीं कह सकता। मेरी जहां तक सूचना थी मैंने आपको बताया कि २५-६-५६ एवं ३-७-५६ उस फर्म को जो ब्लेक लिस्ट करने का आदेश था उससे सूचित किया गया। उस आर्डर की कापी मेरे पास नहीं है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि उस आर्डर में क्या था, क्या नहीं था।

श्री अध्यक्ष—But one thing is very clear. The question is very plain; "Has the Government taken a decision to blacklist the book 'Hindi Bal Vinod' of the Frontier Publications?" The answer given is that the firm was blacklisted. But the main point is whether the book was approved or discarded.

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कि अर्ज किया फर्म को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता रहती है, उसमें तीन महीनों के समय में टाइम बाकी था उस टाइम को लेने के लिये फर्म को ब्लेक लिस्ट किया गया और किताब के लिये नोटिस जारी कर दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप फिर से सोच कर जवाब दीजिये कि इस प्रकार के आदेश जारी किये गये या नहीं, यह किताब अब एप्रूव्ड नहीं मानी जाय और अब यह किताब डिसएप्रूव्ड है; तो इसका फंक्शन बन्द कर दिया जाय; आप महरबानी करके 'यस' या 'नो' में जवाब दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—I will have my say on my own behalf in reply to the question, I cannot be dictated. मैंने जैसा कि अर्ज किया मेरे पास ऑर्डर की कापी नहीं है। जितनी सूचना मेरे पास थी वह मैंने दे दी; फर्म को ब्लेक लिस्ट किया गया। I cannot say at the moment what was contained in the order.

श्री श्रीदास गोयल—इस प्रश्न में साफ लिखा हुआ है।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो नेशनेलाइजेशन बोर्ड को क्या सूचना दी गई? यदि किताब के सिलसिले में निश्चित बात नहीं बता पाते तो फिर नेशनेलाइजेशन बोर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स को क्या सूचना दी गई थी? फर्म के ब्लेक लिस्ट करने के बारे में सूचना दी गई या किताब को ब्लेक लिस्ट करने के बारे में दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि फर्म को तो ब्लेक लिस्ट किया ही गया पर किताब को ब्लेक लिस्ट करने के लिये तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता थी इसलिये तीन महीने का नोटिस दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न के भाग "ई" के बारे में पूछ रहा हूं कि कौन सी सूचना दी गई, किस बारे में सूचना दी गई। अगर किताब को डिसएप्रूव्ड करने की बात नहीं थी तो क्या फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की बात कही गई, क्या इत्तला आपने दी इसकी सफाई कर दें?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जो किताब है उसको भी ब्लेक लिस्ट किया गया। पर इसके लिये तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता थी इसलिये वह नोटिस दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो किताब को ब्लेक लिस्ट करने की सूचना नेशनेलाइजेशन बोर्ड को कब दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने 'सी' के उत्तर में फरमाया कि पब्लिक को भी नोटिफाई कर दिया और स्टूडेन्ट्स को भी नोटिफाई कर दिया तो यह नोटिफिकेशन किस रूप में और किस तारीख को किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि जी नहीं, क्योंकि पुस्तक को ब्लेक लिस्ट में नहीं किया गया था?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो जब ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया पुस्तक को, तो फिर नेशलाइजेशन बोर्ड को क्या सूचना दी गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास—१९-६-५६ को एक आदेश से इस फर्म को ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है इसकी सूचना दी गई। फर्म को भी नोटिस दे दिया गया है, यह भी इत्तला दी?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नोटिस कब दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—१९-६-५६ के बाद।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आप तारीख बतावें कब किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, मेरे पास तारीख नहीं है इस समय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस महीने की दस तारीख तक भी फर्म को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, यह सही नहीं है। इत्तला दी गई। तारीख मालूम करके बता दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि आज के दिन की सुबह सवा ग्यारह बजे तक ऐसा कोई नोटिस फर्म को नहीं दिया गया कि तुम्हारी फर्म ब्लैक लिस्ट कर दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आपका खयाल है। मेरा कहना है कि नोटिस दिया गया, तारीख नहीं मालूम।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं कि आया फर्म को आज सुबह सवा ग्यारह बजे तक कोई नोटिस दिया गया या नहीं, मेरा यह कहना है आज दिन के सवा ग्यारह बजे तक कोई नोटिस उसे नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—सुबह की क्या बात आ गई ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं उनसे कैटेगरिकली जवाब चाहूंगा, कभी कहते हैं नोटिस दिया गया, कभी कहते हैं तीन महीने के पहले दिया गया, तारीख मालूम नहीं, पर अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि आज तक वह नोटिस नहीं दिया गया ? अगर दिया गया है तो कब किसके द्वारा दिया गया यह आप बतादें ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ जवाब दिया है कि १९-६-५६ को फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया। पर पुस्तक को ब्लैक लिस्ट करने के लिये तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता थी इसलिये शो कॉज नोटिस उसे दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तारीख बतावें, किस तारीख को दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख मुझे मालूम नहीं।

Page No 34

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप यह सूचना दे रहे हैं कि फर्म को नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया, पर आज की तारीख तक ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप यह सूचना मुझे दे रहे हैं कि आज की तारीख तक सूचना नहीं दी गई, तो इसको मैं मालूम करूंगा कि क्या यह सही है या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह है कि एज्युकेशन सेक्रेटरी ने और डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन ने २५ जून को एज्युकेशन सेक्रेटरी ने और २६ जून को एन्डोर्समेन्ट करके डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को हिदायत भेजी थी कि the Government have decided to disapprove the book "Hindi Bal Vinod" published by the Frontier Publications and that the same may be communicated to the persons concerned यह इस प्रकार का सर्कूलर कॉन्फीडेन्शल भेजा गया था। अगर आप चाहेंगे तो इस सर्कूलर का नम्बर और तारीख भी मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज कर दिया। आप फिर रिपीटीशन कर रहे हैं। मैंने अर्ज कर दिया कि मेरे पास इसकी सूचना ही नहीं है इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने यह फरमाया कि फ्रन्टियर पब्लिकेशन्स को इस सिलसिले में नोटिफाई किया गया तो आप यह बतावें कि क्या नोटिफाई किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसको ब्लेक लिस्ट करने के लिये १९-६-५६ का आदेश नोटिफाई किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब नोटिफाई किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—२५-६-५६ के बाद।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसने नोटिफाई किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिक्षा संचालक और शिक्षा सचिव के जरिये किया गया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—फर्म को किया गया कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—शिक्षा संचालक को किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शिक्षा संचालक को किया गया, यह दूसरी बात है। Whether that firm was notified of that decision of the Government or any decision of the Government ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज कर दिया कि डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के मार्फत फर्म को भी मुतल्ला कर दिया गया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने जानकारी प्राप्त की है कि डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर ने फर्म को मुतल्ला किया है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—जब उनको कहा गया है तो उन्होंने फर्म को जरूर किया होगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—किया होगा। 'होगा' मत कहिये, निश्चित उत्तर दीजिये। क्या यह सही नहीं है कि जुलाई महीने की १८ तारीख को नेशनेलाइजेशन बोर्ड उस फर्म को यह लिखता है कि तुम्हारी किताब हिन्दी बाल विनोद में अमुक अमुक प्रिन्टिंग एरर्स हैं, उनको सुधार कर नेक्स्ट एडीशन छापो और उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि तीन महीने के नोटिस की मियाद जब तक पूरी न हो तब तक ब्लेक लिस्ट किताब को तो नहीं कर सकते थे। इसके पहले जो उसमें खराबियां-खराबियां थीं वे बताई गई थीं। १९-६-५६ को किताब को ब्लेक लिस्ट करने का निर्णय लिया गया, पर इसके लिये तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता थी तो उसके पहले से उस किताब को एग्जामिन करने की कार्यवाही चल रही थी तो उस किताब की खराबियां दूर करने का नोटिस दे दिया गया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नोटिस किसने दिया सरकार की ओर से ? सरकार ने या नेशनेलाइजेशन बोर्ड ने ? यह जो आप शो कॉज के नोटिस की बात फरमा रहे हैं वह नोटिस सरकार की ओर से किसने दिया ? शिक्षा सचिव ने, शिक्षा संचालक ने या नेशनेलाइजेशन बोर्ड ने; किसने दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे खयाल से सरकार के किसी अधिकारी की ओर से दिया गया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—'होगा' नहीं साहब, निश्चित जानकारी दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—नोटिस देने का आदेश सरकार की ओर से दे दिया गया। अब वह नोटिस सचिव ने दिया, संचालक ने दिया या नेशनेलाइजेशन बोर्ड ने दिया, यह जानकारी मेरे पास नहीं है; Orders were passed to issue notice according to law.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो नोटिस दिया या नहीं, इसकी जानकारी आपके पास नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब दिया है न कि नोटिस तो दिया गया है। आपने उसे चेलेन्ज किया तो this is the information which I have received. I will verify it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप महरबानी करके यह बतलाइये कि जो नोटिस देने की बात आप कह रहे हैं और जिसके बारे में आप इतने एसर्टिंग (दृढ़) हैं तो यह भी बतलाइये कि यह नोटिस किसके द्वारा दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, again this is a repetition. I have already replied that order were issued to the Director or the Deputy Director.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On behalf of the Government who was asked to give notice; the Director or the Secretary or the Secretary of the Nationalisation Board of Text Books? Who was asked to give such notice ?

Page No 36

श्री दामोदरलाल व्यास—I have already said that orders were communicated to the Director and the Deputy Director. Actual authority is not in my knowledge at present.

श्री हरिकृष्ण व्यास—According to the Government, who ought to have issued such notice ? The Director or the Text Books Board ?

श्री दामोदरलाल व्यास—This decision was communicated to the Director.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Governament aware that in regard to text books the authority has been delegated to the Text Books Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास—It would be better if you look up the rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government aware of the position in that case ? If the Government is aware, please state whether such notice was directed to be issued by the Board of Text Books on behalf of the proper authority of the Government or the Director or who?

श्री दामोदरलाल व्यास—The notice was to be issued by competent authority prescribed under the rules. You better look up the rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has anybody issued the notice ?

श्री दामोदरलाल व्यास—This again a repetition.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If the Hon'ble Member is so assertive that the notice has been issued, he should be in a position to state who has issued that notice? This is a very funny position, Sir, that the Hon'ble Member is very categorical that the notice has been issued and he does not know who has issued the notice; he does not know what is the date of the issue, he does not know whether even the notice has reached the other party. Still he is very categorical that the notice has been issued. If the categorical position regarding notice is taken, he should be in a position to answer the other questions ; otherwise what is the use of saying that it has been issued, when he does not know, when was it issued and when was it conveyed to the other party ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That reply has been given already.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो यह तो कोई उत्तर नहीं है, माननीय अध्यक्ष ।

श्री दामोदरलाल व्यास—उत्तर दे दिया गया है। It is a different matter that you may not have understood it, but I have replied.

(घंटी)

Page No 37

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें दो-तीन पाइन्ट्स और हैं।

श्री अध्यक्ष—Time is up.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक मिनिट और।

श्री अध्यक्ष—यही रिपीटिशन तो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह साफ उत्तर दें तो कोई रिपीटिशन नहीं हो।

श्री अध्यक्ष—उत्तर तो आ गया, आप समझे नहीं तो बात दूसरी है। (हंसी)

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो हाफ एन अवर डिस्कशन का नोटिस देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—हां, दे दीजियेगा।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रघुराजसिंह, डिविजन नं० १२१, ने दिनांक २४ सितम्बर से २८ सितम्बर, १९५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री बृजसुन्दर शर्मा

राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६, को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री अमृतलाल यादव।

राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव।

राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५६, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या, बोलेंगे कोई ?

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिए खडे होने पर) इसमें दो क्लॉज़ेज तो हैं ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मसला तो इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव अभी सदन में प्रस्तुत हुआ है। इसके उद्देश्य और कारणों के विवरण में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है :

"राजस्थान सेल्स टेक्स एक्ट, १९५४, की धारा १० की उपधारा (५) के अधीन देय छूट अधिकतम ४० प्रतिशत तक, एक्ट के प्रारम्भ के समय, व्यापारियों के स्टोक में विद्यमान और राजस्थान में आयात किये गये माल के लिये, राजस्थान राज्य में उनके द्वारा दिये गये कस्टम्स के आयात शुल्क के कारण तथा उसकी सीमा तक केवल १९५५-५६ के लिये, देय कर के संबंध में उनको राहत देने के इरादे से दी गई थी। उस इरादे को स्पष्ट करने तथा दोषपूर्ण भाषा के कारण फैली हुई गड़बड़ को दूर करने के लिये हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया गया था और यह विधेयक उसी अध्यादेश के स्थान में तथा उसको विखंडित करने के लिये अभिप्रेत है।"

और विधेयक में भी जो शब्द हैं, अध्यक्ष महोदय, वे दो ही हैं। एक तो यह कि १९५४-५५ के बजाय १९५५-५६ कर दिया जाय। और दूसरा यह है कि "varying from 20 percent to 40 percent" के बजाय "not exceeding 40 percent." कर दिया जाय। सिर्फ इस प्रकार के एक-दो मामूली संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं।

तो यह सारा विधेयक प्रस्तुत इस इरादे से हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि जो हमने पहले पास किया था कानून उसकी भाषा में कुछ कमियां रह गई थीं और उसकी भाषा में कमी रहने के कारण कोई कठिनाई पैदा हो गई तो उस कठिनाई को दूर करने के इरादे से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषा की कठिनाई रह गई उसका जिक्र तो हम बाद में करें लेकिन मैं आपके जरिये और आपकी आज्ञा से एक चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह प्रश्न ऐसा है कि जिसमें भाषा के कारण कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कठिनाई रही अगर तो वह समझ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

की रही। समझ की रही इतना ही नहीं लेकिन इसी सेल्स टेक्स के अन्तर्गत, मेरा ऐसा खयाल है, करोडों रुपयों के रेवेन्यू का राजस्थान सरकार को घाटा बैठा है। और आज जब उस कानून के संशोधन के सिलसिले में प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उस प्रस्ताव पर विचार करने के पहले भाषा की कठिनाई से जो स्थिति पैदा हुई है वह तो अलग छोड दें, लेकिन कानून की नासमझी से जो कठिनाई पैदा हुई है, उनकी ओर सदन के हमारे यहां के, इधर या उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाय। मैं इस एक्ट की परिभाषाओं को उल्लेख करके अर्ज कर रहा हू। उस परिभाषा की सारे के सारे एक्ट में यह स्थिति है कि मोटर स्प्रिट टेक्सेशन एक्ट है उस मोटर स्प्रिट टेक्सेशन एक्ट के अन्तर्गत आने वाली चीजों को छोड दिया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि एक्ट के परिशिष्ट, शेड्यूल में यह साफ कर दिया गया है कि मोटर स्प्रिट के लिए यह एक्ट लागू नहीं होगा। मोटर स्प्रिट की परिभाषा में, अध्यक्ष महोदय, पैट्रोल आता है, डिजल ऑइल आता है, पॉवरीन आता है अथवा इस प्रकार की ऐसी सब चीजें आती हैं, जिनके जरिये से इन्टरनल कम्बश्चन से कोई ऐसा इन्जिन पॉवर जेनेरेट करे चाहे वह मोटर वेहीकल्स में हो चाहे और दूसरी जगह हो। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि राजस्थान के सेल्स टेक्स के कानून के अन्तर्गत उन दूसरी चीजों के ऊपर टेक्स लेवी किया जाता है डिजल ऑइल के ऊपर और पॉवरीन के ऊपर जो सेल्स टेक्स लेवी किया जा रहा है तो मोटर स्प्रिट के टेक्सेशन के कानून के अन्तर्गत उनके ऊपर टेक्स नहीं लेवी किया जा रहा है और राजस्थान सेल्स टेक्स के बहुत ऊंचे अधिकारी, एडिशनल कमिश्नर महोदय एक पत्र भेजते हैं और कहते हैं "It is not intended that this Act should apply to anything else than Petrol." मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कोई अधिकारी का यह, हौसला समझ लीजिये, कानूनी अधिकार किसने दे दिया कि वह यह कहे कि "It is not intended that this Act should apply to such and such thing." यह कहने का अधिकार विधान सभा का है। यह कहने और तय करने का अधिकार जो राजस्थान की कानून के सिलसिले में सर्वोच्च सत्ता है, वह इस विधान सभा की है और विधान सभा ने उस एक्ट की परिभाषा में यह साफ साफ लिख दिया कि मोटर स्प्रिट का तात्पर्य यह होगा कि वे सब ऐसी चीजें जो इन्टरनल कम्बश्चन के जरिये पॉवर पैदा करती हैं, चाहे वे मोटर वेहीकल हों अथवा और किसी दूसरी जगह वे स्टेशनरी एन्जिन हों लेकिन वह मोटर स्प्रिट है, क्योंकि वह इन्टरनल कम्बश्चन के जरिये पावर पैदा करती है। तो ऐसी हालत में राज्य सरकार के सेल्स टेक्स कमिश्नर अथवा एडिशनल कमिश्नर महोदय को अधिकार किसने दिया कि वह दूसरे कानून की इस तरह बात करे? मूल कानून में जिसके कि संशोधन का प्रश्न आज हमारे सामने आ रहा है, उस मूल कानून में उन चीजों पर टेक्स लेवी करने का अधिकार क्या है, जिसमें कि पहले २ पैसा हुआ है और बाद में वह एक आने की रेट से वसूल किया जा रहा है जब कि दूसरे मोटर स्प्रिट टेक्सेशन एक्ट के मातहत ४ आने की रेट से वसूल किया जाना चाहिये था। इस तरह से लाखों करोडों रुपयों का घाटा राजस्थान को कानून की नासमझी के कारण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज उसका कोई उल्लेख हमारे सामने नहीं है। आज तो केवल एक, दो शब्दों का उल्लेख करके मामूली कठिनाइयां आगई हैं, कस्टम के सिलसिले में उनको दूर करने के के लिए कानून पास कर दिया जाय। सेल्स टेक्स के सिलसिले में सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं। सेल्स टेक्स पास करते समय भी यह आश्वासन दिया गया था कि समय समय पर इसको रिव्यू करेंगे और जैसे जैसे अनुभव होगा और अनुभवों से जो नतीजा निकलेगा और आवश्यक होगा तो और संशोधन करेंगे। वैसे संशोधन करने के बजाय जहां संशोधन की आवश्यकता नहीं है वहां किया जा रहा है, राजस्थान सरकार के राज्याधिकारी, मंत्री महोदय की आंखों के नीचे काम करने वाले, खुले आम इस कानून का उल्लंघन करके लाखों रुपयों का नुकसान राज्य सरकार का कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां उल्लंघन करने का प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय, वहां जो कानून पास किया गया है उसका दुरुपयोग भी किया गया है। इसीलिये आज यहां यह छोटासा संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है जो इन सारी चीजों को छिपा करके रखता है और सदन के सामने जो आश्वासन दिया गया था उसको भी छिपा करके रखता है। अध्यक्ष महोदय, कैसे दुरुपयोग किया गया इसका उल्लेख मैं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक दिन इस सदन में एक आश्चर्यजनक घटना हुई थी और मैं समझता हूं कि उस घटना की प्रत्येक सदस्य को जानकारी होगी और आपको भी याद होगा अध्यक्ष महोदय। एक प्रश्न पूछा गया था, सेल्स टैक्स के अन्तर्गत जो रेट्स हुई थी और २८ फर री, १९५५ को राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन निकला था उसका आम जनता में असंतोष हुआ और यही नहीं जयपुर में उस संबंध में हडताल भी हुई थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने उस वक्त अपनी जानकारी का एक बहुत बडा परिचय दिया। मैं समझता हूं कि सारे देश में इतना बडा आला परिचय देने वाला शायद ही कोई हो जैसा कि राजस्थान के मंत्री महोदय ने जयपुर में १४ दिन हड़ताल चलने के बारे में यह कहा मेरी जानकारी में कोई हड़ताल ही नहीं हुई, लेकिन हुई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री भी यह जानते हैं जिन्होंने समझोता कराया और इस विभाग के मंत्री महोदय भी जानते हैं, क्योंकि वे उस समय बारूद की कुर्सी पर बैठे हुए थे। २८ फरवरी, १९५५ का नोटिफिकेशन निकला जिसके अन्तर्गत लगभग ६० आइटम पर दो पैसे सेल्स टैक्स से बढ़ा कर एक आना कर दिया गया, वह नोटिफिकेशन सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दिया। मैं समझता हूं कि दो तीन चीजों को छोड कर वापिस रेट एक आने के बजाय दो पैसा कर दी। लेकिन उसके बाद अजीब घटनायें होने लगीं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सोना चांदी से संबंध रखने वाली गोटा किनारी है उसके लिये नोटिफिकेशन आता है कि इसको एक्जम्प्ट कर दिया जाय और दूसरी ओर आवश्यक चीज है, न्यूज प्रिन्ट उस पर टेक्स है राजस्थान में; क्यों? दुनिया के किसी कोने में इस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन यहां लागू है। अध्यक्ष महोदय, छतरी का कारखाना खुले, उसके लिये आवश्यकता हो और सरकार के सामने आकर कहे कि मेरे सादडी के कारखाने के लिये एक्जम्प्शन दीजिये तो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राज्य में ऐसी स्थिति होती है, मंत्री महोदय की कलम से ऐसी स्थिति होती है, नजदीकी दोस्त टेलीफोन करके कह देते हैं और जो फैक्टरी है, छतरी बनाने की फैक्टरी है, सज्जन का नाम है यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो सागरमल महोदय। उनके कारखाने की ओर से ऐसी एप्लीकेशन-आती है कि हमारे कारखाने को एक्जम्प्शन देने के सम्बन्ध में केस अन्डर कन्सीडरेशन है जब तक उस पर निर्णय न हो तब तक स्टे कर दिया जाय। मंत्री महोदय बतायें, चाहे सेक्रेटेरियेट से वह केस नहीं निकला हो, चाहे सेक्रेटरी महोदय ने इल्लीगलीटी के लिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ध्यान दिलाया हो, मंत्री महोदय यह बतायें कि उनकी खुद की कलम से उस एप्लीकेशन पर क्या लिखा ? क्या यह सही है कि यह लिखा है कि सेल्स टेक्स है उसको रोक दिया जावे ? (विराम) आज हम यह चीजें देखते हैं अध्यक्ष महोदय, कि किन्हीं चीजों पर सेल्स टेक्स हटा दिया गया है और किन्हीं चीजों पर स्टे करने की कार्यवाही की गई है और इतना ही नहीं नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल कर दो पैसे की बजाय तीन पैसे सेल्स टेक्स कर देते हैं और फिर ताज्जुब की बात तो है कि उसमें कोई स्टेन्डर्ड नहीं। साइकिल पर तीन पैसे कर दिये गये लेकिन मोटर पर नहीं किये गये। आखिर कौनसा यह न्याय, कोनसा यह कानून है और कौनसा यह सामाजिक दृष्टिकोण है जिससे साइकिल पर रेट बढ़ाने की यह प्रवृत्ति है और मोटर पर बढाने की प्रवृत्ति नहीं। कोई इसके लिये स्टेन्डर्ड तो होना चाहिये। मामूली हैसियत के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति साइकिल से हो सकती है वे मोटर गाडी के नजदीक भी नहीं आ सकते। मोटर गाडी वाले लोग साधन सम्पन्न होते हैं, वे कार खरीद सकते हैं, उन पर उनके लिये टेक्स बढाने की बात सोची जाय तो कोई न्याय युक्त बात ही होती लेकिन मोटर वालों को खुला छोड़ दिया और बेचारे साइकिल वालों पर दो पैसे के बजाय ३ पैसे टेक्स कर दिये। यह कौनसा न्याय है, यह कोनसा दृष्टिकोण है ? मैं तो यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि समाजवादी दृष्टिकोण की यहां रोज बात कही जाती है। यह हमारी समाजवादी अर्थ नीति है उसकी रोज २ बात कही जाती है, मुझे तो यह लगता है कि उस समाजवादी अर्थनीति का शीर्षासन कराया जा रहा है। यह विचारों में आगई है, वह आगई है बातचीत के दौरान में, वह आगई है देश के रहनुमाओं के भाषणों में। उसको शीर्षासन कराया जा रहा है। जिन पर ज्यादा बोझा हो उनको रियायत करें और जिन पर कम बोझा हो उनको रियायत क्यों ? लेकिन नीति अलग ही बरती जा रही है। जिन पर ज्यादा बोझा है उन पर और ज्यादा बोझा और जिन पर कम बोझा है उन पर न्याय संगत बोझा भी नहीं। इस प्रकार की सेल्स टेक्स में नीति बरती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करें इस प्रकार के शब्द मैं इस बिल के सम्बन्ध में काम में लाऊं कि जानबूझकर इस कानून के सिलसिले में जितने निर्लज्जतापूर्ण, जितना आरबिट्रेरी तरीके से और मैं समझता हूं कि रुपये में १२ आना नासमझी से व्यवहार किया गया है जितना दूसरे कानून में नहीं किया गया। न रूल्स ओफ प्रोसिजर का पता है, न स्टेन्डर्ड का पता है, न कोई इसमें सोचने का तरीका अपनाया गया है; न कोई एक नीति है। माननीय मंत्री यह जवाब दें कि कानून के बारे में तय करने का अधिकार किसको है ? विधान सभा को है या राज्य के नियुक्त अधिकारियों को ?

तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। जितना छोटा सा कानून हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है व नाकाफी है। यह प्रोसिजरल चीज है, करा ले जांय, करा ले जांय। यह अधूरा है, नाकाफी है इसको दुरुस्त करने के इरादे से इस कानून में कोई और कई धाराओं का समावेश किया जाना चाहिये अध्यक्ष महोदय। इसीलिये एक दो धाराओं को संशोधित करने के बजाय सारे कानून को ओवर ऑल करने की आवश्कता है। इसीलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर देना चाहिये। जो कि तीन दिन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं अध्यक्ष महोदय, नाम बाद में दे दूंगा। उसूलन अगर मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा जनता को फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने को भी फायदा होगा। मैं अर्ज करूं कि जब से यह कानून

श्री हरिकृष्ण व्यास]

लागू हुआ मोटर व्हिकल्स एक्ट उस वक्त से लेते हैं तो लाखों रुपया का, करोड़ के नजदीक पहुंच जावेगा, फायदा होगा । वित्त मंत्री महोदय भी जरा ध्यान दें । नासमझी, बेअकली और कानून के बारे में निर्लज्जापूर्ण जो रुख अपनाया जा रहा है और उसके कारण जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है राजस्थान को रेवेन्यू का वह भी ठीक हो जायगा । शिड्यूल में भी अन्ट सन्ट परिवर्तन किया गया और रेट्स में आरबीट्रेरी तरीके से काम लिया गया, उन सब को ठीक तरह से लाने की इससे सुविधा हो जावेगी । इसीलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे और जो अपनी रिपोर्ट तीन दिन में प्रस्तुत कर दे । यह प्रस्ताव मैं अभी लिख कर प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और सदन के माननीय सदस्य भी इसके लिये अनुकूल स्थिति पैदा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री **मानसिंह महार**—अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल में मुझे अधिक निवेदन नहीं करके सिर्फ इतना सा निवेदन करना है कि इस समय हमारे सामने जो सेल्स टेक्स अमेन्डिग बिल प्रस्तुत हुआ है वह बहुत ही नाकाबिल है । इसमें यदि वाकई हमको सही करना है किसी बात को तो उस पर हम को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिये । इसमें बहुतसी कमियें हैं, वे कमियें जोधपुर से आनेवाले मित्र ने बताई हैं उस प्रकार की बातों का भी एडिशन और अॅल्ट्रेशन होना जरूरी है । मैं यह समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय सेल्स टेक्स बिल पास हुआ था उस समय सदन के प्रत्येक कोने से यह बात महसूस की जा रही थी कि यह एक नई चीज है, यदि इसमें कोई कमियें रह जायेंगी तो समय २ पर उनको दुरुस्त किया जायगा । लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन कमियों को दूर करने के बजाय हमने जो कुछ समय २ पर किया वह एक इस प्रकार की कार्यवाही की है कि उससे जनता को राहत पहुंचने के बजाय नुक्सान ही हुआ है । सरकार ने जिस प्रकार के निराले ढ़ंग से अपने हाथ में अख्त्यारात लिये हैं और उन पोवर्स का इस प्रकार से दुरुपयोग किया है कि वह भी एक विचारनीय प्रश्न है । मैं यह मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को हमें पोवर्स देनी चाहिये । लेकिन पोवर्स देने का यह मतलब नहीं है कि सरकार उन पोवर्स का दुरुपयोग करे । मैं इस सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि "First deserve and then desire" मसले को ध्यान में रखना चाहिये । इस विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि यह किसी प्रकार के भी अख्त्यारात को डिज़र्व नहीं करता है । ऐसी सूरत में हमें यह सोचना है कि हम किस तरह से इस प्रकार की पोवर्स, यह मानते हुए कि अन्डिज़रविंग आदमियों को पोवर्स नहीं देनी चाहिये, ऐसे आदमियों को कैसे दें । यह सबसे बड़ी बात है । मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में जो सेल्स टेक्स लगाया गया है वह बहुत अधिक है । यह मैं आज भी मानकर चलता हूं कि आज के युग में राजस्थान की गरीब जनता जब करों के बोझ से दबी जा रही है, उस समय सेल्स टेक्स इतनी अधिक मात्रा में लगाया जाय, वाजिब नहीं है । मैं यह समझता था कि जब २ अमेन्डमेन्ट सदन में आयेंगे तब २ मात्रा में कमी की जायगी । लेकिन यहां तो कमी का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी कुछ दिन पूर्व मद्रास और उत्तर प्रदेश में पानों पर से सेल्स टेक्स उठा दिया गया है । जिस समय यह एक्ट लागू हुआ उस समय हमने सदन में कहा था कि पानों पर यह लागू नहीं होना चाहिये । इससे छोटे दुकानदारों को बहुत दिक्कत होगी और पानों को बड़े आदमी

Page No 43

[श्री मानसिंह महार]

जैसे हमारे मुख्य मंत्री जी वगैरह खाते हैं वे तो खाते ही हैं लेकिन अधिकतर गरीब लोग भी पान खाते हैं। ऐसी सूरत में पान यदि लक्जरी माना जाय तो यह गरीबों की चीज है। कोई गरीब मजदूरी पर जाता है वहां से लौटते समय थक जाता है तो बाजार में चाय की दुकान मिलती है तो चाय पी लेता है और यदि चाय की दुकान नहीं मिलती है तो और उसके बजाय तंबोली की दुकान मिलती है तो वह पान खा लेता है। इस प्रकार पानों पर सेल्स टेक्स लगाना अनुचित बात है।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह कहां है कि पानों पर सेल्स टेक्स लगाया जाय ?

श्री मानसिंह महार—मेरी अर्ज यह है कि पहले जो बात थी वह छोटी सी बात थी उसको कहने से क्या फायदा?

श्री अध्यक्ष—यह बात बड़ी है लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार—पेट्रोल के बारे में

श्री अध्यक्ष—कहां है इसमें पेट्रोल के बारे में? वे भी लेक्चर झाड़ गये और आप भी कह रहे हैं। मैंने चश्मा लगाकर इसको देख लिया है। इसमें पेट्रोल की बात नहीं है।

श्री मानसिंह महार—मुझे तो दो-चार बातें कहनी हैं वे कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—फिर तो बिल के हवाले से नहीं, जनरल बातें होने दें।

श्री मानसिंह महार—(जारी) मेरा निवेदन करने का मतलब यह था कि हमको सेल्स टेक्स राजस्थान में लागू करना है या किया है उसको सिद्धान्त पर करना चाहिये। बिना सिद्धान्त के या बिना किसी प्रिन्सिपल के यदि कोई काम करते हैं तो उसमें शंका की गुंजाइश होती है।

कई लोगों ने यहां तक कहा कि साइकिल्स पर कर बढ़ाया गया लेकिन मोटर कार्स पर नहीं बढ़ाया गया। यह कहा गया कि मोटर के बिक्रेता बड़े २ आदमी हैं उनसे शायद सरकार ने कुछ गठबंधन किया हो। मैं यह नहीं मानता कि इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि यह सिद्धान्त गलत है। साइकिल जैसी चीज जो रोजमर्रा गरीबों के इस्तेमाल की चीज है उस पर टेक्स बढ़ाया जाय और मोटर जैसी लक्जूरियस चीज पर, जिसको बहुत बड़े आदमी काम में ला सकते हैं, उस पर टेक्स नहीं बढ़ाया जाय यह न्यायोचित बात नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस सेल्स टेक्स के बारे में जो कुछ इस समय किया जा रहा है और जो संशोधन लाया गया है उसको नावाजिब समझते हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि इसको प्रवर समिति को सौंप कर ३ दिन में उसकी रिपोर्ट मांगी जाये इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह पेट्रोल कहां से आ गया इसमें ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य बाहर चले गये थे, मैं चाहता था कि जवाब के वक्त वे भी यहां मौजूद रहें। मुझे खुशी है कि वे अब पधार गये हैं। महार के सदस्य ने भी फरमाया ...

राजा श्री हिम्मतसिंह—महार कौनसी कांस्टिट्युएन्सी है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय महार से मेरा मतलब है।

मेरे यह समझ में नहीं आता कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें सिर्फ दो संशोधन हैं। एक तो सन् ५४, ५५ के बजाय ५५, ५६ कर दिया जाय और दूसरी बात है Varying फ्रोम २० परसेन्ट से ४० परसेन्ट के बजाय नोट एक्सीडिंग फोर्टी परसेन्ट कर दिया जाय। इसमें सिर्फ इतना ही संशोधन करने की बात है और उसके लिये माननीय सदस्यों ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया उसका मतलब शायद यह है कि राज्य की आमदनी यदि कहीं कम हो रही है तो ज्यादा की जाय। यदि कहीं ऐसी सूरत हो तो बेक किया जाय। यदि उनकी यह मंशा है कि यदि ऐसा किया गया तो कम आमदनी होगी तो यदि यह मौजूदा लाइन रहती है तो ५.१० परसेन्ट ज्यादा मिल जायगा। इससे गवर्नमेन्ट को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। यह साफ जाहिर है कि यह बिल गवर्नमेन्ट के फायदे के लिये ही है। लाखों करोड़ों रुपयों की बात कह कर लोगों को मुगालते में डालना ठीक नहीं है। आक्षेप करने और कड़वी बातें करने में माननीय सदस्य ने नाम कमाया है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता हूं। एक तरीका होता है बात करने का। लेकिन आप सदन में आकर आक्षेप की भाषा में बात करते हैं तो यह शोभाजनक और उचित नहीं है। जब जब गवर्नमेन्ट के ध्यान में बात आती है तब जनता के लाभ ही की बात होती है तो की जाती है। इस संशोधन में भी माननीय सदस्य ने लाभ नहीं बताया। गवर्नमेन्ट यह निश्चित तौर पर कहती है कि इससे गवर्नमेन्ट को लाभ होने वाला है।

इसके अलावा मोटर स्प्रिट की बात करके या न्यूज प्रिन्ट की बात करके प्रेस वालों को खुश करने की बात की जाय तो उससे गवर्नमेन्ट प्रभावित होने वाली नहीं है। गवर्नमेन्ट वही करेगी जो उचित होगा। एक माननीय सदस्य की बात नहीं मानी गई तो उसका गुस्सा यहां उतारना ठीक नहीं है। कोई बात वाजिब तरीके से कहनी चाहिये और आज जो संशोधन आपके सामने रखा है उस के बारे में आप अपने विचार जाहिर करें, संशोधन पेश करें और अगर वे उचित हैं, वाजिब हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। पर मैं समझा नहीं मैंने संशोधन पेश किया है ४० प्रतिशत कर दिया जाय इससे निश्चित रूप से गवर्नमेन्ट को लाभ है तो आप आया इसे नामंजूर करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, और इर्रिलेवेन्ट बातें करने से कोई फायदा नहीं। अगर वे संशोधन करना मुनासिब समझते हैं तो वे मुझसे आकर बात करें अगर वाजिब होगा तो उसे स्वीकार किया जायगा और अगर वाजिब नहीं हुआ तो उन्हें कन्विन्स करूंगा। पर इर्रिलेवेन्ट बातें करने से कोई मतलब नहीं। जो संशोधन सदन के सामने पेश किया गया है वह वाजिब है या नहीं इससे सम्बन्ध रखने वाली बातें कही जानी चाहिये। और कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं तो लिख कर भेजें उस पर विचार किया जायगा।

पानों के बारे में यहां पर बातें की गई पर यहां पर कितने ही जोर से कहा जाय मैं उसे मानने वाला नहीं हूं, उसके सिवा थोक व्यापारियों, सिवा चंद व्यापारियों के और किसी को फायदा नहीं होने वाला है।

[श्री अमृतलाल यादव]

मोटर स्प्रिट की बात कही गई कि ४ आना गैलन से ५ आना गैलन ......

श्री अध्यक्ष—Is it covered by the present amendment?

श्री अमृतलाल यादव—उन्होंने कहा है इसलिये कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—मौजूदा संशोधन से ताल्लुक है कि नहीं, for my information I want to know?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं । तो यह कहना कि साइकिल पर एक पैसा, दो पैसा कर दिया गया है और मोटर पैट्रोल, डिजल पर कोई नहीं किया है यह वाजिब नहीं है ।

तो यह मैंने इसलिये कहा कि उन्होंने कहा है ।

फिलहाल मेरा निवेदन है कि जो दो संशोधन पेश किये गये ह वे बिल्कुल वाजिब ह, उन्हें मंजर किया जाय ।

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के संबन्ध में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा जो मैंने प्रवर समिति को भेजने के बारे में प्रस्तुत किया है ।

श्री अमृतलाल यादव—मुझे स्वीकार नहीं है, यह कह तो दिया न ।

श्री एच० के० व्यास-प्रश्न जो है वह क्लॉज कन्सीडरेशन का नहीं है, वह है राजस्थान सेल्स टेक्स में संशोधन के हेतु जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसको विचारार्थ लिया जाय । इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है और ऐसी हालत में यह मानते हुए कि जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं वे तो किये ही जांय लेकिन और भी संशोधन होने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—Scope of the Bill में जो है ।

यह नहीं हो सकता, वह तो स्कोप ओफ दी बिल में है वही होगा ।

श्री एच के० व्यास—मैं और निवेदन कर रहा हूं । अतः इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति इन बातों पर भी विचार करे ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रवर समिति में भेजने का मंजूर भी कर लें तो भी प्रवर समिति स्कोप ओफ दी बिल है उसी को करेगी, प्रवर समिति और आइटम्स को नहीं ले सकती ।

श्री एच० के० व्यास—उसको डाइरेक्शन तो हाउस दे सकता है कि वह इन बातों को भी देखे ।

श्री अध्यक्ष— No, it is not within the Scope of the Bill. उसके लिये अमेंडिग बिल लाइये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस प्रवर समिति को डाइरेक्शन्स तो दे सकता है।

श्री अध्यक्ष—No, no, This will be beyond the scope of the present amending Bill.

श्री एच० के० व्यास—उसमें वह है ही नहीं। यहीं तो अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इर्रिलेवेन्ट बातें कही गई हैं।

The hon'ble member is going out of the sope of the Bill.

आप प्राइवेट मेम्बर्स डे के दिन लाइये।

श्री एच० के० व्यास—प्राइवेट मेम्बर्स डे को तो मौका ही कहां मिलता है ? अध्यक्ष महोदय, पहले लाना चाहते थे तो जल्दी ही एडजर्न कर दिया गया, प्राइवेट मेम्बर्स डे का तो मौका ही नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—आप बहस कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पैट्रोल, केरोसिन ओइल की बात कहां से आ गई ?

श्री एच० के० व्यास—उन्होंने इसका जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष—वह रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने कह दिया है इसलिये यह जरूरी हो गया है कि मैं स्पष्टीकरण कर दूं। उन्होंने जो जिक्र किया है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यह समझता हूं कि वह इर्रिलेवेन्ट है, रिलेवेन्ट नहीं है इसलिये गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने जवाब दे दिया है इसलिये मैं भी कहूंगा, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—आपने कहा उन्होंने जवाब दिया, अब आप जवाब देंगे तो वे फिर जवाब देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया है तो मुझे भी मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने जवाब नहीं दिया, सूचना दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सूचना गलत थी।

श्री अध्यक्ष—I am not concerned with anything outside the scope of the Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतनी देर में तो मैं यह बात कह देता।

श्री अध्यक्ष—हां, तो कहिये with no sting.

श्री हरिकृष्ण व्यास—बहुत से विचाराधीन विषय आ गये हैं, मोटर के बारे में विचाराधीन आया। अध्यक्ष महोदय ने भी फरमाया कि इस बिल में कहीं नजर नहीं आता इस संशोधन में नहीं आता। पर वे गलत दिशा में सरकार का ध्यान ले जा रहे हैं, इसकी सफाई में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। जो ओरिजनल एक्ट है सेल्स टेक्स का उसमें एक केटेगरीज ओफ वस्तूज है जो मोटर टेक्सेशन एक्ट के अन्तर्गत आ चुकी है। जो चीजें मोटर स्पिरिट टेक्सेशन के अन्तर्गत आ चुकी हैं उन पर इस एक्ट के तहत तो टेक्स लगना चाहिये, डीजल के लिये दो पैसे की बजाय एक आना कर दिया गया है। मेरा कहना यह है कि डीजल मोटर स्प्रिट की तारीफ में आता है और उस पर ४ आना पर गैलन टेक्स होना चाहिये और अब इस संशोधन के मुताबिक ५ आना होना चाहिए। दो पैसे थे और अब एक आना कर दिया यह पर्याप्त नहीं।

मंत्री महोदय सफाई देते वक्त इस छोटी सी बात का खुलासा कर देते तो ठीक रहता। सेल्स टेक्स के अन्तर्गत जो स्पष्टीकरण निकला है उसमें डीजल हो या पोवरिन हो उसके मोटर स्प्रिट में इन्क्लूड किया है, तो फिर ४ आना ५ आना की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

यह घाटा हो रहा था कि डीजिल ऑइल जो बेच रहे हैं उनसे चार आना लेने के बजाय अभी दो पैसे ले रही है और जब आगे ५ आना लेने के बजाय एक आना लेती रहेगी, इस घाटे की जवाबदारी सरकार पर आती है। इस प्रश्न की ओर उल्लेख किया था उसका जिक्र माननीय मंत्री ने कर दिया। मैं अब यह समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मैंने जो अपने दोनों प्रस्तावित संशोधन रखे हैं उसके अलावा और भी जितने, प्रस्तावित विषय हों उन सब को लेकर सिलेक्ट कमेटी उसकी छान बीन करे और सिलेक्ट कमेटी अपना प्रस्ताव पास करे, ऐसे डाइरेक्शन भी कर दिये जावें, जो मेरे प्रस्ताव में नहीं हैं। इसके लिये मैं अर्ज करने के लिये तैयार हूं with the directive that it should scrutinize all the sections and suggest suitable amendments with regard to the whole Bill. तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि मैंने जो बात कही है कोई इर्रिलेवेन्ट नहीं है। अगर हाउस उस कमेटी को यह डाइरेक्टिव दे दे कि वह कानून देख ले और जहां जहां जरूरी हो वहां वहां पर प्रस्ताव पेश करा कर उचित कार्यवाही करे, तो मैं समझता हूं कि वह इसके अन्तर्गत आ जाता है।

अंत में सिर्फ एक बात माननीय मंत्री महोदय ने कही कि सीमाओं का उल्लंघन किया गया। जब सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है तो ऐसी हालत में विशेष व्यक्ति के एतराज पर माननीय मंत्री····

श्री अध्यक्ष—यह सब इर्रिलेवेन्ट है। So many times the question has been asked and it has been replied to.

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न के बाद इसका उल्लेख तो आज ही आया है, पहले तो आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—Come to order please

श्री एच० के० व्यास—आक्षेप·······

श्री अध्यक्ष—It is more on this side than on that side.

श्री हरिकृष्ण व्यास—विशेष बात पर यह जिक्र करते हैं।

श्री अध्यक्ष—Come to the point.

श्री एच० के० व्यास—पोइन्ट तो वही है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—That is not relevant, that is irrelevant.

श्री एच० के० व्यास—तो प्रवर समिति सारे विचार प्रकट कर देगी। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आक्षेप करने से पहले वे अपने दिल को ही टटोल लें।

(घंटी)

इन सब बातों के कहने के बाद मैं सदन के सामने प्रस्ताव करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ के विशेष विषय में सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिये जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स विधेयक, १९५६ को पारित किया जाए।

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, अभी प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—पारित करने के लिये उन्होंने कह दिया है।

श्री एच० के० व्यास—विचारार्थ का कहा है।

श्री अध्यक्ष—We have taken pleasure in jokes.

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

उपरोक्त विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है मैं तो इसे अनावश्यक समझता हूं। इसलिये इसको विचारार्थ नहीं लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—दो मोशन्स हैं। एक सिलेक्ट कमेटी का है। लेन्ड मोर्टगेज . .

He (Shri Mansingh Mahar) has a first right.

आप बुला लावें उन्हें।

श्री एच० के० व्यास—अगर आप आज्ञा दें तो मैं बुला लाऊं।

(बुलाने के लिये प्रस्तुत)

श्री अध्यक्ष—(श्री बृजसुन्दर को संबोधित करते हुए) यह किस बारे में है, आप इस पर प्रकाश डालें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—केन्द्रीय विधान मण्डल का पब्लिक डेट एक्ट, १९४४ भाग ख के राज्य में लागू नहीं होता। इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक को सारे अख्तियार दिये जाते हैं जो पब्लिक डेट एक्ट, १९४४ में दिये गये हैं। लेकिन जब तक हम अपने एक्ट के जरिये रिजर्व बैंक को इस तरह के अख्तियार नहीं दे देते तब तक वह अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। चूंकि सरकार ने खुले आम ऋण देना जारी कर दिया है इसलिये इसका बनाना बहुत जरूरी है। पब्लिक डेट एक्ट, १९४४ के सारे के सारे अख्तियारों को हमारे यहां एडोप्ट करने के लिये यह रखा गया है। इसमें किसी तरह की चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वैसे हमारे यहां लागू नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—लोन हम लेते-देते हैं। इसलिये किसी तरह से जब तक एक्ट के जरिये अख्तियार नहीं दिया जाता तब तक वह फंक्शन नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—सेन्ट्रल एक्ट है, रिजर्व बैंक के बारे में।

Page No 50

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो राजस्थान पब्लिक डेट बिल प्रस्तुत हुआ है वह वैसे तो बिल्कुल प्रोसीजरल चीज है, उसको सदन को पास करना ही चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि रियासतों के मर्जर के बाद जो राजस्थान बना उसके बाद जो सरकार की उसने करीब ९ करोड़ रुपये का तो ओवर ड्राफ्ट लिया है इसके अलावा तीन करोड़ का पब्लिक डेट लिया है। इस प्रकार राजस्थान सरकार पर काफी कर्जा है। मेरे ख्याल से वह कर्जा करीब बीस करोड़ रुपये के हैं। अब हमें विचार यह करना है कि इस प्रकार से जो नाना प्रकार के डेट हम ले रहे हैं ओवर ड्राफ्ट के नाम से पब्लिक ऋण लेते हैं और फिर सदन के समक्ष उन्हें प्रोसीजरल कहकर उसको रेगुलराइज करने की बात करते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जा ले लिया गया सिक्योरिटीज का ट्रान्सफर किस प्रकार होता है, क्या सिक्युरिटी होती है, किस प्रकार उनको रिकगनाइज किया जायगा उसका कर्जा लें या नहीं लें, यह बात नहीं जो ले लिया गया है उसके बारे में है, उसको खर्च किस प्रकार किया गया यह तो हम बजट के समय और फाइव इयर प्लान पर बहस करते समय काफी डिसकस कर चुके हैं। मैं सोचता हूं कि इस बिल पर ये बाते नहीं आनी चाहिये, फिर आप जैसा आदेश दें।

श्री मानसिंह महार—मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया है और फिर बोल रहा हूं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो कर्जा आपने लिया उसके लिये सदन से पूछा गया था क्या ? जिस रोज कर्जा लिया गया उस दिन सदन को पूछा गया था क्या कि हम यह तीन करोड़ रुपया ले रहे हैं, आपकी उसमें क्या राय है ? आपने कर्जा तो ले लिया और अब आप हमसे आंख मिचवा कर हमारे से मोहर लगवाना चाहते हैं, जब किसी गलत काम को गलत बताया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह तो हो चुका है, इसमें बहस की क्या जरूरत है, यह तो फोर्मेलिटी है। अगर यह सदन फोर्मेलिटी समझ कर, आंख मीच कर पास कर देती है तो मेरा यह निवेदन है कि सदन अपनी ड्युटी ठीक ढंग से अदा नहीं कर रहा है। इस बिल को यह महसूस करते हुए कि इसमें बहुत सी कमियां हैं मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अब मैं इसकी वजूहात सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके बारे में जो माकूल वजूहात हैं वे ही मैं सदन के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को देकर हमें यह देखना है कि यह इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रही है वह कहां तक वाजिब है ? इसके अन्दर सब से बड़ी बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, जैसा कि महामाननीय वित्त मंत्रीजी ने फरमाया कि कर्जा ले लिया गया, उसमें सब से बडी बात तो यह है कि जिस रोज कर्जा फलोट किया गया उस रोज इस सदन से राय ली गई थी क्या कि हमको इन इन मदों में इस प्रकार इतने इतने पैसे की आवश्यकता है, इसीलिये हम लोन फलोट कर रहे हैं। आज यह कह देना कोई मायने नहीं रखता कि यह तो ले लिया गया है। यह तो हम को पता है कि जिस रोज यह लोन फलोट किया गया था उसके बारे में हमने अखबारों में भी पढ़ा था और वह दो तीन दिन में लोन पूरा हो चुका, यह सब हम को विदित है। ऐसी कोई बात नहीं कि हम को, लोन लिया हो सो मालूम नहीं। हम तो यह बात कहना चाहते हैं कि आज राजस्थान ऐसी स्थिति में नहीं है कि इसको कर्ज के बोझ से दबाया जाय। मैं यह मान कर चलता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय राजस्थान में सारी रियासतों

[श्री मानसिंह महार]

का विलीनीकरण हुआ था उस समय यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान केवल सेल्फ सपोर्टिंग ही नहीं था बल्कि जहां तक मुझे याद है इसके पास चार-पांच करोड़ के असेट्स मौजूद थे। आज वह राजस्थान इन पांच-छः सालों के अन्दर इतना कर्जे के भार से दब गया है जो करीब २० करोड़ रुपये के हैं। अब हमें इस बात को देखना है कि आज जो बीस करोड़ का कर्जा हमारे पर है उस कर्जे को आखिरकार हम चुकायेंगे किस प्रकार ? आपने उसके लिये क्या स्कीम बनाई, यह हमें आज तक मालूम नहीं है। जो कर्जा हमने लिया वह हम किस प्रकार चुकायेंगे। कहा यह जाता है कि हमने बहुत बड़े बान्ध बनाये हैं, उन बांधों से सिंचाई होगी और उस सिंचाई से इतनी आमदनी होगी कि हमारी रियासत को बहुत भारी आमदनी हो सकती है। उससे हमारी इन्कम बढ़ेगी और उस इन्कम के बढ़ने से हम डेफीसिट के बजाय सरप्लस में रन करने लगेंगे और फिर ऐसा होने पर हम सारा रुपया मय सूद के वापिस कर देंगे। यह बात दिखती तो बड़ी सुन्दर है लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय, हमें इसका दूसरा ही रूप दिखाई देता है। आज हम यह सोचते हैं कि इस प्रकार के बांध बनाने से हमारी इन्कम बढ़ेगी। हमारी सरकार अब डेफीसिट के बजाय सरपलस में रन करेगी और इससे हमारा प्रान्त अनाज से भरपूर हो जायगा, अनाज की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं यह सारी बातें केवल स्वप्न ही स्वप्न के रूप में दिखाई देती हैं। जो बांध बनाये गये वे टूट गये, उनमें करोड़ों रुपया असेट का लगा, राजस्थान की करोड़ों सम्पत्ति उसमें व्यय हुई वह चन्द कृपा पात्रों की वजह से उस रुपये का दुरुपयोग हुआ।

श्री अध्यक्ष—यह आप क्या डिस्कशन करने लग गये . . . . .

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, जो पैसा कर्जे के रूप में लिया जाता है और उसका दुरुपयोग हो तो वह कहना ही पड़ता है।

यहां कर्जे के लेने की बात ही नहीं है। आज यह कहा जा रहा है कि फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत हम खर्च कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि इस फर्स्ट फाइव इयर प्लान से तो हमारे गांवों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना से हम क्या आशा कर सकते हैं ? आज भी खाद्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि हमने शहरों में १४॥ रुपये मन का गेहूं दे रहे हैं, लेकिन वे तो शहरों को ही देते हैं, हम गांव वालों को कौन पूछे ? हम गांव वालों की आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार कर्जे ले ले कर हमारे राजस्थान पर कर्जे का भार क्यों बढ़ा रहे हैं और इसी कर्जे की वजह से हमारे प्रान्त में महंगाई बढ़ रही है और जब इन कर्जे की वसूली की वारी आयगी उस समय जनता पर और टैक्स लगाये जायेंगे। इन सब बातों को देखते हुए आज हमारे सामने यह समस्या पैदा हो गई है, हमको कर्जा लेना है या नहीं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह कर्जे का जो मामला है इस पर खूब सोच विचार के काम करना चाहिये, यह जो पब्लिक डेट बिल, १९५६ है जिसके ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में कहा गया है १९५४ का यह एक्ट पार्ट बी स्टेट में लागू नहीं होता है इसलिये इसे राजस्थान में लागू करना था, यह जो बात ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कही गई इसलिये भी मुझे कुछ निवेदन करना है। कुछ फाइनेन्स से वाकिफयत

[श्री मानसिंह महार]

रखने वाले आदमी उसमें हों, वे इस बात की जांच करें कि जो रुपया कर्जे के रूप में लिया जा रहा है या जो लिया गया है या जो अब लिया जायगा उन पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखने वाले आदमी अगर इसमें हों और इस प्रकार के सुधार का इसमें कोई समावेश किया जाय कि जो पब्लिक डेट ले रहे हैं उसका सदुपयोग होगा तो यह स्वीकार करने के लायक हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे डेट्स निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि छः वर्ष के अन्दर बीस करोड़ का ऋण हो गया, आज हमें यह देखना है कि उसको किस प्रकार वापिस किया जायगा। मैं यह मानता हूं कि जिस आदमी पर कर्जा हो जाता है उस आदमी को तो रात भर नींद नहीं आती।

मैं नहीं जानता कि हमारे यहां के मंत्रियों को किस प्रकार से नींद आती है। किस प्रकार से वे . . . .

श्री अध्यक्ष—आपको नहीं आती है न? आपको को तो नहीं आती होगी?

श्री मानसिंह महार—मुझे तो ठीक नींद आती है। मैं मंत्री मंडल में हूं नहीं, इसलिये १२-१ बजे तो नींद आ जाती है। पर इन मंत्रीयों को तो नींद आने के अलावा ये दिन बदिन वजन में भी बढ़ते जाते हैं। मैं तो आशा करता हूं कि इस बात पर हमको विचार करना चाहिये। इसे पास तो करना है ही। पर इसके ऊपर कुछ रोक-थाम कर सकें तो इसके लिये निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक दस-पन्द्रह आदमियों की सिलेक्ट कमेटी में बैठकर हम बात कर लें। रुपये-पैसे के खर्चे पर जरूर अंकुश होना चाहिये। कर्जा आप लीजिये, इस पर रोक करना हम नहीं चाहते और रोक करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। जो करना होता है वह तो आप पहले ही कर लेते हैं। यहां तो कर लेने के बाद आप आते हैं। पर खैर कर्जा आपने ले लिया सो ले लिया। पर यह भी तो विचारणीय है कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाय अब? कहा यह जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये चाहिये था यह रुपया। पर हमारे यहां तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो हम क्या आशा रक्खें?

ऐसी स्थिति में मैं सदन के सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस कर्जे के मामले को, जिससे कि राजस्थान की जनता दबी जा रही है, गौर से देखें और इस मसले पर ध्यान पूर्वक विचार करें और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजकर वहां इसे सही ढंग में लावें।

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा—आप भी बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष—सपोर्ट करेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रक्खा है इसके द्वारा इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, यह जो कहा गया है इस का मैं समर्थन

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करता हूं और इसका पहला कारण तो यह है अध्यक्ष महोदय, कि जिन मेम्बर इन्चार्ज ने यह बिल पेश किया है वे खुद ही इसके द्वारा जो बात प्रस्तुत करते हैं उसके जरिये ही मैं समझता हूं कि वे खुद ही इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात का समर्थन कर रहे हैं, अब व्यवहारिक रूप में वे इसे चाहे माने या नहीं मानें। मैं इस बिल के क्लॉज ३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह जो इंगलिश ट्रान्सलेशन इसका हमें मिला है उसके अनुसार वह क्लौज यह है : "If any difficulty or doubt arises in giving effect to the purposes and provisions of this Act, the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette make such provisions or give such directions as appear to be necessary for the removal of such difficulty or doubt." तो खुद मेम्बर इन्चार्ज द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि इसमें कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसे लागू करने में कई डिफिकल्टीज भी पैदा हो सकती हैं और इसलिये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने अपना कोई माइन्ड एप्लाई नहीं किया है इस कानून के बनाने में, उन्होंने तो केन्द्रीय सरकार के बराबर का जो कानून था उस कानून को वैसा का वैसा म्युटेटिस म्युटेंडिस (*Mutatis Mutandis*) लागू करने के बारे में एक क्लॉज रख दिया और इसके बाद यह महसूस किया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसे लागू करते समय कठिनाइयां पैदा हो जावें, क्योंकि यह कानून जिस वक्त जिन परिस्थितियों में बना था वह काफी पुराना समय था, आज की बदली हुई परिस्थितियों में उस समय का बना कानून काम नहीं आ सकता, इसलिये ऐसा क्लॉज रक्खा है जिसे एक तरह से हम ओम्नीबस लेजिस्लेशन कह सकते हैं। कानून वगैर पास किये ही इस क्लॉज का तात्पर्य यह होता है कि विधान सभा का कार्य भी लगभग राजस्थान की सरकार को दे दिया जावे कि वह मौका बेमौका जैसा भी चाहे वैसा नोटिफिकेशन जारी करके उसके जरिये डिफिकल्टीज रिमूव करती जावे। तो जब खुद सरकार ने स्वीकार किया है, खुद मेम्बर इन्चार्ज ने प्रस्तावित क्लॉज में स्वीकार किया है तो इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि इस कानून को प्रवर समिति के सुपर्द कर दिया जावे।

यह तो हुई सारे के सारे कानून के बारे में जो मैंने दलील दी है उसके एक अंग के बारे में बात। लेकिन एक दूसरी चीज की ओर भी मैं संकेत करना चाहूंगा जिसकी ओर संकेत करने में मालूम नहीं, क्यों संकोच हो रहा है। यों एक दो बार तो मंत्री महोदय ने एतराज भी उठाया। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स की ओर दिलाना चाहूंगा। उसमें लिखा है—"The Public Debt Act, 1944, of the Central Legislature does not extend to Part B States and there is no law in Rajasthan relating to the floating of loans by the Government and the management by the Reserve Bank of India of such loans." मंत्री महोदय उल्लेख तो कर गये इस बात का कि कर्जा लेने से और इस कानून से क्या सम्बन्ध है? पर मैं अदब से अर्ज करूं कि इसका बहुत सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध है संविधान के कारण। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि यदि किसी स्टेट गवर्नमेन्ट को पब्लिक डेट फ्लोट करना है तो इस प्रकार का कानून पास कराना उस के लिये लाजिम है कि जिसके अन्तर्गत इसकी सिक्योरिटियों आदि के मेनेजमेन्ट के सिलसिले में क्या व्यवस्था हो, वह ठीक तरह से करके रख दे तो आया यह कानून इस चीज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के लिये पर्याप्त कोई इलाज है कि सिक्योरिटियां जब हो गई तो उन सिक्योरिटीज का क्या किया जावे ? केवल इतना ही नहीं इस प्रकार के कानून का होना एक आवश्यक चीज है जिसके अन्दर पब्लिक डेट के सिलसिले में राजस्थान सरकार के अधिकार संकुचित और सीमित हो जाते हैं। तो इस कानून के विषय में हमें देखना पड़ेगा कि यह कानून जिन स्थितियों के कारण उपस्थित हो रहा है उन स्थितियों को मौजू तरीकों से सरकार ने हैन्डल किया है या नहीं।

मेरे मित्र ने उल्लेख किया कि इतना बड़ा हेवी ओवर ड्राफ्ट अकाउन्ट सरकार का है जो करीब करीब स्टेबेलाइज्ड है, क्या वह पब्लिक डेट में शुमार हो जावेगा ? वह तो नहीं होगा। उस स्थिति में तो कोई भी चीज रिजर्व बैंक के सामने नहीं जावेगी और दूसरी ओर गवर्नमेन्ट को, जो उसका इन्वेस्टमेन्ट है, डिबेन्चर्स इत्यादि के बारे में क्या पोजीशन होगी ? वह तो रिजर्व बैंक में नहीं जावेगी।

(गणपूरक घंटी)

श्री अध्यक्ष—Yes, go on

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसलिये यह बात ठीक है कि कर्जा गवर्नमेन्ट ने फ्लोट किया ३-९-५६ को और वह कर्जा सब्स्क्राइब भी हो गया और अब इसके बारे में देखभाल करने के लिये किसी ने किसी को अधिकार दिया जाना चाहिये और रिजर्व बैंक को वह अधिकार दिया जाना चाहिये, तो वह अधिकार देने का कानून हमें बनाना है। लेकिन कर्जे के सिलसिले में जो आवश्यक कदम हैं उन कदमों में ऐसा कानून बनाना यह तो है ही लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में और भी जो दूसरी चीजें हैं उनके सिलसिले में भी विचार करना आवश्यक है। मस्लन एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी जो पब्लिक डेट फ्लोट किया है वह तो इसके अन्तर्गत आ जावेगा क्यों कि वह तो गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज़ का रूप धारण कर चुका, पर जो ओवर ड्राफ्ट इतने अर्से से चल रहा है जिसका आंकड़ा आठ-नौ करोड़ के लगभग है और वह भी परमानेन्ट डेट का रूप धारण कर चुका तो इसका क्या होगा ? यह भी प्रश्न निश्चित तौर पर विचाराधीन लेना चाहिये। साथ ही सरकार की जो प्रोपर्टीज हैं, जो दिल्ली में बड़ी बड़ी जायदाद हैं, ऊटी और आबू में बड़े बड़े हाउसेज हैं तो उनके बारे में भी विचार करना पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें भी साथ ही विचारणीय हैं और यह कार्यवाही की गई है, पिछला सत्र खतम हो जाने के बाद जैसा कि उन्होंने नोट किया है अपने ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में। ३-९-५६ को यह कर्जा लिया गया और इसके बाद में इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता हुई। इसके लिये एक आर्डिनेन्स शाया किया गया और उसी लेवल पर यह कानून पास कराया जा रहा है।

तो जो कुछ भी हुआ है वह दरमियानी अर्से में हुआ है। यह एक बहुत बड़ा निर्णय है और इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले उसके सब पहलूओं के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।

एक और कारण है, अध्यक्ष महोदय, कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इस कानून, को प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। वह कारण है जिसका संबंध सेन्ट्रल एक्ट से है। इस सेन्ट्रल एक्ट पर पूरे के पूरे एक्ट पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन चूंकि सारे का सारा कानून

Page No 55

[श्री हरिदत्त व्यास]

वैसे का वैसा राजस्थान के लिये लागू करने के संबंध में एक धारा जो कि प्रस्तावित बिल के अन्दर है, इसलिये मैं एक दो क्लॉज की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करके बताना चाहूंगा कि कैसी स्थिति पैदा हो जायगी ।

मसलन उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर ५ हजार के बोन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, और ऐसी हालत में अगर उस आदमी की डेथ हो जाय तो जैसा कि क्लॉज ९ में है जो कि "Summary procedure on death of holder of Government securities not exceeding five thousand rupees face value," तो उसकी डेथ हो जाय तो "..probate of his will or letters administration of his estate or a succession certificates issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, is not produced to the Bank within a period of 6 months, the Bank may determine who is the person entitled to the security or securities, or to administer the estate of the deceased and may make an order vesting the security or securities in the person so determined." तो यह जो क्लॉज है सारे भारत में कहां तक उचित है, कहां तक उचित नहीं है, कहां तक मौजू है और कहां तक मौजू नहीं है, यह देखना है । मैं समझता हूं कि राजस्थान की स्थिति में तो हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना पडेगा कि इस प्रकार के क्लॉज को वैसे का वैसा ही राजस्थान में लागू रखा जाय या नहीं रखा जाय, क्योंकि जैसा कि मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय भी परिचित हैं और इस सदन के कई माननीय सदस्य भी परिचित हैं कि राजस्थान की रूढ़ियों के अनुसार, राजस्थान की प्रथाओं के अनुसार, यहां की मैयत के सिलसिले में होने वाले कुछ कामकाज यह सब चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अन्दर कुछ अर्सा, अवधि बीत जाती है । उसके बाद सक्सेशन सार्टीफिकेट लेने के लिये और इस प्रकार की कार्यवाही करने में कुछ अर्सा गुजर जाय, यह छः महीने का अर्सा गुजर जाय और उसने कार्यवाही नहीं की । विल डिटरमिन (will determine) करने के लिये तो रिजर्व बैंक को अधिकार होगा, मैं समझता हूं कि ऐसी की ऐसी लागू करना राजस्थान की स्थिति में उचित नहीं होगा । उसका संशोधन हम करें । उसका संशोधन भी तभी हो सकता है जब कि यह कानून प्रवर समिति के सामने विचार के लिये जाय जो बिल प्रस्तुत है उसमें लिखा है कि ऐसा का ऐसा यहां लागू किया जाय । अब अगर ऐसे का ऐसा यहां लागू करना है तो प्रत्येक क्लॉज यहां लागू हो जायगा और यदि वह प्रत्येक क्लॉज लागू हो जायगा तो बड़ी कठिन स्थिति हो जायगी कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिनका कि राजस्थान की स्थिति में तरमीम करना आवश्यक है ।

मैं एक और क्लॉज की ओर ध्यान दिलाऊं जिसके बारे में इस प्रकार से ध्यान देना आवश्यक है । क्लॉज १२ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं : "If the Bank is of opinion that a doubt exists as to title to a Government security, it may proceed to determine the person who shall for the purposes of the Bank be deemed to be the person entitled thereto." और उसके बाद में जो प्रोसीजर रखा गया है वह प्रोसीजर इस प्रकार का है कि एक नोटिस इश्यू किया जाय । अब नोटिस के बारे में अर्ज करूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमने जितने कानून बनाये हैं उनमें हमने नोटिस का तरीका प्रेस्क्राइब किया है कि अमुक रूप से नोटिस किया जायगा । लेकिन इस कानून के अन्दर कोई तरीका प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है । सिविल प्रोसीजर कोड के अन्दर जिस प्रकार से नोटिस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

देने की व्यवस्था है कि कैसे नोटिस दिया जायगा, वह इसमें नहीं है। इस प्रकार की कमी रहते हुए राजस्थान के लोगों के लिए जहां कि बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोगों की कमी है ऐसी स्थिति में जैसी कि सारे भारत में कानून लागू हो जाय वैसा का वैसा ही यहां लागू हो तो वह बड़ी कठिन बात है। वित्त मंत्री महोदय ने क्या किया ? क्या उन्होंने इस प्रश्न के ऊपर भी गंभीर विचार किया है ? उन्होंने १९४४ के केन्द्रीय कानून को वैसे का वैसा ही लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया है। २५ जनवरी, सन् १९५० को जब कि हमारा संविधान लागू हुआ था और उस रात को २६ जनवरी, १९५० से संविधान लागू होने की दृष्टि से नये नये कानून बन रहे थे अथवा एडेप्टेशन हो रहा था उस दिन मंत्री महोदय अथवा राजस्थान सरकार ऐसा कानून पास करवाती या ऑर्डिनेन्स बनाती, श्रीमन् राजप्रमुख की ओर से दस्तख्त करके इस एडेप्टेशन का कानून पास करवाती तो बात थी, जल्दी का मामला था। भारत के और कानूनों को राजस्थान में एडोप्ट करने का प्रश्न था। लेकिन आज यह नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार का कोई कानून एडोप्ट करना है तो राजस्थान की स्थिति को देखिये यहां की हालत को देखिये। जिन लोगों ने राजस्थान को कर्जा दिया है उनके रहन-सहन, रीति रिवाज या दूसरे हालात को देखकर वैसा क्लॉज रखिये, चाहे वह मिलती जुलती ही हो केन्द्रीय कानून से, लेकिन उस प्रकार की क्लॉज में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको प्रस्तुत करना चाहिये था। लेकिन इस प्रकार के क्लॉजेज़ का कोई भी उल्लेख इस कानून के अन्दर नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत से धाराऐं हैं। मैंने एक दो का उल्लेख किया है लेकिन ऐसे बहुत से क्लॉजेज, धारायें हैं जिनके बारे में ऐसी आवश्यकता है।

मसलन, मैं आपका ध्यान धारा १४ की तरफ दिलाता हूं। वह इस प्रकार है:—

"For the purpose of making any order which it is empowered to make under this Act, the Bank may request a District Magistrate or in an Indian State the Political Agent to record or to have recorded the whole or any part of such evidence as any person whose evidence the Bank requires may produce."

अब यह पोलिटिकल एजेन्ट या इन्डियन स्टेट कहां रहीं और आज हम एडेप्टेशन कर रहे हैं। तो खुद वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में यह है कि इसको एडोप्ट करने के बाद फिर डिफिकल्टीज एराइज होंगी। कुछ क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा और यह सब करने के लिये आवश्यक होगा कि किसी न किसी को अधिकार दिया जाय, तो उन्होंने इस क्लॉज के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकार लिये हैं अपनी राज्य सरकार के हाथ में। लेकिन जो कानून पेश किया जा रहा है उसको आप गौर फरमाइये, उसमें लिखा है, पहले तो राजस्थान पार्ट बी. स्टेट था किन्तु अब १५ दिन के बाद राजस्थान पार्ट ए. स्टेट हो जायगा। इतना अरसा हो गया है। हमारी दुनिया की हालत में तब्दीली आगई है। कितना अर्सा गुजर गया, लेकिन आज जो कानून पेश किया जा रहा है उसमें इन्डियन स्टेट, पोलिटिकल एजेन्ट और प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट का जिक्र है, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट का जिक्र है। इन सब चीजों का जिक्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसको एडोप्ट कर लें तो 'इंडियन स्टेट' का क्या मतलब निकलेगा? 'पोलिटिकल एजेन्ट' का क्या मतलब निकलेगा ? और फिर आवश्यक होगा कि राज्य सरकार इसको क्लेरिफाई करे। फिर आवश्यक होगा कि डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के बाद फिर नोटिफिकेशन निकाले।

Page No 57

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह जो कहावत है कि 'अन्धे को न्योते और दो को खाना खिलावे' ऐसी राजस्थानी कहावत के मुताबिक चलें क्यों ? क्यों ऐसी स्थिति पैदा करें जो कि आज की स्थिति के अनुकूल नहीं है ? फिर डिफिकल्टी को दूर करने के लिये कुछ न कुछ समावेश करने के लिये रखें । वित्त मंत्री महोदय को खुद महसूस करना चाहिये कि इस कानून को वैसे का वैसा ही एडोप्ट करने के बजाय इसको एक प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय और अगर प्रस्तुत कर देंगे तो ऐसी धारा ३ नहीं रहेगी और न ऐसी एब्सर्ड चीजों को एडोप्ट करने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत होगा । तो इन तीन मूल कारणों से जो मेरे माननीय मित्र ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जायगा ।

श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस कानून को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो सुझाव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

इस विधेयक पर कुछ विचार करने से पहले इस बात की आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार का जो राज्य ऋण अधिनियम है उसको ठीक तौर से स्टडी कर लिया जाय ।

परन्तु इस वक्त केन्द्रीय सरकार का राज्य ऋण एक्ट क्या है ? वह मेरे सामने नहीं है । इस वक्त जहां तक इस के ऑब्जेक्ट और रीजन्स का जो स्टेटमेन्ट है उसके द्वारा उस राज्य ऋण के इस अधिनियम के द्वारा कहां तक एक्सटेन्शन हो सकता है, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात तो यह है कि जो ऋण यहां की राज्य सरकार लेगी उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया का मेनेजमेन्ट रहेगा । अब वह रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया का मेनेजमेन्ट किस हद तक रहेगा और वह क्या क्या होगा, उसके वास्ते केन्द्रीय सरकार के उस बिल को स्टडी करना आवश्यक है । जो ऋण राज्य सरकार करे उसको इस राज्य में सुधार के कामों में और निर्माण के वास्ते यह सरकार स्वतन्त्र है या नहीं अथवा उस रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार सरकार इस ऋण को स्वतन्त्रतापूर्वक व्यय कर सकती है या नहीं कर सकती है; तो इस प्रकार की जो आशंकायें हैं वे फिर भी बनी ही रह जाती हैं । इसके अलावा इसमें जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता मित्र ने कहा था कि डिफिकल्टीज बहुत सा अराइज हो सकती हैं और वे डिफिकल्टीज क्या क्या होंगी ? वे यहां वेगटर्म में डिफिकल्टीज शब्द में इस्तमाल कर दी गई हैं । वे डिफिकल्टीज जो भी सम्भवतः हो सकती थीं; उनको इस बिल में इन्क्लयूड कर दिया जाना चाहिए था ताकि इस सदन के सदस्यों को जो कठिनाइयां आ सकती हैं, वे समझ में आसकती थीं । भविष्य में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं ? पहले ही सरकार को चाहिए कि इस विषय में रास्ता साफ कर दे और नोटिफिकेशन के द्वारा कठिनाइयों को दूर कर सके । इसलिए यह आवश्यक है कि सिलेक्ट कमेटी को, इस बिल को रेफर कर देना चाहिए । इसके अलावा राज्य सरकार ऋण लेती है उसको ब्याज के साथ वापिस चुकाना पड़ता है । हमारी सरकार की, इस समय भी यह हालत है कि हम निर्माण कार्यों के वास्ते ऋण लेने की व्यवस्था करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस ऋण को वापिस चुकाया जाय । वह चुकाना कैसे [illegible] सरकार के पास वक्त नहीं है । तो लाजमी होगा कि [illegible] टैक्स के भार से इस वक्त भी काफी दबी हुई है । तो इस प्रकार से ऋण ले लेकर के उसको चकाने

[श्री शम्भुसिंह]

के वास्ते सरकार टैक्स इम्पोज करे, यह वान्छनीय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इसमें यह होना चाहिए कि ऐसे ऋण के लिए नये टैक्स नहीं लगाये जावेंगे। जो अवांछनीय सरकार का खर्चा है उसमें कमी की जा करके या और किसी प्रकार से उस ऋण को चुका दिया जावेगा। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि इस बिल को, जो कि एक महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल का प्रभाव आम जनता पर पड सकता है, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। सरकार एक दलील यह दे सकती है कि हम इस ऋण से निर्माण कार्य करेंगे और अन्ततोगत्वा उन निमार्ण कार्यों से जनता का भला होगा और जनता की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परन्तु पहली पंचवर्षीय योजना जो गये साल समाप्त हो चुकी है, उस पंचवर्षीय योजना से जनता की आर्थिक स्थिति कहां तक सुधरी है वह हमारे सामने है। आज हम अनाज के सिलसिले में भी स्वावलम्बी नहीं है। तो इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकार के ऋण के वास्ते यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम तो यह निवेदन कर दूं जैसा मैंने निवेदन किया कि यह सिक्योरिटीज सब स्टेट्स में किस फार्म में, कैसे निकलें उसको रेगुलेट करने के लिये कानून बना हुआ है। पब्लिक डेट एक्ट, १९५४ का जो एक्ट है, वह एक्ट अभी तक अपने यहां लागू नहीं था। पालियामेन्ट ने यह पास तो कर दिया। यह सब स्टेटस् पर सिवाय जम्मू और काश्मीर के लागू होगा। लेकिन उसमें यह निर्देशन है कि किस तारीख से लागू होगा। यह तारीख बाद में बतावेंगे। यह पास होकर आया है। उसमें जो शब्द हैं वे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं: "It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf." लागू तो हो गया है। कौनसी तारीख से लागू होगा, यह नोटिफिकेशन में नहीं आया है। हमने लोन फ्लोट किया और उसको रेगुलेट करने के लिये ऑर्डिनेंस लागू किया। धारासभा की बैठक हो रही है तो वह ऑर्डिनेंस रिपील होगा। आज हम ऑर्डिनेंस को रिपील नहीं करके और इसको फोर्स में नहीं लाते हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है। इसीलिये आवश्यक है कि इसको पास किया जाय। यह उस अवधि तक होगा जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं निकल जाय। दस बारह दिन के लिये है, जैसा हमने अडोप्ट किया उसको अमेन्ड करके वे निकाल सकते हैं। तारीख की इन्तजार है। इसलिये हम जो एडोप्ट कर रहे हैं, वह उस वक्त तक के लिये एडोप्ट कर रहे जब तक कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का एक्ट एप्लाई नहीं हो जाता है जिस तरह से पालियामेन्ट ने पास किया है। यहां पर जिस तरह से पालियामेन्ट ने यह पास किया है, उसी तरह से एडोप्ट कर रहे हैं। क्या चीज खराब है, उसके डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। यह प्रोसिजरल रूल है और उसमें हमेशा यह होता है कि प्रोसीजर की डिफिकल्टीज अगर हो तो उसके लिये सेक्शन ३ प्रोवाइड किया है। कोई वजह नहीं है कि सेन्ट्रल पालियामेन्ट ने जो एक्ट पास किया है, उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और जो अपने आप लागू कर दिया जावेगा, उसको यहां लागू न करें। यह सब प्रोसिजरल चीजें हैं। दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। पंचवर्षीय योजना के लिये कर्ज की आवश्यकता है या नहीं

[श्री शम्भुसिंह]

कर्जा लेना चाहते हैं या नहीं, कैसे हो रहा है, ये सब डिसकशन हम सब कर चुके हैं । फाइव इयर प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके रिसोर्सेज भी डिस्कस कर चुके हैं । यह भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइव इयर प्लान में कर्जा लेंगे और कर्जा फ्लोट भी किया गया । और दो घंटे में जो लोन फ्लोट किया गया वह पूरा हो गया । तो इन चीजों में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । माननीय मित्र ने पहले भी इस पर बहुत काफी कहा था और अभी भी बहुत कहा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो उस तारीख तक ही लागू रहेगा जब तक कि वहां की तारीख नहीं आजाती है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसको वे वापिस ले लें ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने की जो बात कही है, वह बहुत सोच समझ कर कही है । मैंने नहीं समझा हालांकि मैं पहले से ही जानता था कि इस प्रकार की बातें मंत्री जी के तो घुसने की नहीं हैं । यह मैं पहले से जानते हुए भी एक बार फिर मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा । उन्होंने इसको जल्दी २ पास करने के लिये दो तीन दलीलें दी हैं । सबसे पहला तो यह उन्होंने फरमाया कि प्रोसिजरल मामला है । दूसरा यह फरमाया कि यह दस-पन्द्रह दिन के लिए एक इन्टरिम अरेन्जमेन्ट है ।

तीसरी बात उन्होंने यह फरमाई कि वह लोन २ घंटों में ही सब्सक्राइब हो गया था । मुख्य तीन मुद्दे उन्होंने हमारे समक्ष रखे । जोधपुर से आनेवाले माननीय मित्र ने इसमें कुछ खामियां बताईं । मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, कि पालियामेन्ट में यदि कोई कानून पास किया जाता है और प्रोसीजरल तरीके से यहां लागू करने का अधिकार होता है तो हमको कैसे वंचित किया जाता है ? यह कहकर कि यह प्रोसिजरल है, इसलिये इसमें बहस करने की या इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई गुंजाइश नहीं है । पालियामेन्ट म भी हमीं जसे ही लोग जाते हैं और हमीं उनको वोट देकर चुनते हैं । यदि वहां पर देवता स्वर्ग से आते होते तो हिन्दू धर्म को मानने वाला होने के नाते उन देवताओं के आदेश को मैं मान लेता । किन्तु यह बात नहीं है । तो हमको जब अधिकार है कि प्रोसिजरल तरीके पर भी इस पर विचार किया जाय तो हमें अंधे होकर पास करना ठीक नहीं है ।

यह बात भी कही गई कि केवल १५ दिन का मामला है, १ तारीख से तो और बात होगी । लेकिन हमको दुनिया की नजरों में नीचे नहीं देखना है, यह मैं मानकर चलूंगा । आज पोलिटिकल एजेन्ट, गवर्नर और इंडियन स्टेट्स इस प्रकार की बातें आज किसी कानून में हैं और उसको इस प्रकार लागू करना चाहते हैं तो उसको मैं अपनी अक्ल का दिवालियापन ही मानता हूं । यह कहकर कि यह १५ दिन के लिये ही है, कोई अन्यायपूर्ण और गलत बात की जाय और यह आर्गूमेन्ट दिया जाय कि १०,१५ दिन का मामला है कोई हर्ज नहीं होगा, तो यह उचित नहीं है । १०,१५ दिन में तो दुनिया का उलट पुलट हो सकता है । १०, १५ दिन कोई कम बात नहीं है । हाईकोर्ट ने आपको ३० दिन के लिये स्टे-आर्डर दिया था उस में आप कुर्सी पर कायम हो गये नहीं तो लटके हुये थे और इतने ही दिनों में मेनिपुलेशन वगैरह होकर सब कुछ हो गया । १५ दिन का तो लंबा समय है, उपाध्यक्षजी, इसको ये थोड़ा समय मानते हैं । हम कहते हैं कि ३ दिन के लिये ही इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दीजिये । इस समय सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने में यह किफायत है कि सेशन चल रहा है,

[श्री मानसिंह महार]

इसलिये सरकारी एक्सचेकर को भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि सदन की मीटिंग का समय टाल कर सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग की जा सकती है। यह बिल वित्त मंत्री जी से ताल्लुक रखता है और सरकारी पैसे का वे सदुपयोग करते हैं और उस पर उनका जबर्दस्त नियंत्रण है। यह मैं मानता हूं कि पैसे २ के लिये वे जान देते हैं। इसका नमूना बंदी के बंध मौजूद हैं, जिसमें बक्शो साहब इंजीनियर मुअत्तिल हो चुके हैं। लोगों का कहना कि गरीब इंजीनियर को ही क्यों मुअत्तिल किया जाय, अर्थ मंत्री जी को भी क्यों नहीं किया जाय। यह मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मेरे बहस का उत्तर है, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री मानसिंह महार—मैं अपना पोइन्ट पेश कर रहा हूं, मंत्री जी क्यों घबराते हैं ? वाजिब बात कही जायगी।

तीसरी बात आपने यह फरमाई कि हमारा लोन ३ घंटों में या दो ढाई घंटों में ही सब्सक्राइब हो गया। यह मुबारकबादी की बात है। मैं मानता हूं कि जो कर्जदार होते हैं, वे कर्ज लेने में ऐसे माहिर होते हैं कि जमीन में गडा पैसा भी निकलवाकर ले लेते हैं, लेकिन देते वक्त बडी दुर्दशा होती है, यह भी मैं साथ में मानता हूं। आज जो कर्ज लेने वाले हैं, उनकी दुर्दशा हो तो कोई बात नहीं। आज कर्जा लेनेवाले ले लेते हैं और दो चार वर्ष में उसका स्वाद उठा लेते हैं। ५० लाख रुपयों का ठेका हुआ उसमें से २५ लाख रुपयों का काम हुआ और २५ लाख रुपये हजम हो गये। उनको उसका स्वाद मिल गया। लेकिन देते वक्त नया टेक्स देना, इधर उधर की बातें करना आदि ये सब नये आदमियों को करना पड़ता है, यह अफसोस की बात है। यदि वित्त मंत्री जी कहते कि हमारे पास इतना अधिक रुपया है, उसमें से फलां प्रान्त को हमने इतना रुपया दिया या दूसरों को इतना दिया, यह कोई शोभा की बात नहीं है। कर्जा दूसरों से लेते हैं और कहते हैं कि २ घंटों में सबस्क्राइब हो गया। आप की क्या बढ़िया हुंडियां हैं जो दो घंटों में ही सिकर गई। जब वापिस दोगे तब गरीबों का खून चूस कर दोगे। उनकी ओर भी जरा सोचो। यह भी कोई दलील की बात है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अफसोस है कि अखबार वाला कोई नहीं है।

श्री मानसिंह महार (जारी)—मैं तो आपके दिमाग में जंचाना चाहता हूं। अखबारवालों के लिये तो आप लोग ज्यादा बोलते हैं। तो मेरा जो सिलेक्ट कमेटी को सोंपने का प्रस्ताव है, वह बहुत ही मौलिक सिद्धान्तों के ऊपर आधारित है।

चौथी बात यह है कि मंत्री जी ने फरमाया कि इसके लिये ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पास कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आया कि सन् ४७ से ५५ तक, राजस्थान बनने के इतने वर्ष बाद तक हमारी सरकार की नींद नहीं उडी कि इस प्रकार का कोई कानून हमारे यहां भी लागू किया जाय और फिर ५६ के अंदर एकदम से न मालूम क्यों आशंका या मुश्किल पैदा हुई जिनकी वजह से यह भी नहीं हुआ कि विधान सभा के लिये महीने दो महीने तक रुका जाय, इमर्जिन्सी ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। यह जो बार २ ऑर्डिनेंस पास करने की बात है, राजप्रमुख द्वारा यह उचित बात नहीं है। यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा तो सदस्य इस बात की ओर भी ध्यान देंगे कि कौनसी ऐसी आवश्यकता आ पडी थी जिससे ओर्डिनेंस के जरिये लागू किया गया। अगला बिल भी इसी प्रकार से

[श्री मानसिंह महाराज]

ऑर्डिनेंस के जरिये लागू किया गया है । समझ में नहीं आया कि ऑर्डिनेंस क्यों जारी किये जाते हैं ? ऑर्डिनेन्स जारी करने का अख्तयार गवर्नर या राजप्रमुख को दिया गया है, वह एक्सेप्शनल सर्कम्सटान्सेज में दिया गया है, इसलिये नहीं कि लेजिसलेचर दूर रहना हो तो ऑर्डिनेंस जारी करदें और फिर अपनी दलील का महत्वपूर्ण अंग रखें कि ऑर्डिनेंस कायम कर दिया गया है । इसलिये इस परंपरा को कायम रखना है । यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। चाहे आप बिल को यहां लाकर पास करते हैं या ऑर्डिनेंस पास करते हैं, यदि आप गलत बात करते हैं तो आपका विरोध करना पडेगा । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि टालमटोल की नीति अपनाई गई है । मैंने यह कहा था कि सिलेक्ट कमेटी में कुछ बातें ऐसी बढ़ाई जा सकेंगी जिससे सरकार पर चेक लगाया जा सके कि सरकार जो ऑर्डिनेंस पास करती है, उसका सदुपयोग करे । हम इसे सिलेक्ट कमेटी को केवल इसलिये भेजना चाहते हैं कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो । उपाध्यक्षजी, आप को अच्छी तरह मालूम है और आपही को नहीं बल्कि प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि आज हमारे पैसे का बहुत बुरा दुरुपयोग होता है । ऐसी सूरत में यदि हम लोग इस दुरुपयोग को रोकने की कोई कार्यवाही करें तो कोई बडी बात नहीं है । इसलिये मेरा सदन के सदस्यों से निवेदन है, मंत्री जी से मैं आशा नहीं करता क्यों कि यह पैसे का मामला है और यदि पैसे का मामला न होकर और मामला होता तो उनसे भी आशा की जा सकती थी । लेकिन यदि करोड़ों की संपत्ति नहीं आती है तो इधर उधर के लोगों की अगले चुनाव के लिये जेब भरने का सवाल कहां से आता ? इसलिये उनसे आशा करना व्यर्थ है, कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय । लेकिन मैं सदन के जिम्मेदार सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें कि हमारे पैसे का जो अंधाधुन्ध दुरुपयोग होता है और जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और जिससे हमारी सरकार को २५ परसेन्ट भी रिटर्न नहीं मिलता और जिसके लिये हमारी सरकार के पास यह जवाब नहीं है कि इतने रुपये किस प्रकार वापिस चुकायेगी, उस पर रोक लगावें जिनसे हमने कर्जा लिया है, उनको किस प्रकार से चुकायेंगे ? कहा जाता है कि इन पर जो रुपया लगाया है, इन बांधों से जो आमदनी होगी, उससे चुकाया जायगा । अरे साहब उनसे क्या आमदनी होने वाली है ? वे सारे बांध टूट चुके हैं । अब लानत है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि उनसे जो आमदनी होगी उससे कर्जा चुकाया जायगा और उससे हमें लाभ होगा । वे तो सब के सब मिट्टी के खिलौने थे, अब देंगे कहां से ? वह स्कीमें जो ऊंची २ थीं, वे तो सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब तो नया तरीका अख्तियार करें कि जिन्होंने एक लाख रुपया खाया है उनसे २ लाख रुपया वसूल करें, पर यह बात तो करनी नहीं है। हम लोगों को भी मुगालते में डाल रहे हैं और मुगालते में डाल कर हम लोगों को इस बात के लिये बाध्य करते हैं कि हम जनता को धोखे में डालें । इसलिये मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह पैसे का मामला है । इसके बारे में सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारे बडे राज्य का पैसा है उसका इसी प्रकार से दुरुपयोग होता रहेगा जिस प्रकार से आज तक हुआ है और चन्द लोग गुलछर्रे उडाते रहेंगे और जनता द्वारा हम लोगों पर भी यह दोष लगाया जायगा कि तुम लोग वहां पर बैठे हुए थे, फिर भी इस प्रकार की बातों को न रोक सकें । इसलिये मैं तो कम से कम इस बात से डिसोसियेट करने के लिये इस प्रस्ताव को रखता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय । इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिये ।

Page No 62

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानसिंह मझार ने राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

श्री जवानसिंह—Sir, it may be taken clause by clause.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि············

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसे पास किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जाय।

श्री जवानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, I will request you to allow me to speak on Clause 3 particiularly.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक का अंग बना।

श्री जवानसिंह—खण्ड २ का एक भाग पास किया, खंड २ का दूसरा भाग बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—खण्ड २ को अलग २ नहीं एक साथ ही लेने की बात कही थी। खंड २ संपूर्ण पास हो चुका है।

श्री जवानसिंह—I will like to request you one thing, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—वह खंड ३ पर कहें।

श्री जवानसिंह—I will like to request you with regard to clause 2 (2).

श्री उपाध्यक्ष—वह स्टेज निकल गई।

श्री जवानसिंह— अभी आपने फरमाया कि वह क्लॉज़ निकल गई, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो एक्ट लागू कर रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेन्ट या स्टेट शब्द दिया है ? जिसके लिये इस बिल में यह प्रोविजन रख रहे हैं। मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जितने रूल्स पास हुए हैं उनमें 'स्टेट गवर्नमेंट' आता है प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट के स्थान पर। जहां पर जनरल क्लाजेज एक्ट में स्टेट का जिक्र आया है, जो प्रोविन्सेज थे, उनकी जगह स्टेट शुमार किया जाय । हर एक जगह ही स्टेट गवर्नमेन्ट है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कॉपी सर्कुलेट की है, उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ओरिजनल एक्ट की कॉपी सर्कुलेट की गई है । एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के जरिये, प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट की जगह, प्रोविन्शियल स्टेट्स शुमार किया जाय, ऐसा किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ स्वीकार किया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—खण्ड ३ पर तो बोलने की आवश्यकता है, सारी बात ही खण्ड ३ पर है । आपने आज्ञा भी दी थी कि खण्ड ३ पर बोला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है, बोलिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं खंड ३ का विरोध करना चाहता हूं। मूल रूप से इस बिल का खण्ड ३ है, वह एक कानून के सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत ही अवांछनीय है । लेजिस्लेटिव की जहां पर भी परिभाषा की गई है उसमें इस बात पर जोर, रोजाना दिया गया है कि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कहीं पर भी, किसी हालत में नहीं होने दिया जाय । अर्थात् जिस बोडी को अधिकार है वही उस कानून को बनाये, वही उस अधिकार को उपयोग में लाये । जैसे यदि पार्लियामेन्ट को अधिकार है तो पार्लियामेन्ट को चाहिये कि वही कानून बनाये और अगर विधान सभा को अधिकार है तो विधान सभा को चाहिये कि वही उस कानून पर विचार करके वह कानून बनाये ।

पर विधान सभा को जो अधिकार है उसको किसी दूसरी ओथेरिटी को अधिकार सौंपने का प्रस्ताव किया जाय तो वह मैं समझता हूं कानून के मूल सिद्धान्त का बहुत बडा खंडन हमसे यहां करवाया जा रहा है ।

मैं तो यह भी समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि संविधान के दृष्टिकोण से क्लॉज़ ३ एक गैरकानूनी क्लॉज़ है, राजस्थान सरकार को इस प्रकार का अधिकार दिया जाय यह कानून की खिलाफवर्जी है ।

[श्री ? रिकृष्ण व्यास]

ऐसे अधिकार देने का तात्पर्य होता है del g gated l gisl ion कानून बनावें बल्कि कानून बनाने का अधिकार और किसी को दे दें। राजस्थान विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार किसी को प्रदान करना यह अधिकार राजस्थान विधान सभा की सीमाओं के बाहर की चीज है लेकिन इस क्लॉज ३ के अन्तर्गत हम देखते हैं कि इन सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि राज्य सरकार नाम की एक चीज है। उस वस्तु को जिसे राज्य सरकार कहा जा रहा है, उसे हम यह अधिकार दे रहे हैं कि वह विधान सभा की एवज में काम करे यानि Proxy) प्रोक्सी का काम करे और वह भी ऐसे मौके पर दे रहे हैं जब स्थिति बहुत गभीर है। (घंटी) जब हालत ऐसी है, हम इसको १५ तारीख को पास कर रहे हैं और १७ तारीख को कौन जानता है कि कौन नेता हो या वित्त मंत्री कोन हो, १७ तारीख की दौड धूप चल रही है इसी में सब लोगों की दिलचस्पी लग रही है। ऐसी हालत में राज्य सरकार की कोई बात नहीं। कोई न कोई तो सरकार होगी ही चाहे यह हो चाहे वह हो। कोई न कोई होगा ही। चाहे लडका हो, चाहे बुजुर्ग या नव-जवान हो। लेकिन मैं तो राज्य सरकार को नोन पर्सनलएन्टी मान कर अर्ज करू कि राज्य सरकार एक चीज है, तो वह अधिकार उसको क्यों दिया जावे? वैसे तो अधिकार हम दे नहीं सकते। पहले तो यह है कि हम इस चीज को बहुत गैर मामूली किस्म की चीज मानते हैं और अपने को इ * बात को स्वीकार नहीं करना चाहिये। लेकिन इसमें और कठिनाई पैदा होती है और वह यह होती है कि क्लॉज ३ को पास करने के बाद विधान सभा का इस कानून के संबंध में जो काम है वह तो खत्म हो गया। यह तो सरकार को इस प्रकार का ब्लेंक चैक हो गया कि राजस्थान सरकार जिस तरह चाहे उसको काम में ले सकती है। दस्तखत चैक पर किये हुये हैं राजस्थान सरकार चाहे जितना आंक भर दे।

अब रही विश्वास की बात। इसके लिये हम जानते हैं कि जिन लोगों पर हमने विश्वास किया उस विश्वास का नतीजा बुरा निकला। जब उनको अधिकार दिया उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और इतना ही नहीं सैकडों बार बिना अधिकार लिये ही उन्होंने अधिकारों का उपयोग किया। फिर इस प्रकार के रेकर्ड के बाद तो इस प्रकार के अधिकार देना कतई उचित नहीं होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूगा कि इस प्रकार के अधिकार विधान सभा को अपने हाथ में रखने चाहिये। हां, जहां पर कोई कानून में परिवर्तन की बात आ जावे या रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के नाम पर संशोधन की बात आ जावे या नोटिफिकेशन के जरिये नई धाराओं के समावेश करने की बात हो तो धारा सभा के सामने वह बात आनी ह' चाहिये और उसके आये बगैर वह कानून जैसा का वैसा पास नहीं किया जा सकता। मगर धारा ३ जिस रूप में पास की जा रही है उसका मतलब यही होगा कि सेन्टर का कानून है, वह तो लागू कर दिया जाय और बाकी जो कुछ बातें रहती हैं उसके लिये हमको अधिकार दे दिया जावे कि कहीं यदि कोई धारा लागू नहीं होती होगी तो हम उसको दुरुस्त कर देंगे। मैं यह पूछना चाहता हू कि वे हम कौन हैं, वह हम हैं, हमारी राजस्थान सरकार। मेरा यह कहना है कि राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देने से न सिर्फ constitutional irregularity होगी, बल्कि किसी भी सरकार को जो अच्छी से अच्छी सरकार भी क्यों न हो, उसको भी बडे २ एग्जिक्यूटिव अधिकार नहीं देने चाहिये और बडे २ अधिकार एग्जिक्यूटिव मामलों में या कानून बनाने में देने से वही होगा जैसी कि कहावत अंग्रेजी में है "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जितना ज्यादा अधिकार हम राज सरकार को देंगे उतना ही ज्यादा नुकसान उस सरकार को होगा और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार को ज्यादा अधिकार दिये जायें और वह ज्यादा अधिकारों के कारण गलत रास्ते पर चले, हम नहीं चाहते कि उस सरकार की आंखों पर पट्टी बन्ध जाये। अभी पहले से arbitrariness की तरफ हमारी सरकार का झुकाव बहुत है। अब तो वह पराकाष्ठा को पहुंच चुकी है। जिस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जब चुनाव में राष्ट्रपति बन गया तो कुछ दिनों के बाद अपने सर पर ताज रख कर कहने लगा कि "I lay the crown on my head and the Republic is no more" वैसे ही सरकार नेपोलियन की तरह अपने सर पर ताज रख कर बोले कि "I am the crown. The law making body, i.e., the Legislative Assembly is no more." मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक नुकसानदेह चीज है। यदि हमें भारत सरकार के ही कानून को एडोप्ट करना है तो उसको किया जावे, लेकिन इसकी धारा ३ पास नहीं की जावे।

जहां तक कानूनी ढांचे का दृष्टिकोण है, उससे भी यह गलत चीज होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि विधान सभा को, इसको पास नहीं करना चाहिये। इसके पास नहीं होने से किसी प्रकार का कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है, कोई बाढ़ नहीं आवेगी। इससे तो राज्य सरकार के एकतंत्र पर अंकुश लग जावेगा और यही राज्य सरकार के हित में और दूसरे लोगों के हित में उचित होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको किसी भी हालत में पास नहीं किया जावे और ऐसी मेरी मान्यता है। मैं आशा करता हूं कि इसको पास न करके आप भयंकर कानून की खामी को दूर करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जिस प्रकार इस क्लॉज पर निवेदन किया गया, मुझे आशा तो नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष, यह कहें कि उन्हीं चीजों का रिपिटिशन हो रहा है। एक प्रश्न यह है कि इस चीज को जितनी गंभीरता से सोचें उतना ही कम होगा। यदि हमने इस धारा को, इसी रूप में मंजूर कर लिया तो कहीं पब्लिक यह कहने लग जाये कि राज्य सरकार ने विधान सभा के कानून बनाने के अधिकार को अपने हाथ में ले लिया, इसलिये अब एसेम्बली की कोई जरूरत नहीं रही। कानून बनाना एसेम्बली के हाथ में है और उसी के हाथ में रहना चाहिये। यह बात सरकार के खुद के हित में भी है। सरकार ने प्रजातन्त्र के ढांचे को चलाने की बहुत बडी जिम्मेदारी ली है इसलिये उसको सुचारु रूप से चलाये। उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि कहीं पब्लिक यह न कहे कि उन्होंने एकतंत्रीय तरीका अपनाया है, न की प्रजातन्त्र के तरीके को। यह प्रश्न गंभीर इसलिये है कि जहां तक सरकार को किसी कानून को लागू करने में बाधाएं आती हों वहां तक तो हमें रूल्स या रेग्यूलेशन बनाने की आवश्यकता महसूस होती है और उसको पॉवर देते हैं। लेकिन जहां पर किसी सरकार को कानून में प्रोविजन जोड़ने का प्रश्न आता है तो यह आवश्यकता होती है कि कानून में उसको किस प्रकार जोड़ा जाय या उसको रद्द किया जाए तो यह एसेम्बली का काम है। हमने आज तक जितने कानून पास किये हैं, इस प्रजातन्त्र ढांचे को अपनाने के बाद में, सबमें देखा है किसी भी कानून में, कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि सरकार को यह अधिकार

[श्री जवानसिंह]

दिया गया हो कि वह अपनी मर्जी माफिक कानून बना कर एसेम्बली को सिफारिश की हो। हमने अभी ऊपर की धाराओं में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का संशोधन किया है, वह भी विधान सभा में किया है। चाहे एक शब्द का भी संशोधन करना हो कानून में तो उसके लिये यह आवश्यक है कि विधान सभा में आए। विधान के अनुसार यह आवश्यक है कि वह हमारे सामने आए और तभी कानून में संशोधन स्वीकार किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की मुसिबत आती है तो इस प्रकार की धाराएं इस विधेयक में मौजूद हैं। यदि इस धारा को पास कर दिया जायेगा तो सरकार के पास ऐसा अधिकार हो जायगा जो नहीं होना चाहिये, और इस अधिकार के द्वारा वह कानून में जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहेगी करेगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रजातन्त्र को बेसिस मानकर सरकार चलती है, वह सरकार खुद इस बात को उचित नहीं समझेगी, कि इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखे। सरकार जनता को इस प्रकार का भी मौका नहीं देगी कि वह न्यायालय में जाकर अपना न्याय हांसिल करे। इस बात को हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि जो कानून बना रहे हैं, उसका ठीक तरह से इन्टरप्रेटेशन हो। हमें यह भी सोचना चाहिये कि हम इस प्रकार का कानून बना सकते हैं या नहीं। दूसरे न्यायालय हैं, विधान हैं जिस लिस्ट पर इन सब को जांचा जावे और यह कहा जावे कि विधान सभा को अधिकार था कानून बनाने का, और सरकार को यह अधिकार दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की धारा पास की जावे, इससे पहले इस बात को विशेष रूप से गंभीरतापूर्वक सोचें, कि इस बात का हमको अधिकार है या नहीं, कि हम इस प्रकार की धारा को पास करें और सरकार को इस प्रकार का अधिकार दें। इसलिये इस पर यह आवश्यक होगा कि इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया जावे।

श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल की धारा ३ पर मुझे भी कुछ कहना है। प्रजातन्त्र की जो सत्ता प्राप्त पार्टी है, उस पार्टी की तरफ से यह कानून हमारे सामने आया है। इसको देख कर बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो पार्टी इस बात का दावा करती थी कि जो सत्ता केन्द्र के हाथ में थी, जो एक शासक के हाथ में थी उस सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया और उस सत्ता को हमने जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा को सौप दिया। लेकिन जब इस प्रकार की कार्यवाही हम देखते हैं, कि जो विधान सभा को सत्ता प्राप्त है वह सरकार अपने हाथ में ले रही है, तो यह देखकर हमें बड़ा दुख होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि जो दफा तीन द्वारा जो अधिकार सरकार अपने पास लेना चाहती है, वह एक प्रकार से सदन की प्रतिष्ठा पर आघात है। इस सदन को ही यह अधिकार प्राप्त है, उसी में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो मैं नहीं सोचता कि जनतन्त्र कहां रहेगा? इस धारा में यह डिफाइन किया गया है वे कठिनाइयां क्या होंगी; वे प्रोवीजन्स क्या होंगे? बिना सदन में रखे हुए उस अधिकार को हस्तगत कर लेना कदापि वान्छनीय नहीं कहा जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष, यह सदन की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, बगैर इस बात का विचार किये वे मेम्बर चाहे इस तरफ बैठे हुए हों चाहे उस तरफ इस सदन के सदस्यों को जो विचार अधिकार प्राप्त है अगर उसको कोई छीनने की चेष्टा करता है उसको कदापि सहन नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सेक्शन के पास नहीं होने में अपना मत देंगे।

Page No 67

राज श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक डेट बिल की धारा ३ पर जो एतराज उठाया गया है उस पर मैं भी कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। यह एक विचित्र प्रकार के पॉवर हम सरकार को देरहे हैं जो दुनिया में कही भी देखने को हमें नहीं मिला है कि इस प्रकार के पॉवर्स किसी भी गवर्नमेंट को दिये गये हों। रूल मेकिंग पॉवर्स तो सरकार को दिये जाते हैं। सेन्ट्रल गवनमेंट के एक्ट में रूल मेकिंग पॉवर्स तो मौजूद हैं उसके मौजूद होते हुए भी एक विचित्र प्रकार के पॉवर्स इस धारा ३ में प्रोवाइड किये गये हैं जो बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं इसमें लिखा है कि :

"If any difficulty or doubts arises in giving effect...."

डिफीकल्टी और डाउट्स क्या अराइज होगी, यह तो मिनिस्टर महोदय ही समझा सकते हैं मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के समझ में आनी वाली बात नहीं। और उसके लिये स्पेशल प्रोवीजन रख देना समझ में आने वाली बात नहीं है। जब कि एक्ट में रूल मेकिंग पॉवर्स मौजूद हैं तो फिर डाउट्स और डिफीकल्टी अराइज होंगी, तो उसके लिये पॉवर्स लेना एक विचित्र बात है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खुद विचार करेंगे और इसको ड्रॉप करने की अनुमति देंगे। इन शब्दों के साथ मेरे पूर्व मित्र ने जो विचार प्रगट किया हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और हाउस से निवेदन करता हूं कि वे इस क्लॉज को कभी पास न होने दें।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज ३ के संबंध में निवेदन है कि इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जाय, कतई इसको पास नहीं किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में जो अधिकार सरकार लेना चाहती है उसमें हमारे वित्त मंत्री महोदय की तीव्र बुद्धि का नमूना सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार की धारा हमारे वित्त मंत्री के अलावा और कौन कानून विशेषज्ञ प्रस्तुत कर सकता है। मुझ जैसा अनाड़ी वित्त मंत्री की जगह होता, ऐसी धारा कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आती। मैं उनकी इस कलाबाज़ी को दाद देता हूं। वे एल. एल. बी. हैं, बहुत पुराने वकील हैं और बूंदी के तो बहुत प्रख्यात वकीलों में आप रह चुके हैं, माना कि उनकी प्रेक्टिस १०० रुपये माहवार से अधिक नहीं थी, फिर भी बूंदी के नामी वकीलों में गिने जाते थे; वे ही इस प्रकार की बातें रख सकते हैं; "If any difficulty or doubt arises in giving effect to the purposes and provisions of this Act, the State Government may by notification in the Rajasthan Gazette make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties or doubts." माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का कानून बनाना, इस प्रकार की बातें करना किस कानून में क्या डिफिकल्टीज क्या डाउट्स अराइज होंगे जिनका सरकार को मालूम नहीं तो फिर क्या कानून बनाने जा रहे हैं ? जब कानून के सिद्धांत का ही पता नहीं, यह खुद कानून पेश करने वाले को पता नहीं, वे खुद यह कहते हैं कि आगे चल कर कई मुश्किलातें आ सकती हैं इसलिये हम आंख मीचकर कानून बना रहे हैं, बाद में जाकर कोई बात महसूस होगी, उसके लिये अभी से कानून बना रहे हैं, यह जहां कानून का मखौल है वहां डेमोक्रेसी का भी मखौल है। सदन के समक्ष जो कानून लाया जा रहा है उस कानून के अन्दर इस प्रकार प्रोवीजन लाना उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि अगर रखा गया तो हम एक प्रकार से गलत परम्परा स्थापित करने जायेंगे।

[श्री मानसिंह महार]

हमने पहले पहले जब कुछ कानूनों में यह बात लगाई थी कि यह कानून विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट यानि फलां तारीख से लागू होगा तो उस समय हम समझते थे कि यह मामला एक दो कानून तक ही सीमित होगा, पर इस मामले को तो अब हर कानून में अद्रायां जाने लगा कि It will have retrospective effect इस प्रकार से अब आइन्दा यह एक नया रोग और चालू हो जावेगा और मुबारकवाद के पात्र हैं हमारे वित्त मंत्री महोदय कि जिन्होंने इस प्रकार की बात सदन के समक्ष रक्खी और ऐसी बात वही रख सकते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा तो शायद ऐसी बात रखने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, जो इतनी विलक्षण बुद्धि रखता हो, मैं मानता हूं कि आला और ऊंचे तथा मोटे आदमियों का दिमाग भी मोटा और ऊंचा ही होता है। इस बात को मानते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मैं उनके आला और मोटे दिमाग की तारीफ करते हुए भी सदन के मेरे मित्रों से निवेदन करूंगा कि उन्होंने इसके अन्दर यह क्लाज तीन जो रख है वह एक गलत परम्परा है। अगर इस प्रकार की बात रख दी जावेगी तो यह राजस्थान सरकार को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि हर कानून के अन्दर फिर जरा भी कहीं सरकार को डाउट हुआ और वह गजट में शाया करने की बात का फायदा उठाने लगी। और आज कल तो डाउट्स का एक दिखावा मात्र है। अगर वाकई में जिन आइन बात के डाउट्स के लिये ऐसा करते हों तो फिर भी बक्श दें, पर इनको डाउट्स क्या होते हैं वह भी मैं आपको बता दूं। इधर उधर की सिफारिश आ गई कि यह काम तो यों होना ही चाहिये तो उसको इस कानून के द्वारा समावेश कर लेने के लिये काम करना पडता है। यह तो हमारी वह राजस्थान सरकार है जहां पोस्ट्स के लिये आदमी नहीं होते पर आदमियों के लिये पोस्ट क्रीएट की जाती हैं। तो यह तो वह राज्य है। तो ऐसे राज्य में ऐसी सरकार को ऐसी पावर देना कहां तक न्यायोचित है, यह देखना है? हमें पात्र और कुपात्र तो देखने ही होंगे। हम ये अधिकार दे भी सकते हैं, अगर कोई पात्र हो, अच्छी सरकार हो अगर साल भर बाद, दो साल बाद ऐसे आदमी सरकार में आवें तो उनको ऐसे अधिकार देने में हिचकिचाहट नहीं होगी, पर आज तो इनकी पात्रता को देखते हुए ये अधिकार किसी हालत में नहीं दिये जाने चाहियें। तो पात्र और कुपात्र का भी एक बड़ा भारी सवाल है। हमें यह देखना होगा कि जिनको हम इस प्रकार के एक्टिंग पावर देते हैं वे लोग किस प्रकार से इनका दुरुपयोग कर सकते हैं, उस पावर का किस प्रकार से मिसयूज करते हैं। तो इन सब बातों को जानते हुए ही हमने यह रक्खा है कि ये अधिकार इस सरकार को नहीं देने चाहियें। यह हम आज ही नहीं देख रहे हैं, बरसों से देखते चले आ रहे हैं और इन विगत दो वर्षों में तो ऐसा देखा है कि शायद ऐसा आज से पहले किसी ने देखा भी न होगा और आगे भी देखने में नहीं आवेगी। ऐसी ऐसी बातें इस सरकार की हुई हमने देखी हैं और फिर आज वित्त मंत्रीजी हमारे समक्ष यह धारा रखते हैं कि "Power to remove difficulties" क्या खूब! यह नई बात आपने ईजाद की है। इसके लिये तो मैं मुबारकबाद दूंगा वित्तमंत्रीजी को, उपाध्यक्ष महोदय। पर सदन के अपने मित्रों से कहूंगा कि कानून के अंदर कठिनाई दूर करने का कोई सवाल नहीं आता। कठिनाइयें पैदा कौन करता है? ये वकील लोग करते हैं। तो अगर आपको ये डिफिकल्टीज रिमूव करनी हैं तो इस तबके को दूर कर दीजिये। मतलब यह कि आप अपने अपने आपको वित्त मंत्रीजी की पोस्ट से रिमूव करें। मैं तो वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि वे भी वकील हैं और हर

Page No 69

[श्री मानसिंह महार]

वकील चक्कर चलाते रहते हैं, उनके दिमाग में भी एक चक्कर चलता रहता है, वे किसी भी बात को सही ढंग से नहीं सोचते हैं, उनकी हर बात चक्कर खाई हुई होती है, उनकी हर बात पेचीदा होती है और वे पेचीदगियां ही वे सदन में रखते हैं और उनको इसी प्रकार से रखना चाहते हैं। हमारे वित्त मंत्री महोदय को अपने किसी साथी या बूंदी के किसी कृपापात्र को फायदा पहुंचाना हो तो इसकी आड़ लेकर जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से करके कह दें कि हमें तो इसमें फलां कठिनाई आ गई थी और उस कठिनाई को दूर करने के लिये यह बात गजट में शाया करना चाहते हैं और शाया करके उस कठिनाई को इस प्रकार से दूर करना चाहते हैं। तो आपको यह सोचना चाहिये। अगर एक बार कानून बनने के बाद में उसमें आपको कठिनाई सामने आवे तो दूसरी बार अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं कानून में। आपका तो ठिकाना नहीं, पर आइन्दा जो दूसरे वित्त मंत्री बनेंगे तब वे इस तरह का नया अमेन्डमेन्ट का कानून ला सकते हैं। पर आज आपको पहले ही क्या ख्वाब आ गया कि यह डिफिकल्टी आवेगी? क्या आप फरिश्ता हैं कि आप आज जान जाएंगे कि आगे चलकर यह डिफिकल्टी आवेगी। और सबसे बड़ी मखौल की बात तो यह है कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि यह चीज तो पन्द्रह दिन के लिये की जा रही है। जब हमने प्रस्ताव रक्खा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे तो बड़े लहजे के साथ उत्तर मिला कि १५ दिन का यह तो इन्टेरिम अरेन्जमेन्ट है। तो मैं कहता हूं कि अगर पन्द्रह दिनों के लिये यह बात इसमें नहीं रक्खी जावे तो क्या इन १५ दिनों में कोई प्रलय होने वाला है? क्या ऐसी डिफिकल्टी आ जावेगी? इसको अगर गजट में भी शाया करेंगे आप और शाया होने को भी हुआ तो, आपका आज का प्रेस का इन्तजाम भी जैसा है, उसके हिसाब से तो इन पन्द्रह दिनों में वह शाया भी नहीं हो सकेगी बात और १ नवम्बर तो उसके शाया होने से पहले ही आ जावेगी। तो फिर इस क्लॉज को आज रख कर हमको भी आप अपने साथ राजस्थान की जनता के सामने हास्यास्पद क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों इस सदन की मखौल कराते हैं? जनता यह समझेगी कि इस विधान सभा में भी ऐसे आदमी हैं जो इस सरकार के कारनामों को जानते हुए भी यह उम्मीद रखते हैं और उन उम्मीदों पर यह धारा पास कर रहे हैं कि कठिनाइयां दूर करने के लिये गजट में शाया करके कोई शाया होने की उम्मीद करते हैं और फिर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार को इतने निर्बाध अधिकार दे रही है, यह सदन कि वे जो चाहें शाया करा सकते हैं। तो यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इसलिये सदन के प्रत्येक विचारवान सदस्य से मैं निवेदन करूंगा और खासकर कानून के जानने वाले हमारे वित्त मंत्री महोदय से तो जरूर निवेदन करूंगा कि यह जो क्लॉज है वह बड़ा ही विचित्र क्लॉज है, इसे वे न रक्खें और गलत परम्परा न डालें। अगर इसको लागू रक्खेंगे तो नतीजा यह होगा कि आइन्दा कानूनों में भी यह एक नई चीज जोड़ दी जाया करेगी। यह हमको कई बार मालूम हुआ है और आज भी मालूम है कि हमारी सरकार के कई कानून ऐसे हैं जो इन्हीं खामियों की वजह से कई बार हाईकोर्टों में चेलेन्ज होते रहते हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ फैसले होते रहते हैं।

लोग भी हमारी मखौल उड़ाते हैं कि किस तरह के कानून यह सदन पास करता है। पर वास्तविक बात जनता को भी मालूम नहीं है। यहां तो बहुमत के जोर पर सारा काम करा लिया जाता है। कम से कम इतना जरूर होता है कि कोई भी कानून हमारे सामने आता है और हमारे सामने पेश होता है, हमारी राय भी ली जाती है, पास भी हमारे ही सामने होता है, हालांकि यह बात

[श्री मानसिंह महार]

जुदी है कि हमारी उस राय की उनके सामने क्या कीमत है, यह हम सब जानते है, वे तो अपने बहुमत की बात करते हैं। पर यह जरूर है कि हमें भी खरी-खोटी सुनाने का तो मौका मिलता है। तो जहां तक हमारी राय देने का प्रश्न है हमारी इस बारे में यही राय है कि यह प्रोवीजन जोडा जाना कोई जरूरी नहीं है। अब आप हमारी राय चाहे मानें या न मानें यह आपकी मरजी है। बहुमत आपका है, जैसा चाहो करो और फिर यह तो एक विधान सभा के सदस्यों से बचने के लिये सबसे माकूल तरकीब हमारे वित्त मंत्रीजी ने निकाली है और उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह बात भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस प्रकार का क्लॉज रखना यह एक तरह से पार्लियामेन्टरी फार्म आफ गवर्नमेन्ट को एक चुनौती है, डेमोक्रेसी को एक चुनौती है। इस प्रकार का क्लॉज रखकर संविधान सभा के अख्तियारात लेना किसी भी सरकार के लिये फासिज्म की तरफ कदम रखने का द्योतक है। मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की गलत परम्परा अगर हमारे वित्त मंत्रीजी १५ दिन के लिये डालते हैं तो यह वे बडी बुरी बात करते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, उनके तो दिन भी अब बहुत नजदीक आ गये। उनकी तो खुद की लाइफ भी अब १५ दिन की और है, सदन में तो कम से कम। आइन्दा किस रूप में वे रहेंगे, यह कौन कह सकता है।

(अनुप्रासंगिक बोलने पर घंटी)

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा जाते करते कम से कम यह कलंक का टीका, मित्र होने के नाते भी मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा, कि वे जाते जाते इस कलंक के टीके को सिर पर न लें। लोग यही कहेंगे कि जाते जाते भी यह एक नई बीमारी वे राजस्थान में शुरू कर गये और बधाई तो हमारी तरफ से वित्त मंत्री महोदय को यही है कि वे जल्दी ही मध्यभारत में जा रहे हैं; तो मध्यभारत में चले जाने की मुबारकबादी देते हुए, उनसे यही कहूंगा कि जाते जाते वे इस चीज को तो वापिस लेते जावें और अपनी इस गलती को महसूस करें। इस प्रकार की बातों से आप हंस भले ही लीजिये अपने दिल में, पर इस तरह की हंसी हंसना आपको शोभा नहीं देता। वे बहुत बढ़ चुके हैं और अधिक बढ़ने में क्या अच्छाई है ? मैं तो कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी, इस क्लॉज ३ को डिलीट करने का जो प्रस्ताव है उसको सहर्ष स्वीकार कर लें और अगर यह डिलीट भी हो-जावेगा तो पन्द्रह दिनों में कोई प्रलय नहीं आवेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आवेगी। अगर फिर भी वे इस पर प्रेस करेंगे तो यह सब दिखावे की बात होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात सदन के सामने आई है और जब कि इतने सदस्य एक चीज के खिलाफ हैं तो क्या वित्त मंत्रीजी इसे नहीं मानेंगे और अपनी ही बात को पकड़ कर बैठ जावेंगे और कहेंगे कि साहब, यह सदन में इस तरह का कानून पास होना ही चाहिये; तो यह कहां तक ठीक बात है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब दूसरी विधान सभाओं में इस तरह का कानून पास नहीं होता है तो राजस्थान के अन्दर इस तरह का कानून पास करके इस प्रकार के असीम अधिकार सरकार को देना कहां तक उचित होगा ? क्योंकि सरकार को अधिकार देने में कितनी डिफिकल्टी सरकार को आती है और उनके अन्दर गजट में निकाल कर चाहे जैसे सरकार कर सकती है। परन्तु जो कानून है वह तो विधान सभा के

[श्री मुक्तीलाल मोदी]

अन्दर सरकार को पास कराना है। इस बिल के अन्दर और कोई संशोधन लाकर अगर कानून पास कराना है तो पास करायें। परन्तु उनको अधिकार दे दें और वे गजट में निकाल कर एक चीज का उल्लेख कर दें तो यह जनता के लिये उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार हर वक्त किसी न किसी कानून को पास करा लेती है और फिर गजट के अन्दर शाया करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। उसी तरह से हम जितने भी विधान सभा के सदस्य हैं वे यह मान कर चलते हैं कि आज कोई भी कानून पास हो वह विधान सभा में हो और उस तरह का अधिकार सरकार को नहीं दिया जाय जैसा कि भारत की संसद और विधान सभा के अन्दर इस तरह का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज दरअसल में बहुत ही घातक क्लॉज है। यह मूलभूत प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना करने वाला क्लॉज है। मैं निवेदन करूं कि इस क्लॉज के अन्दर सरकार को जो पॉवर्स दिये हैं उन पॉवर्स को देना आज की स्थिति के अन्दर उचित नहीं है। धारा सभा से पूछ कर कानून बनाने चाहिये, चाहे रूल मेकिंग पावर्स सरकार को दे दिये जांय, लेकिन डिफिकल्टीज का नाम लेकर जब चाहे तब राज-पत्र में शाया करके सरकार कानून लागू करदे तो इस तरह का अधिकार सरकार को दे देना ठीक नहीं होगा। वित्त मंत्री महोदय इस क्लॉज को अपनी प्रतिष्ठा का क्लॉज नहीं समझें। यह राजस्थान धारा सभा के अधिकार की बात होगी। जब यह अधिकार भारतवर्ष की कोई भी विधान सभा ने नहीं दिया है तो फिर यहां क्यों होना चाहिये? यह अधिकार जो आप ले रहे हैं यह शोभनीय नहीं। यह प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार के लिए अशोभनीय विषय है कि बहुमत के जोर पर ऐसे कानून पास कराये जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और इस क्लाज को इस रूप में पास नहीं किया जाय, नहीं तो यह राजस्थान विधान सभा के लिये अशोभनीय विषय होगा। मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे सम्माननीय उधर बैठने वाले मित्रों ने क्लॉज ३ के ऊपर बहुत काफी बहस की है, और कुछ इधर उधर के तर्कों के जरिये यह बताने की कोशिश की है कि इसके जरिये राजस्थान सरकार अपने हाथ में बहुत बड़े अख्तयार ले रही है इस एक्ट में। इस बात का पता नहीं कि वह क्या कर दे ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, उधर बैठने वाले माननीय मित्र जो बोलते हैं वे जिस प्रकार के कानून के ज्ञाता हैं उतना तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी वकफियत कानून से रखता हूं उसके सहारे कह सकता हूं कि प्रोसीजरल लॉ और सब्स्टेन्शल लॉ में बहुत भेद होता है। प्रोसीजरल लॉ में हमेशा इस तरह की क्लॉजेज रहा करती है कि जिसके जरिये कोई प्रोसीजरल डिफिकल्टी आती है या कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जिससे कि मेंन एक्ट को लागू करने में किसी तरह की डिफिकल्टी एराइज हो जाती है तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। सेक्शन ९९ सी. पी. सी. का इस तरह का है कि जिसमें कोई इर्रेग्युलेरिटी हो जाती हैं और कोई ऐसी चीज नहीं होती है तो सब्स्टेन्शल बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कानून है पब्लिक डेट एक्ट, यह भी प्रोसीजरल लॉ है। अगर मेरे सम्माननीय मित्र उसके प्रोवीजन्स को देख लेते तो यह प्रोजोजन एराइज नहीं होती।

Page No 72

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसमें सिक्योरिटीज क्या होंगी ? किस फार्म में ठीक होंगी ? रिजर्व बैंक को सिक्योरिटीज के ट्रान्सफर के बारे में क्या अख्तियारात होंगे ? किस तरह से ट्रान्सफर की जा सकती है ? डेथ हो जाने पर किस तरह से सक्सेसर को वह मिलेगी । यह सारी की सारी जो बातें हैं वे सारी प्रोसीजरल बातें हैं। यह चीज है। डिफिकल्टीज और डाउट्स जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि वकीलों के जरिये एराइज होते हैं। यह मैं मानता हूं कि उनकी यह ऊंची सूझ होती है लेकिन यह भी एक वकील की सूझ होती है कि कानून की डिफिकल्टीज को किस तरह से हल निकाला जाय उसका इस कानून में प्रोवीजन रखा है। यह कहना कि बहुत बड़े अख्त्यार मिलने वाले हैं सर्वथा अनुचित है, क्योंकि, जो डिफिकल्टीज और डाउट्स एराइज होंगे उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किसी चीज में इस प्रोवीजन को एप्लाई करने के सिलसिले में अगर कोई डिफीकल्टीज और डाउट्स एराइज होंगे, जो कुछ भी बाद में ऑर्डर्स पास होंगे वे they vill be subject to the main Act और उस मेन एक्ट के सब्जेक्ट होने के नाते उसको किसी तरह से सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। उसको फुलफिल करने के लिये कोई भी डाउट्स और डिफिकल्टीज एराइज हो जाती हैं उसको सरपास करने के लिये गवर्नमेन्ट को अख्त्यार होते हैं कि वह उस तरह से ऑर्डर्स पास कर दे।

मेरे किसी सम्माननीय मित्र ने ऐसा कहा कि और जगह किसी एक्ट में नहीं है। बहुत सारे एक्टस में इस तरह का प्रोवीजन है। पार्ट बी लॉज एक्ट में इस तरह का प्रोवीजन है कि जहां भी दूसरे एक्ट को एक्स्टेन्ड किया जाता है वहां बहुत सी जगह ऐसे प्रोवीजन्स मिलेंगे। ऐडप्टेशन में डिफिकल्टीज आ जाती हैं, डाउट्स क्रियेट हो जाते हैं, उस जगह अख्त्यार होते हैं कि वह किसी प्रोवीजन को गिव इफेक्ट करने के लिये डाउट्स एराइज हो जाते हैं, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिये यह प्रोवीजन्स होते हैं और पार्ट बी स्टेट्स लॉज एक्ट में मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का सेक्शन ७ पार्ट बी स्टेट लॉज एक्ट में है :—

> "If any difficulty arises in giving effect in any Part B State to the provisions of any Act or Ordinance now extended to that State, the Central Government may, by order notified in the official Gazette, make such provisions or give such directions as appear to be necessary for the removal of the difficulty."

इसी सूरत में मौजूदा एक्ट एडोप्ट किया गया है। मुमकिन है कि डिफिकल्टी एराइज हो जाती है इसलिये इस प्रोवीजन का रहना बहुत आवश्यक है। इसके रहने से कोई अख्त्यार नहीं मिल जाता है, कोई बड़ी पॉवर नहीं मिल जाती है। इसलिये मैं नम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि ऐसी चीज से कोई हानि नहीं है। यह प्योरली प्रोसीजरल मेटर है, किसी के राइट्स, किसी के अख्त्यारात में कोई दखल नहीं पहुंचता है। यह ओब्जेक्शन्स ख्वामख्वाह का आब्जेक्शन है। यह विरोध जो कुछ भी किया गया है वह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ को स्वीकार किया जाय।

(मतदान पर राज्य पक्ष की ओर से अधिक मत होने पर)

Page No 73

श्री हरिकृष्ण व्यास—Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—डिविजन करालें।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि खंड ३ को स्वीकार किया जाय

(मतदान के पश्चात्)

"हां" पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—"ना" पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार—"ना" पक्ष जीता।

श्री हरिदेव जोशी—"हां" पक्ष जीता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—A yes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—मत विभाजन चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां साहब।

("सरकारी पक्ष से खड़े कराकर मत विभाजन करा लीजिये" इस प्रकार की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष—हां वाले हां पक्ष की लोबी में जावें, ना पक्ष वाले ना पक्ष की लोबी मे जावें।

(सरकारी पक्ष द्वारा 'शो ओफ हैन्डस" द्वारा मतविभाजन करा लेने की मांग)

Actual division.

(सदस्यों का हां और ना दीर्घाओं में प्रस्थान एवं विभाजन के पश्चात्)

हां पक्ष में ५५ मत और ना पक्ष में १२; हां पक्ष जीता।

(विभाजन सूची के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरिराम निवास—इतनी बड़ी मार कभी नहीं खाई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मारपीट कहां हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष—खंड ३ स्वीकार किया गया।

(विराम)

खंड ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकारी ऋण विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक, १९५६

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान सहकारी भूमि बंधक बैंक विधेयक को विचारार्थ लेने के वास्ते अभी जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें मैं एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसके बारे में मैंने लिखकर आपके सामने उपस्थित किया है।

यह विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है उसमें किसानों को लंबी अवधि के लिये ऋण देने का कुछ प्रावधान किया गया है, इस प्रकार की बात प्रतीत होती है। इसमें जो प्रोविजन्स हैं उनको देखने से कुछ बातें ऐसी प्रतीत होती हैं कि वे आपत्तिजनक गिनी जा सकें। जैसे इसमें अधिकार दिया गया है कि डिबेन्चर्स के मुत्तलिक रजिस्ट्रार ट्रस्टीज को कुछ अधिकार दे देवे और वे ट्रस्टीज फिर उन डिबेन्चर्स को इश्यू करने के लिये कार्यवाही करावें। तो उपाध्यक्षजी, ट्रस्टी इसमें किस प्रकार के होंगे और उन ट्रस्टीज का सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है, यह इसमें साफ नहीं है, हालांकि रजिस्ट्रार के ऊपर इस बात का दारोमदार रखा गया है कि वह ट्रस्टी कायम कर देवे।

दूसरी बात इस प्रकार की रहती है, जो आज-कल देखने में भी आती है। इसमें इस बात का भय है कि पक्षपातपूर्ण कार्यवाही इस प्रकार के अधिकारों को काम में लाने के लिये बरती जा सके और इस प्रकार के ट्रस्टी कायम करने में अपने फेवर के आदमियों को रखा जा सके। और भी कितनी ही ऐसी बातें हो सकती हैं। तो हालांकि इस बिल का उद्देश्य यह है कि किसानों को आमदनी बढाने के लिये उनको धन प्राप्त हो। इस बात का प्रोविजन करने के वास्ते इस बिल में व्यवस्था की गई है और इस बिल का जो उद्देश्य है वह आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस उद्देश्य को कार्यरूप में परिणत

[रावत श्री शम्भूसिंह]

करने के वास्ते और उन वचनों को मूर्तरूप देने के लिये जो साधन बरते जाने वाले हैं वे साधन आपत्तिजनक हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वे आपत्तिजनक नहीं हैं । अतएव इस बिल के बारे में आपसी बातचीत करके इस बिल को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है । यदि इसे छोटी कमेटी में या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो वहां बैठकर, खुलकर, शान्तिपूर्वक, विचार विनिमय किया जा सकता है । इतने बड़े सदन में इतने बड़े महत्वपूर्ण बिल के ऊपर इस प्रकार खुलकर विचार नहीं किया जा सकता । इस वास्ते इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि यह बिल एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और इस बिल के उद्देश्य से प्रतीत होता है कि लंबी अवधि के लिये किसानों को ऋण मिल सके, लेकिन इस ऋण के मिलने में जो दूसरी बुराइयां आ सकती हैं और पक्षपातपूर्ण कितनी ही बातें हो सकती हैं, उन बुराइयों से यह बिल अछूता रहे और इसके लक्ष्य की जो पवित्रता है वह बिल्कुल अक्षुण्ण बनी रहे ।

श्री एच० के० व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, there is no quorum in the House.

(गण पूरक घंटी के पश्चात्)

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यदि कोरम नहीं होता है तो फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लोगों की दिलचस्पी अभी और तरफ दिखती है, तो हाउस एडजर्न कर दिया जाय, ताकि इलेक्शन अच्छा हो जाय ।

रावत श्री शम्भूसिंह—तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों को सुगम तरीके से ऋण प्राप्त हो और वे उसका ठीक तरह से उपयोग कर सकें, यह इस बिल का उद्देश्य है पर इस बिल के अन्दर कतिपय धाराएं ऐसी हैं कि जो किसानों के हितों के विपरीत पड़ती हैं जैसे धारा ८ है। धारा ८ में है .... "Distraint when to be made." और भीतर से उस मोर्टगेज प्रोपर्टी को किस प्रकार हथियाया जा सकता है ? किसान ऋण लेंगे उस ऋण को अपनी जमीन को समुन्नत करने में लगायेंगे और उस ऋण को ठीक समय में अदा करने की कोशिश करेंगे। पर संभव है अतिवृष्टि के कारण, अनावृष्टि के कारण या और कोई दैवी प्रकोप हो सकता है, उस हालत में उससे जबरदस्ती वसूल करने का अधिकार देकर, जब काम में ले कर उसकी जायदाद को छीनने की कोशिश की जाती है तो कहीं उसकी जायदाद में हुई पैदावार को जबरदस्ती अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही है, तो यह किसानों को राहत देने की बात नहीं। किसानों को राहत देना इसका उद्देश्य है तो इस प्रकार की प्रोविजन्स हैं उनको बहुत ही लिबरल बनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा जोइन्ट हिंदू फैमिली के बारे में कई बातें आई हैं, उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो बिल आया है वह दूसरे राज्यों के बिलों को मद्देनजर

[रावत श्री शम्भूसिंह]

रखकर बनाया गया है, पर हमारे राज्य की अवस्था है उसका दूसरे राज्यों की अवस्था से कहां तक मेल होता है, इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिये। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, उसको मद्देनजर रखना है। इन सब बातों को मद्देनजर रख कर सिलेक्ट कमेटी में ही आपस में विचार विनिमय कर सकते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इस प्रकार का बिल जो किसानों से संबंधित है, जिस बिल का प्रभाव किसानों पर पड़ने वाला है तो इस सदन में जो हम लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिये आवश्यक है कि हम इस बात का विचार अवश्य करें कि कहीं ऐसा बिल तो पास न कर दें कि जो किसानों को राहत पहुंचाने की बजाय उनके लिये कठिनाई का बायस हो जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो वास्तव में किसानों का हित करने की बात करते हैं वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास। एक ही तरह का अमेंडमेंट है, इसी का समर्थन कर दीजिये।

श्री एच० के० व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे संशोधन में टाइम पीरियड अलग है इसलिये यह तो सेपरेट मोशन ही रहेगा।

मेरा यह संशोधन है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे, जो एक महीने के अन्दर २ रिपोर्ट पेश करे।

सबसे पहले तो मैं एक अजीब चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल के क्लाज ४१ की ओर आप जरा गौर फरमाइये, वह क्लाज ४१ कहता है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ (राजस्थान एक्ट नं० ३ ओफ १९५५) के क्लाज ४३ में सब क्लॉज (५) के पश्चात् निम्न लिखित सब क्लॉजेज निर्मित की जायंगी। राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६ जो है, उसकी क्लाज ५६ मैं पढ़ रहा हूं। सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक क्या लिखता है. क्लाज ४१ में कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ की धारा ५५ की उप-धारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं निर्मित की जायं, उप-धारा ६ और ७ उप-धारा।

इस प्रकार का कानून माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में तो क्या लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तो शायद ही कोई भी विधान सभा में प्रस्तुत हुआ हो। कानूनन जि ो एबर्सडिटी कहते हैं वह एबर्सडिटि यहां की गई है। यह कैसे ही गई, किस रूप में हो गई, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है लेकिन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट नं० ३ ओफ १९५५ इसकी सेक्शन ४३ को अमेंडमेंट करना है जो कि किसी कानून के लिये आवश्यक भी हो तो भी इस धारा का समावेश इस कानून में कभी नहीं हो सकता, यह तो इल्लीगल है और इसके लिये में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी असेम्बली के रूल्स ओफ प्रोसीजर के मुताबिक अगर ऐसी वैधानिक आपत्ति आ जाय और ऐसी आपत्ति की जाय कि यह वैधानिक तौर से इल्लीगल है तो अध्यक्ष महोदय चाहें तो एडवोकेट जनरल की राय ले सकते हैं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल की इसमें राय ली जाय। यह तो बड़ी भारी खामी है, एक एक्ट के अन्दर दूसरे बिल के जरिये कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो अलग ही अमेंडिंग बिल हो तभी उस संशोधित प्रस्ताव के रूप में, टिनेन्सी एक्ट के संशोधन प्रस्ताव के रूप में टिनेन्सी एक्ट की धारा ४३ का संशोधन करना मुमकिन हो सकता है; इसलिये इस सारे के सारे बिल का दारोमदार ४३ से निकल जाता है, वह अल्ट्रावायस है, इल्लीगल है। इसलिये मुझे अपने प्रस्ताव के मुतल्लिक अर्ज करने से पहले यह अर्ज करना है कि आप रूल्स के मातहत इस मसले पर विचार करके अपना निर्णय दें। यह लीगल कोम्पीटेंसी के बाहर की बात है कि वह लेन्ड के सिलसिले में राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक के सिलसिले में राजास्थान टिनेन्सी एक्ट का संशोधन नहीं कर सकते। अतः इस कानूनी मसले पर कानूनी राय आ जाने के बाद अथवा आपका निर्णय आ जाने के बाद आगे मुझे जो कुछ अर्ज करना है करूंगा। अतः मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ठीक तरह से विचार करके इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो आगे इस पर विचार करना बेकार है। सारा का सारा कानूनी आधार रूपी ढांचा कमजोर है। आप अपना निर्णय फरमा दें, इसके आगे मुझे जो कुछ अर्ज करना है, बाद में अर्ज करूंगा।

(श्री अमृतलाल यादव, सहकारी मंत्री, के बोलने के लिये खड़े होने पर)

I have requested that under our rules if any member claims that we are doing something which is outside the legislative competence of this House then the Speaker may call the Advocate General to address the House on the subject. On this point I have requested the Dy. Speaker to call the Advocate General because I think that, to amend the sections of the Tenancy Act in this particular Bill, is outside the legislative jurisdiction of this House because it is *ultra vires* of the Statement of Objects and Reasons of this Bill and also otherwise outside the legislative competence of this House.

श्री अमृतलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने पहले इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की बात कही और दूसरे, जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में यह बताया कि टिनेन्सी एक्ट में कोई भी संशोधन करने के लिये इसमें प्रोविजन नहीं किया जा सकता। पहले के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द ·····

श्री उपाध्यक्ष—इसके बारे में तो अभी और बहुत से लोग बोलेंगे। आप कानूनी मसले के बारे में ही कहें। इस पर तो अभी दो-तीन और बोलने वाले हैं।

श्री अमृतलाल यादव—मैं समझता हूं कि इसके बारे में कानून विभाग में दिखा दिया था और उन लोगों की राय है कि इसमें यह संशोधन किया जा सकता है और इसके लिये कुछ एक-दो

[श्री अमृतलाल यादव]

मिसालें माननीय सदस्यों को देने के लिये ढूंढी हैं। अभी उनको बतावेंगे जहां तक उसमें है, ऐसा हो सकता है। इसलिये यह बिल्कुल उपयुक्त है।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी अभी माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि इस प्रकार की ऐग्जाम्पल्स हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन एक बिल से दूसरे बिल में किया जा सकता है, तो इस प्रकार की मिसालें हाउस के सामने पेश कराई जावें।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि यह बिल कन्सीड्रेशन में ले लिया गया है, इसके लिये आप सिलेक्ट कमेटी आदि के अमेण्डमेंट के बारे में बोलें। मैं इसका निर्णय बाद में दूंगा।

श्री जवानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, would you kindly enlighten the House as to whether this Bill has been taken into consideration as you have already observed that because this Bill has already been......

श्री उपाध्यक्ष—यह बिल कन्सीड्रेशन के लिये प्रस्तुत है और इस पर विचार हो रहा है।

श्री जवानसिंह—Still the question has to be put as to whether this Bil has to be taken into consideration or not and before that stage the objection is very valid that the Advocate General may be called in the House and his observations may be heard.

श्री उपाध्यक्ष—अभी इसके बारे में आप लोग अपनी २ राय दें और सदन के सामने रखें। दूसरी बात जो थी उसका निर्णय अभी मैंने नहीं किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जो मोशन प्रस्तुत हुआ है उसमें सिलेक्ट कमेटी का जो संशोधन मैंने रखा है उसका निर्णय नहीं हो सकता और मैं अर्ज करूं उपाध्यक्ष महोदय, टिनेन्सी बिल जो है......

श्री उपाध्यक्ष—इसका सारे एक्ट पर असर पड़ता हो, ऐसी बात नहीं। एक क्लॉज के बारे में आपको जो कहना है वह उस समय आप कह सकते हैं जिस समय वह क्लाज कन्सीड्रेशन के लिये लिया जाय, उस वक्त इस बात पर विचार कर लिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास-इसमें एक कठिनाई और है उपाध्यक्ष महोदय। मैंने कानूनी और वैधानिक आपत्ति पूरी नहीं उठाई। मेरा यह निवेदन है, इसको विचार के लिये लेने से पूर्व एडवोकेट जनरल की राय सुन लेनी चाहिये। टिनेन्सी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसका संबंध एग्रेरियन रिफॉर्म्स से है इसलिये पुराने जितने भी कानून इस सिलसिले में बने हुए हैं वे तो एक हो गये। नये कानून के बारे में राजप्रमुख की सम्मति काफी नहीं, उसमें राष्ट्रपति की सम्मति होना आवश्यक है। तो इस बिल के अंग रूप में टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट इन्ट्रोड्यूस हो जाता है तो उसका मतलब यह है कि टिनेन्सी एक्ट के बारे में जो वैधानिक बन्धन है वह वैधानिक बन्धन अपने आप एलीमिनेट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो गया । तो मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को कन्सीडरेशन के लिये लिया जाय उसके पहले इस क्लॉज के बारे में निर्णय हो जाना चाहिये । इसलिये मेरा ऐसा खयाल है कि एडवोकेट जनरल को इस बारे में सुन लिया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—इस स्टेज पर एडवोकेट जनरल को सुनने की आवश्यकता नहीं । अगर किसी क्लॉज़ विशेष पर सुनने की आवश्यकता होगी तो उस वक्त एडवोकेट जनरल को बोलने की आज्ञा दी जा सकती है ।

श्री एच० के० व्यास—इस क्लॉज़ के बारे में अगर एडवोकेट जनरल की राय दूसरी होती है तो दूसरा ही क्लॉज रखना पड़ेगा । वह क्लाज इस बिल का इतना अनावश्यक क्लाज हो, ऐसी बात नहीं उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष—इसीलिये मैंने निर्णय दे दिया है कि एडवोकेट जनरल को अभी सुनने की आवश्यकता नहीं, इसलिये आप अपना जो संशोधन है वह प्रस्तुत करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी फिर से दरख्वास्त है कि इसके कन्सीडरेशन के निर्णय के पहले कम से कम एडवोकेट जनरल को सुन लिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निर्णय दे दिया है, अभी सुनने की आवश्यकता नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो उपाध्यक्ष महोदय, किस स्टेज पर सुनने की बात होगी ? क्या क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन पर वोट लेने के पहले या बाद में ?

श्री उपाध्यक्ष—पर्टिक्यूलर क्लॉज के बारे में जो आपको एतराज है, यदि उसके लिये आवश्यक समझा जायगा तो एडवोकेट जनरल को बोलने के लिये आज्ञा दी जावेगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो भी निर्णय दे दिया वह तो मुझे स्वीकार करना ही है और मैं उस सिलसिले में और कुछ नहीं कह सकता, केवल इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि यह जो दो सब क्लॉज डाले गये हैं टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट के रूप में वे बिल में · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष—मैंने निर्णय दे दिया है, आप अब उन डिटेल्स में मत जाइये । आपको अपने मोशन के बारे में जो कुछ कहना हो कहिये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके ध्यान में ला दूं उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज यह कर रहा था कि इस बिल में जो क्लॉजेज हैं, जो क्लॉज खातेदार टिनेन्ट्स के संबंध में हमने टिनेन्सी एक्ट में रखी है वह खातेदार लेन्ड को मोर्टगेज कर दें बैंक्स में । चूंकि राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट के जरिये केवल खातेदारी प्रोप्राइटरी टिनेन्ट नहीं इसलिये मूलतः इन क्लॉजेज के बगैर सारा का सारा बिल बेकाम का है, मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । अब मैं अपने संशोधन के जरिये जो कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह करूंगा ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक तो पहले कानूनी आपत्ति उठाई थी उसके अलावा मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है इस विधेयक को ठीक तरीके से, वाजिब तरीके से विचार करके सही रूप में पास करना है तो हमें एक प्रवर समिति के सुपुर्द करना बहुत आवश्यक है। आप अगर इसके स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं उनकी ओर गौर करेंगे तो आपको दो चीजें नजर आयेंगी, एक चीज तो यह है कि किसानों को एग्रीकलचर ओपरेशन्स के लिये अपने कर्जे से मुक्त करने के लिये अथवा इकोनॉमिक होल्डिंग के लिये कर्जे की अत्यन्त आवश्यकता रहती है यह आम स्टेटमेन्ट किया गया है। और दूसरा, सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये अलग अलग तरीके के सोचने की व्यवस्था की गई, इस प्रकार दूसरा स्टेटमेन्ट दिया गया है। इसी प्रकार का मद्रास स्टेट में जो कानून है उसी ढंग पर यहां पर कानून बनाने के इरादे से यह बिल बनाया गया है, ऐसा उल्लेख इसमें है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में जो नई प्रणाली शुरू हुई है, मैं नहीं कह सकता वह कहां तक दुरुस्त है, लेकिन कम से कम अच्छा तो नहीं दिखता। स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स के पूरे होजाने के बाद एक स्टेटमेन्ट ऑफ रीजन्स और जोड़ा जाता है। इस बिल में जो स्टेटमेन्ट ऑफ रीजन्स है वह मूल स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स से भिन्न है, मूल रूप से भिन्न है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि सेकन्ड फाईवं ईयर प्लान की योजना में कोऑपरेटिव लेन्ड मोर्टगेज बैंक्स की इस राज्य में बहुत आवश्यकता है ताकि किसानों को उनकी होल्डिंग्ज़ ऑफ लेन्ड पर लोंग टर्म लोन की फेसिलिटी दी जा सके, इसमें इस बात का बहुत बड़ा जोर है, चूंकि सेकन्ड फाइव ईयर प्लान शुरू हो गया इसलिये चूंकि ऐसी स्थिति पैदा होगई है, इसलिये लॉ इत्यादि बनने चाहिये। कल जाकर हमारा प्रान्त जब ए क्लास राज्य बन जायगा और अजमेर का इसमें विलीनीकरण होगा और अजमेर में इस सिलसिले में कानून बना हुआ है उसको देखते हुए राजस्थान में भी ऐसे कानून की आवश्यकता है। इसी प्रकार की दूसरी वजूहात स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्टस में दी गई हैं। मूल रूप में इस कानून का जो शुरूआती स्रोत है वह शायद रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है। हालांकि माननीय मंत्री महोदय, ने अपने स्टेटमेन्ट और स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इस बात का उल्लेख नहीं किया, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया, हालांकि उसका उल्लेख करना आवश्यक था। यह रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी जिसके चेयरमेन मैं समझता हूं, जहां तक मुझे याद पड़ता है बहुत बड़े अनुभवी अर्थशास्त्री श्री गाडगिल थे और उन्होंने देश के अन्दर जो देहातों में क्रेडिट की समस्या है, उस समस्या पर पूर्णतया विचार कर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जिनमें एक सुझाव यह भी है कि कोआॅपरेटिव लैन्ड मोर्टगेज बैंक्स का भी निर्माण किया जाय, केवल यही सुझाव प्रस्तुत किया हो यह बात नहीं। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने एक साथ कम से कम तीन या चार सुझाव प्रस्तुत किये और उस कमेटी की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया, इन सारे सुझाव को एक साथ लागू करना आवश्यक है। उसमें भी एक बहुत बड़ा सुझाव है, वेअर हाउस कोरपोरेशन का। किसानों को मौजदा कर्जे से राहत दिलाना बहुत जरूरी है, उनके उत्पादन को बढ़ाने में भी पूंजी की आवश्यकता है। चाहे जमीन को इकोनोमिक होल्डिंग के बनाने, पंप फिट कराने के लिये अच्छे खाद और बीज के प्रयोग के लिये आवश्यकता है पूंजी की और वह पूंजी भी सस्ते दर पर उनको सुलभ हो सके, उसके अलावा जो चीज वे पैदा करते हैं उनके उचित भाव पर बिक्री की और उनका

Page No 81

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उचित मूल्य मिल जाय इसलिये वेअर हाउस कोरपोरेशन बनाने का सुझाव उस कमेटी ने दिया है, लेकिन हालांकि राजस्थान में यह कानून पास कर चुके हैं जिसका संबंध मौजूदा कर्जे से है। बोहरगत के सिलसिले में भी एक कानून सदन के सामने प्रस्तुत होने वाला है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय, वेअर हाउस कोरपोरेशन के सिलसिले में अपने बयान में कुछ सफाई देंगे कि वे इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। इस बात की सफाई न होने से पहले लैण्ड मोर्टगेज बैंक्स का निर्माण करना, उसकी ओर सारा का सारा ध्यान देना, मेरे खयाल से उस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंग को छोड़ने की वजह से कई कठिनाइयां पैदा कर देंगे। यह खास समस्या है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

दूसरी ओर एक और समस्या है, मैं इस ओर भी संकेत करना आवश्यक समझूंगा। मद्रास में इस सम्बन्ध में जो कानून या उसको कॉपी करने की कोशिश इसमें की गई है, ऐसा स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में कहा गया है, लेकिन मद्रास के कानून में एक विशेषता है और वह विशेषता यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि मद्रास में चाहे तो आन्ध्र की ओर, चाहे केरल की ओर, ये होती हैं उनके अन्दर नहरी सिंचाई की व्यवस्था है। बाकी के इलाकों में मद्रास में तंजोर से लगाकर जो दो इलाके हैं जिनमें से कोमर्शियल क्रोप्स पैदा दक्षिण तक बड़ी मात्रा में कामर्शियल क्रोप्स पैदा होने की स्थिति नहीं है। राजस्थान में बहुत जल्दी सिंचाई की योजना के अन्तर्गत कॉमर्शियल क्रोप्स पैदा होने की स्थिति हो जायेगी और अगर यह स्थिति पैदा हो जावेगी तो एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आ जावेगी, जिसका बिल्कुल उल्लेख इस कानून में नहीं है और वह समस्या यह है कि खेती की पैदावार को बाजार के अन्दर उतरने चढ़ने वाले भावों के के अनुरूप में लैण्ड मोर्टगेज बैंक के ट्रान्जेक्शन्स को यूटीलाईज करना। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो हिस्सा पहले बरार के नाम से मशहूर था, वहां भी एसा एक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक था जिसका कि हैड आफिस तिलक स्टेच्यू के पास नागपुर में था। उस बैंक ने भी यह लैण्ड मोर्टगेज का काम शुरू किया और कई वर्षों पहले यह काम शुरू किया। सन् १९२९ के अन्दर जैसे ही दुनियां के अन्दर एक बडा आर्थिक संकट आया उसका नतीजा मध्य प्रदेश के बरार के इस इलाके में भी पडा और बहुत ज्यादा पडा क्योंकि, वह इलाका जो है काली जमीन का है और वहां कपास काफी मात्रा में पैदा होता है और इस मन्दी में कपास की ही कीमतों में लगभग ३० गुना गिरावट आई दो सालों के अन्दर अन्दर। उस गिरावट का नतीजा यह हुआ कि जो जमीन बैंक के पास मोर्टगेज पडी थी, उसकी बैंक वेल्यू बुक्स में तो और थी और फेस वेल्यू और हो गई और इस बुक वेल्यू और फेस वेल्यू में इतना अन्तर होगया कि साल दर साल बैंक को उन जमीनों को अपनी कैपिटल के रूप में बुक्स में दिखाने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था। वह बुक वेल्यू दिखाते गये और अन्त में इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को इसके लिये एक जांच कमेटी मुकर्रर करनी पडी और उस जांच कमेटी ने सिफारिश की कि ये बक के ट्रान्जेक्शन्स बेकार हैं, उसकी फेस वेल्यू अब १२ से १६ गुना तक कम हो गई है। एक रुपया की कीमत अब एक आना रह गई और बुक वेल्यू ऐसी हालत में वैसी की वैसी ट्रान्सफर करके दिखाते जाना इस बक के लिये कतई दुरुस्त कार्य नहीं है। लेकिन यह अब जो कानून बन रहा है उसमें मैंने बहुत गौर से देखा। इसके अन्दर जो जमीन की कीमत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होगी कि जिनका ताल्लुक इन कीमतों के उतार चढ़ाव से होगा, उससे निश्चित तौर से होगा कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लैण्ड मोर्टगेज कोआपरेटिव बैंक बन रहे हैं पर अगर इनके सामने इस समस्या का कोई फैसला न करें और अगर कानून के अन्दर इस समस्या की ओर ध्यान न दिलावें तो बहुत बडी खामी इसमें रह जावेगी कि जिसको दुरुस्त करना इस समय आवश्यक है। लेकिन यह तो बात हुई जहां तक इस समस्या की आम तौर पर जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में। अगर इस आम समस्या को छोड भी दें तो भी मैं समझता हूं कि इस कानून में और भी ऐसी कई धाराएं हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान क्लॉज ४ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्लॉज ४ के मुताबिक राज्य सरकार से परामर्श करके अथवा ट्रस्टी जो बैंक के हैं उनकी मन्जूरी लेकर जो बोर्ड बनेगा सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक का, वह डिबेन्चर्स इश्यू कर सकता है। और यह वाजिब बात भी है कि जब इस प्रकार के बैंक बनेंगे तो उसको अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये डिबेन्चर्स इश्यू करना आवश्यक भी होगा लेकिन केवल डिबेन्चर्स ही नहीं इश्यू कर सकते वह, क्लॉज ६ के अन्तर्गत "Guarantee by the State Government of principal of, and interest on debentures issued under Section 4." केवल डिबेन्चर्स इश्यू होते हों ऐसी बात नहीं, अब क्लॉज ४ के अन्तर्गत उन डिबेन्चर्स की गारंटी की भी व्यवस्था है और चूंकि क्लॉज ४ के अन्तर्गत डिबेन्चर्स जो इश्यू होंगे उनको राज्य सरकार उनके प्रिंसिपल और स्टे इन्ट्रेस्ट की गारन्टी करेगी और "Subject to such conditions as it may think fit to impose, shall, subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), carry the guarantee of the State Government." ऐसी अब स्थिति है तब इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठते हैं, कानूनी प्रश्न उठते हैं उपाध्यक्ष महोदय, पहला कानूनी प्रश्न तो मैं अन्त में उठाऊंगा क्योंकि एक कानूनी प्रश्न के बारे में आपने अपना जजमेन्ट रिजर्व रखा है और क्लॉज ६ की ओर संकेत करके एक और कानूनी वैधानिक प्रश्न उठाऊंगा। आपने आज्ञा दी है कि मैं अपने संशोधनों के पक्ष में, जो कुछ मुझे कहना है, पहले कह लूं इसलिये वह कानूनी आपत्ति अन्त में उठाऊंगा, पर अभी अभी इस बात की ओर संकेत करूंगा कि डिबेन्चर्स की राज्य सरकार गारन्टी कर रही है। राज्य सरकार इन्ट्रेस्ट की भी गारन्टी कर रही है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, यह लाखों करोड़ों का मामला है जिनमें डिबेन्चर्स के इन्ट्रेस्ट देने की गारन्टी सरकार कर रही है और इस प्रकार एक बहुत बडा ढांचे का निमार्णा किया जा रहा है और यह ढांचा तैयार किया जा रहा है, बगैर बारीकी से इस कानून को देखे बगैर। तो बगैर बारीकी के साथ विचार किये कोई भी निर्णय ले लेना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल हानिकारक होगा और राज्य को एक नये बोझे से दबा देने वाला यह निर्णय होगा और गारन्टी दे देने के बाद क्या स्थिति हुई उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं बताता हूं। बोर्ड ने, अथवा ट्रस्टी ने या बैंक ने मान, लीजिये कि कोई जमीन अपने कब्जे में ले ली और कर्जा दे दिया, उसकी जमीन मोर्टगेज करवाली और इसके बाद जब इन्स्टॉलमेंट पेऐबल हुआ और वह इन्स्टॉलमेन्ट बैंक को नहीं मिला। एक महीने तक नहीं मिला, तो फिर क्लॉज ८ के अन्दर अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों की ओर आप गौर करें :

"(1) If any instalment payable under a mortgage executed in favour of the Central Mortgage Bank or a mortgage bank or any part of such instal-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ment has remained unpaid for more than one month from the date on which it fell due, the Board or the Committee, as the case may be, may, in addition to any other remedy available, apply to the Registrar or to any person appointed by the State Government under section 6 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1953 (Rajasthan Act IV of 1953), to assist the Registrar for the recovery of such instalment or part by distraint and sale of the produce of the mortgaged land including the standing crops thereon."

तो इन्स्टॉलमेन्ट जो बैंक का ड्यू होगा, वह इन्स्टॉलमेन्ट वसूल करने के लिये तरीका कौनसा रक्खा गया है ? वह तरीका रक्खा गया है एक डिस्ट्रेन्ट इश्यू करना और वह डिस्ट्रेन्ट इश्यू हो गया तो इसके बाद में अटेचमेन्ट और सेल इत्यादि सब कुछ हो जावेगा । Sale of the produce रीस्टार्ट हो जावेगा । इतना ही नहीं पर आप क्लॉज ११ की ओर गौर करिये । क्लॉज ११ तो बहुत ताज्जुब का क्लॉज है । मैं समझता हूं कि इतने हद् दर्जे की दोषपूर्ण क्लॉज अथवा किसी के दोष को ढांकते हुए रखने वाला अन्य क्लॉज शायद ही प्रस्तुत करने की कोई इच्छा रखता हो, पर है यह इच्छा आज तो·········

एक माननीय सदस्य—कोरम नहीं है साहब ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह कोरम तो बडी अजीब चीज है साहब । कब है या कब नहीं है, इसका कुछ पता ही नहीं लगता ।

(गणपूरक घंटी के अनन्तर)

श्री उपाध्यक्ष—अब कोरम है ; आप बोलें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-तो क्लॉज ११ की ओर मैं संकेत कर रहा था और मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र कुछ और आ गये हैं । उनकी दिलचस्पी की यह बात है । उसमें यह लिखा है:—

"No defect, irregularity, impropriety, want of form or jurisdiction or non-observance of procedure in making any distraint or sale under the chapter shall vitiate such distraint or sale."

माननीय मंत्री महोदय, और उनके पास में बैठे हुए जयपुर शहर "सी" से आये हुए मेरे माननीय मित्र, यद्यपि वे पहले वाली चीजों के बारे में गौर तो फर्मा रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि वे क्लॉज ११ के बारे में भी गौर फरमावें और देखें कि आखिर क्या अल्फाज हैं । मैं खासकर जयपुर शहर "सी" से आने वाले मेरे माननीय मित्र का इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे क्लॉज ११ की ओर गौर फर्मावें: "No defect, irregularity, impropriety, want of form or jurisdiction...." आप गौर फर्मावें No want of jurisdiction shall vitiate such distraint or sale··अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रेन्ट इश्यू कर दिया गया और डिस्ट्रेन्ट में नाजायज सेल कर दिया लेकिन जुरिस्डिक्शन का नहीं होना यह भी उसको विशियेट नहीं करेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जुरिस्डिक्शन का नहीं होना विशियेट नहीं करेगा तो दुनियां के अन्दर कौन सी चीज डिस्ट्रेन्ट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को विशियेट कर सकेगी ? किसी के कब्जे की बात नहीं है, किसी के अधिकार की बात नहीं है, कानूनी बात नहीं है। कानून के अधिकार के बारे की बात है। किसी का एक मकान है जो बैंक के यहां बेचान नामें में है और जिसका अगर वह बेचान कर देती है तो वान्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन बेचान नामें पर कोई ऐतराज के काबिल सिद्ध नहीं होगा। किसी की चीज नहीं है वह डिस्ट्रेन्ट में दे दी, जहां जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां डिस्ट्रेन्ट में दे दी और कोई डिफेक्ट रह जाय डिस्ट्रेन्ट के अन्दर तो भी उसका कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ? कौन सा कानून है इस प्रकार के क्लॉजेज को प्रस्तुत करने का ? किसी ने नहीं सोचा है। आखिरकार यह काश्तकारों को राहत देने के सिलसिले में कानून बनाया जा रहा है और काश्तकारों को राहत देने में डिस्ट्रेन्ट जैसा प्रोसीजर लागू कर रहे हैं और लागू करने के बाद कह रहे हैं कि अगर गलती रह गई, खामी रह गई, दोष रह गया, तो अगर हमारे अधिकार की बात नहीं है तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन यह मोहरी तो यहां गिरेगी ही। पंचों की राय सिर आंखों पर, लेकिन वह मोहरी तो यहीं गिरेगी, वाली बात इस धारा में है। यह भी है। यह भी कोई जिद्द है ? यह कोई कानून बनाने का तरीका है। बहुत बडे बडे ढंग की खामियां इसके अन्दर रखी गई हैं व रह गई हैं उन्हें दुरुस्त करने का सवाल है। वे दुरुस्त तभी हो सकती हैं जब कि सिलेक्ट कमेटी बाकायदा बैठ कर इस पर गौर करे और फिर संशोधित रूप में कानून हमारे सामने प्रस्तुत करे।

केवल एक धारा होती तो संभव है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस धारा पर कुछ न कुछ ध्यान नहीं देते हुए काम चल जाता है, लेकिन इस कानून में तो बीसियों ही धाराएं ऐसी हैं। एक और धारा के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप धारा १९ पर गौर फरमावें। धारा १९ में यह लिखा है : "Right of mortgage bank or of the Central Mortgage Bank to purchase the mortgaged property at sale,—It shall be competent to a mortgage bank or the Central Mortgage Bank to purchase the mortgaged property sold under this Chapter, but the property to purchased shall be disposed of by such bank by sale within such period as may be fixed by the Trustee." अब उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप विचार कीजिये। सिविल प्रोसीजर कोड जो है आज अमूमन मोर्टगेज के साथ में ताल्लुक रखने वाली चीज है। वह एक कानून है जो देश भर में व्याप्त है और उसमें इस समस्या के बारे में जुदा ही दृष्टिकोण लिखा गया है और वह दृष्टिकोण यह लिखा गया है कि आखिर जिसके पास रहन रखी हुई चीज है, वह तो इस बात में नोरमली इन्ट्रेस्टेड होगा ही कि उसकी बोली ज्यादा नहीं लगे, अगर सेल की नौबत आये तो बोली ज्यादा न लगे। तो जाब्ते के अन्दर बन्धन रखा है उसके बारे में कि इस प्रकार की बोली दी जायगी, एक बार नहीं लेकिन ३ बार बोली ली जायगी। कन्फर्मेशन का प्रोवीजन रखा है और कन्फर्मेशन की स्टेज के लिये भी एक महीने का नोटिस रखा है। एक महीने का नोटिस होने के बाद अगर कोई भी प्रोपर्टी का कोपार्टनर बीच में आकर उतना एमाउन्ट रिडीम कर दे तो जो मोर्गेज के बारे में सेल हुआ है, अटेचमेन्ट के बारे में सेल हुआ है, उसको सेट एसाइड रखने के प्रोवीजन के लिए आर्डर नं० २१ में लगातार धाराएं हैं जिसके अन्दर प्रोटेक्शन दिया गया है। जो रहन रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे बैंक हो लेकिन जो रहन रखने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वाला है उस के लिए धारा १९ के अन्तर्गत जो जुमला अख्त्यारात दिये जाते हैं वे जुमला अख्त्यारात किसी रहन रखने वाले को दे नहीं सकते हैं।

इसी प्रकार क्लॉज २१ की ओर गौर फरमाइये कि हर दर्जे की गैर कानूनी चीज उसके अन्दर है। उसमें लिखा है : "When a sale has been made in professed exercise of a power of sale under section 14...."

उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्द तो, मैं समझता हूं, बिल्कुल ही अनप्रिसीडेन्टेन्ड हैं। ऐसा भी नहीं लिखा है "When a sale has been made in exercise of a power of sale under section 14.." लेकिन यह लिखा है ..'made in a professed exercise of a power....' यानी तथा कथित जो अधिकार है; अधिकार हों या नहीं लेकिन professed तो होना चाहिये जाब्ते में नहीं हो लेकिन ऐलानिया तो हैं। यह तो राठौडी फिर से शुरू हो गई। यह तो पुराने जमाने की तानाशाही शुरू हो गई। यह बेजाब्ती ऐसी शुरू हो गई कि जिसकी कोई इन्तिहा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, बडी जिम्मेवारी के साथ मंत्री महोदय, जवाब दें। कानून के बारे में रोज-रोज कहने वाले माननीय मित्र जवाब दें कि ऐसे शब्द आप दिखा सकते हैं कहीं, वह तो दूसरी समस्या के बारे में लागू हैं, लेकिन वे गौर करें इस बात पर कि 'When a sale has been made in professed exercise of a power of sale under section 14....' 'Professed exercise of a power', 'professed exercise of a sale', and 'professed exercise of a right are under section 14. What is that profession? As long as the provision is not applied it is absolutely nothing. That profession is equal to nothing. प्रोफेशन का ऐलान करके वे कहें कि मैंने तो मेरे तथाकथित अधिकारों का उपयोग किया था। उन तथाकथित अधिकारों के उपयोग के बारे में यह कहा जाता है कि अगर ऐसा कर ले तो '....the title of the purchaser shall not be impeachable on the ground that no case had arisen to authorise the sale or that due notice was not given or that the power was otherwise improperly or irregularly exercised, etc. etc.....' मैं अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कानून आखिरी में आप बना रहे हैं तो किस मन्शा से बना रहे हैं? एक ओर हम चाहते हैं कि ऐसे बैंक्स बनाने के बारे में कोई कानून हो, उनकी देखरेख के बारे में कोई कानून हो, उनके हिसाब किताब की जांच पडताल का कोई कानून हो, उनके ऑडिट का कोई कानून हो, राजस्थान सरकार की ओर से कोई देखरेख हो कि उसका काम ठीक रूप से चले। ऐसा नहीं हो कि जैसी बहुत सी फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आजकल बनती हैं और फिर सुनने में आता है कि ३८ मेम्बर्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने दस्तखत ही नहीं किये हैं और कितने मेम्बर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने यह नहीं किया है, वह नहीं किया है। उसके बारे में यदि सरकार कोई क्लॉज रखती तो वाजिब बात थी। उसके बारे में उल्लेख नहीं है। क्लॉजेज इस बात के लिये रखे गये हैं कि वह बैंक जो कर्जा देगी उसके पास अगर मोर्टगेज जमीन पडी रहेगी, उसके बारे में अगर आगे जाकर कोई डिस्ट्रेन्ट इश्यू कर दिया या सेल कर दिया और अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है तो परवाह नहीं है। कौन पूछने वाला है, अगर हमारा सेल कानून के अन्तर्गत नहीं हो लेकिन प्रोफेस्ड करने के लायक है तो कोई बात नहीं है। इस तरह की बेजाब्तगी का अधिकार देने वाला यह कानून है तो जो उसका मूल उद्देश्य

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

है उससे कहां कहां भटक गये हैं। मूल उद्देश्य दुरुस्त है। मूल उद्देश्य किसानों को क्रेडिट देने के सिलसिले में है, उनको पूंजी देने के सिलसिले में है और यह उद्देश्य सही है इतना ही नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी इस बात को लागू किया जाना चाहिये ऐसी किसी की भी राय होनी चाहिये। इस मूल उद्देश्य से वह भटक गये हैं। उसको वापिस खींचकर लाने की आवश्यकता है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरह की एक धारा ही नहीं अनेकों धाराओं में सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

अन्त में जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव के अलावा चूंकि आपकी आज्ञा हो चुकी थी कि कानूनी ऐतराजात बाद में कहें इसलिये मैं अब जो मेरा एक कानूनी ऐतराज है इस कानून के संबंध में, वह प्रस्तुत करना चाहूंगा और उसके ऊपर आप अपना रूलिंग दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने संविधान के मुताबिक कोई मनी बिल हो वह राजप्रमुख के सर्टिफिकेट के बगैर न तो विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न उस पर विचार किया जा सकता है और न ही वह पास किया जा सकता है। इस बिल के क्लॉज ६ के अन्तर्गत राज्य सरकार गारन्टी ले रही है, प्रिन्सिपल की और डिबेन्चर्स के ऊपर इन्ट्रेस्ट की और इस गारन्टी का तात्पर्य यह है कि कन्सोलिडेटेड फन्ड्स ऑफ दी स्टेट के ऊपर नई लाएबिलीटी प्रस्तुत की जा रही है। मनी बिल की जो परिभाषा है उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्तर्गत मनी बिल के बारे में यह कहा गया है कि कोई ऐसा कानून हो जिसके सम्बन्ध में कन्सोलिडेटेड फन्ड के ऊपर कोई लाएबिलीटी पैसे की हो, कोई लाएबिलीटी आती है किसी क्लॉज के अन्तर्गत तो वह मनी बिल हो जाता है। क्लॉज ६ के अन्तर्गत ऐसी गारन्टी देगा "..It shall carry quarantee of State Government." इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार की गारन्टी है, वह डिबेन्चर्स के ऊपर होगी।

श्री उपाध्यक्ष—राजप्रमुख की इसमें रिकमन्डेशन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो कहीं हमें सूचित नहीं किया गया है उपाध्यक्ष महोदय, वह तो इस बिल की अंगभूत चीज होनी चाहिये। कम से कम राजप्रमुख की रिकमन्डेशन साइक्लोस्टाइल होकर हमको सर्क्युलेट न हो जावे तब तक इसको रोका जाना चाहिये, नहीं तो यह तो इल्लीगल है।

श्री मानसिंह महार—कोरम नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बार बार कोरम नहीं होता है तो हाउस को एडजोर्न कर दिया जावे उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, आप को भी इसमें सख्ति बरतनी चाहिए। यह सदन के लिए एक बुरी परम्परा है कि बार बार पकड़ कर लाओ और फिर भाग भाग कर लोबी में चले जांय।

श्री उपाध्यक्ष—आज कुछ दिलचस्पी है।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—You continue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, वह राजप्रमुख की जो रिकमन्डेशन है वह पहले सर्क्युलेट हो, तब तो इस पर फर्दर कन्सीडरेशन हो सकता है। यह मनी बिल का रूप धारण कर चुका है। पहली जो आपत्ति थी, कन्सीडरेशन का बिल पास होने के पहले, मत लेने के पहले, आप एडवोकेट जनरल को बुलाकर राय लें कि इस धारा की क्या हालत रहती है। अतः इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे; वह एक माह में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। इसको मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। आशा है कि मंत्री महोदय, इन सारी चीजों पर विचार करके और उनके सहयोगी साथी बैठे हैं वे भी उनको उचित और मौजूं सलाह देंगे, इस आशा के साथ मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—राजप्रमुख की रिकमन्डेशन हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सर्क्युलेट नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—इसलिए वह पोइन्ट तो नहीं रहता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सर्क्युलेट होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सर्क्युलेट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह कोई जरूरी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसको कम से कम पढ़ कर तो सुनाया जाय सदन की सूचना के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह उसी तरह लीगल फोर्म में है जैसा होना चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हम यह तो कह सकें कि कब रजामन्दी दी? हम यह तो सुन लें कि राजप्रमुख की अमुक अमुक रिकमन्डेशन है।

श्री उपाध्यक्ष—वह आवश्यक नहीं है; पर्टिकुलर किस्म की नहीं है।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस प्रकार का मेरा संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह कानून अभी . . . .

श्री उपाध्यक्ष—जो अमेन्डमेन्ट इसके मुताल्लिक आ चुके हैं, इसलिये आप सामने में और

श्री मानसिंह महार--जैसा आप समझ लें उपाध्यक्ष महोदय। जैसा आपने फरमाया उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र और भीलवाडा जिले से आये मित्र का जो प्रस्ताव है, उनके समर्थन में दो शब्द निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल कुछ अपनी विशेषतायें लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इसकी एक विशेषता तो वही पुरानी चीज है कि पहले इसको ऑर्डिनेन्स के रूप में पास किया गया है; क्योंकि हमारी सरकार का रवैया तो शुरू से ही यह रहा है कि आगे सोचने की बात तो उनके दिमाग में आती ही नहीं, इसलिये कोई भी कानून हो, फिर जब वह एन मौके पर आ जाता है तो उसको जल्दी से ऑर्डिनेन्स के रूप में पास करना पड़ता है। फिर यह कहा जाता है कि यह जरूरी था और हाउस सेशन में नहीं था इसलिये ऑर्डिनेन्स के रूप में यह पास किया गया। यह तो पुरानी नीति है अपनी। हालांकि मैं यह निवेदन करूंगा कि राजप्रमुख के द्वारा ऑर्डिनेन्स को पास कराना एक बहुत ही अनुचित तरीका है। ऑर्डिनेन्सेज तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मसलों पर होने चाहिये। वैसे छोटे मोटे मामलों को ऑर्डिनेन्स द्वारा पास करने से मैं समझता हूं कि जनता के हकों पर भी और लेजिस्लेचर के हकों पर भी कुठाराघात होता है।

दूसरी विशेषता इस बिल की उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे जोधपुर से आये मित्र ने बताया है कि इसके अन्दर Amendment of Rajasthan Tenancy Act, 1955 के रूप में धारा आई है। यह भी एक नई चीज है। मैं समझता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अगर अमेन्ड करना है तो यह कहां का कायदा है कि एक दूसरे कानून के अन्दर लाकर उन क्लॉजेज को अमेन्ड किया जाय। वाजिब चीज तो यही थी कि दुबारा अगर इस प्रकार की बात करनी थी तो टिनेन्सी एक्ट के मूल कानून के अन्दर इस प्रकार का कोई अमेन्डमेन्ट लाया जाय। लेकिन उपाध्यक्षजी, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मूल कानून के अन्दर किसी प्रकार का कोई अमेन्डमेन्ट न लाकर सरकार ने जल्दी में यही वाजिब समझा कि इस कानून में ही इस प्रकार के एक दो जोड दी जाय और उनको जोड कर अपना काम निकाल लिया जाय। मैं यह मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार किया जावेगा तो यह कानून की एक प्रकार से खिचडी हो जावेगी। अगर लोग अदालतों में जावेंगे तो लोगों को टिनेन्सी एक्ट एक बात कहेगा और फिर यह जो लैंड मोर्टगेज बैंक्स बिल है वह दूसरी बात कहेगा। कोई कहेगा कि टिनेन्सी एक्ट में यह बात है वह गलत है, कोई कहेगा कि उसमें यह जो अमेन्ड-मेन्ट आया है वह सही है। तो यह कोई अच्छी परम्परा या अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि चाहे जोधपुर से आये मित्र के इस कानूनी मसले को स्वीकार करें या न करें, लेकिन टिनेन्सी एक्ट में ही अमेन्डमेन्ट लाना ज्यादा ठीक होगा बमुकाबले इसके कि यहां पर इस प्रकार का एक क्लॉज जोड़ दिया जाय।

तीसरी बात जो मैंने इसमें बहुत ही विचित्र पाई, वह यह है कि इस में जो हिन्दी का अनुवाद है, इस बिल का उसके अंदर उद्देश्यों और कारणों का विवरण अलग दिया हुआ है और उसके नीचे न मालूम मत्रीजी की सूझ है, लेकिन उनकी सूझ हो नहीं सकती। यह मैं जानता हूं कि इस प्रकार की अंग्रेजी वे लिख नहीं सकते या लीगल डिपार्टमेंट वालों की सूझ है, लेकिन इसमें स्टेटमेन्ट ओफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स का हिन्दी में अनुवाद है और उसके साथ १० लाइनें अंग्रेजी में और जोड दी गई हैं। इसे देखते हुए मैं कहूंगा कि हम कानून बनाने नहीं जा रहे हैं बल्कि वाकई एक खिचडी बनाने जा रहे हैं। यदि इस

[श्री मानसिंह महार]

सदन में कानून पेश किया जाय, उसमें स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एंड रीजन्स या उद्देश्यों और कारणों का विवरण सब हिन्दी में दिया जाय और साथ ही अंग्रेजी में स्टेटमेन्ट ऑफ रीजन्स और जोड़ा जाय और उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उसमें यह चीज नदारद हो तो उसका अर्थ क्या समझा जा सकता है ? केवल हिन्दी के बिल के साथ में १० लाइनें अंग्रेजी की जोड़ी गई; यह है क्या, मैं नहीं समझ पाया । हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट ने यदि इसे जोड़ा है तो यह बहुत ही अफसोस की बात है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स बढ़ाना था तो जब कि हमारा सारा कानून हिन्दी में था तो हिन्दी में ही इसे क्यों नहीं रखा गया ? अंग्रेजी की १०-१२ लाइनें क्यों जोड़ीं । इस कानून को हम स्टेचुटरी बुक पर रखने जा रहे हैं तो क्या हम इसे इसी प्रकार ही रखेंगे ? बहुत मुमकिन है, जवाब में यह कहा जाय कि यह एक एक्स्प्लेनेटरी चीज है, सदस्यों को समझाने के लिये ये १० लाइनें अंग्रेजी में हैं । यदि एसा है तो इसे अलग से सर्क्युलेट किया जाता । इसमें समझाने को बात नहीं होती है । यदि समझाना या तो मंत्रीजी सदन में आधे घंटे तक बोलते और समझाते या एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम अलग देते । लेकिन इसी के साथ इस प्रकार की बात बढाना कोई उचित बात नहीं है ।

मैं यह समझता हूं उपाध्यक्षजी, इस कानून में कुछ इस प्रकार के अवाच्छनीय क्लॉज़ हैं जिनके बारे में जोधपुर से आये हुए मित्र ने जिक्र किया है । वे क्लॉजेज वास्तव में बड़े ही गड़बड़ हैं व कुछ ऐसे कलॉजेज हैं जिनको देखने से मालूम होता है कि इस कानून में कोई न कोई बात कहीं न कहीं रह गई है । मैं उन क्लॉजेज को दुबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर भी उपाध्यक्षजी निवेदन करूंगा कि हमको यह देखना है कि ये बैंक इसलिये बनाये हैं, इन बैंकों के बारे में यह कहा जाता है कि किसानों को लोन टर्म के हिसाब से कर्जा दिया जा सके । किसानों की हालत सुधारने के लिये ये बैंक बनाये गये हैं लकिन उपाध्यक्षजी, वास्तविकता यह है कि हमने अपनी आंखों से देखा है, आज वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकार की कोऑपरेटिव बैंक ले लीजिये, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले लीजिये या जो भी इस प्रकार की एजेन्सीज हैं उनको देखने से मालूम पड़ेगा कि जो वाकई गरीब आदमी हैं उनको कभी भी राहत नहीं मिलती । मैं आपसे वस्तुस्थिति निवेदन करता हूं । यह तो क्या चीज है ? आप तकाबी ही को ले लीजिये ; उसका डिस्ट्रिब्यूशन गरीब किसानों के कुए १०-१० वर्षों से कच्चे पड़े हैं उनको पक्का बनाने के लिये गरीब किसानों को एक पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन अड़ंगे लगाने वालों को और १० परसेंन्ट देने वालों को और तहसीलों में चक्कर लगाने वालों को पैसा फौरन मिल जाता है, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं मिलता है । राजस्व मंत्रीजी, मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे हैं । वे अगर चाहेंगे तो मैं उनको अकेले आमेर तहसील की १०० मिसालें दूंगा । पूंजीपतियों को मिल जाते हैं लेकिन दूसरे गरीबों को नहीं मिलते । कहा जाता है कि तहसील कमेटियों में एम. एल. एज. भी मेम्बर हैं । लेकिन एम. एल. एज. तो फिरते फिरेंगे, उनकी कौन चलने देता है ? तहसीलदार को १० परसेंट दे दीजिये काम बन जायगा ।

(घंटी)

उपाध्यक्षजी, मैं बिल्कुल टू दि पॉइन्ट कह रहा हूं । हमारे राजस्व मंत्रीजी के बड़े कृपापात्र सज्जन को आमेर से तकाबी दी गई है । मैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए बता रहा हूं । वे तहसीलदार साहब जो चाहे कर लेते हैं । मैं अब दूसरी बात पर आता हूं । अभी मेरे जोधपुर से आनेवाले मित्र ने बताया कि कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिन्होंने दस्तखत किये, लोगों के फॉर्म लिखा लिये गये उनके खिलाफ कुछ भी एक्सन लेने की बात नहीं हुई । यही क्या, यहां तो जमीन एलॉटमेन्ट के समय

[श्री मानसिंह महार]

मंत्रीजी के लड़के के नाम से बीड़ के बीड़ दे दिये गये । जब हम लोग उसके खिलाफ यहां गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाये तो कह दिया कि हम तो उक्त जमीन को भूदान में देते हैं । क्या यह भूदान है ? क्या उनके बाप की जमीन थी जो भूदान में दे दी गई, सरकार की जमीन भूदान में दे दी ? यह तो इस तरह की बात हुई कि कहीं चोर चोरी करते पकड़ा जाय और वह कहे कि यह माल में भूदान में देता हूं ..

श्री मोतीलाल चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह पार्लियामेन्टरी लेंग्वेज है?

श्री मानसिंह महार—मैं मिसाल दे रहा हूं और वास्तविकता निवेदन कर रहा हूं । यह नजीर इस प्रकार की है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार का भूदान हमारे यहां होता है । यह तो उसी तरह की बात है कि कोई चोर पकड़ा जाय और वह कह दे कि मैं तो यह भूदान में देने के लिये कर रहा हूं । दूसरों की जमीन हथिया ली गई और फिर उस जमीन को भूदान में दे दिया गया । यह राजस्थान के बड़े लोगों की प्रवृति है । जहां ऐसी जमीन का भूदान हो सकता है, वहां इन कोऑपरेटिव बैंकों का क्या होगा ? अमेर में किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक खोला गया, उसके शेअर्स बिके । आज उस बात को ५ साल हो गये, बैंक का कहीं पता नहीं है । बैंक का जो रुपया था उसको ४-५ जने मिल कर खा पी गये । उसकी शिकायत रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास की गई , लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और पैसा हजम हो गया । राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यह हालत है तो इन बकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इन सब बातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । मेरा सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने का सब से बड़ा मतलब यह है कि हमको प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि जो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । इस बिल में इस प्रकार की कोई बात नहीं है । इसके लिये ऐसा होगा कि जमीन गिरवी रख दी और नीलाम कर दी जायगी, इस प्रकार की बात होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी कि गरीबों के नाम पर बैंक खोलेंगे और गरीबों को ऋण नहीं मिलेगा । दूसरे लोग ऋण ले लेंगे और फिर उसका दुरुपयोग करेंगे । चेयरमेन महोदय, होगा यह कि ऋण दिया जायगा उत्पादन बढ़ाने के लिये, जैसा कि इस बिल का मकसद है, इसका मतलब क्या होगा ? इसका मतलब होगा, ट्रेक्टर खरीदा जाय, बीज अच्छे खरीदे जायं, अच्छे बैल खरीदे जायं, अच्छे अच्छे खेती के औजार खरीदे जायं । लेकिन यह सब न होकर होगा यह कि पैसा लेकर दूसरों को सूद पर दिया जायगा । यहां यह बात हो चुकी है । ट्रेक्टर खरीदने के लिये लाखों रुपये दिये गये है और उनका दुरुपयोग हुआ है । पैसे दिये तो गये खेती के लिये, सामान खरीदने के लिये, पर खेती का सामान न खरीद कर मोटर कारें खरीदी गई हैं, जयपुर में बंगले खरीदे गये हैं और इस तरह से इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है ।

शिकायतें की जाती हैं तो उन शिकायतों पर आखें मींच ली जाती हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है और आज एक नई चीज खड़ी की जाती है और कहा जाता है कि यह तो हम किसानों के उत्थान के लिये करते हैं । पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किन किसानों का उत्थान करेंगे ।

अगर किसानों का उत्थान करना चाहते हैं तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, किसानों का वास्तविक रूप में उत्थान करना चाहते हैं तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते, कोई नहीं

[श्री मानसिंह महार]

कहता कि किसानों की फाइनेन्शियल ल्प न की जाय, कोई यह नहीं कहता कि किसानों का उत्थान न किया जाय। हर एक यह चाहता है कि किसानों को हर प्रकार से ऊंचा उठाया जाय। अगर इस ऊंचा उठाने की आड़ में लोग शिकार खेलना चाहते है तो हम उसका विरोध करेंगे। किसानों के नाम पर कोई कार्य किया जाय और किसानों को कुछ न मिले, दूसरे लोग ही ले लें, कोई कोऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर कोई कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर, कोई किसी नाम से तो कोई किसी नाम से, इस प्रकार की धोखे की कार्यवाहियां न हों; इसके लिये इसके खिलाफ हम और प्रोविजन जोड़ना चाहते हैं।

यह ऑर्डिनेन्स है इसको कानून के रूप में परिणित करना जरूरी हो गया है, फिर भी चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक बात की और और ध्यान देना चाहिये। आज यह आम शिकायत हो रही है चेयरमेन महोदय, कि इस प्रकार के बैंक खुलते हैं, उनका भी एक विचित्र सा आधार होता है। १०० दरख्वास्तें आती हैं; उनमें से खास दल के लोगों की दरख्वास्तें होती हैं, वहां तो बैंक खोल दिये जाते हैं और दूसरी जगह कुछ भी नहीं होता है।

तो इस प्रकार की कार्यवाहियां होती हैं उनकी भी रोकथाम करनी है। जिसकी दरख्वास्त पहले आये उसकी सुनवाई पहले की जाय और वहीं पर पहले बैंक खोले जायं। जिनकी जिस तारीख को दरख्वास्त आये उसकी उस तारीख में दर्ज की जाय और उस ही हिसाब से उन लोगों को ऋण मिले, सही ढंग से उन लोगों को ऋण दिये जायं। जिनकी दरख्वास्तें पहले आई हैं उनको पहले ऋण मिलना चाहिये। जो जरुरतमन्द हों और जिनकी दरख्वास्तें पहले आयें उनको पहले ऋण दिया जाय। पर आज होता यह है कि जिसकी सिफारिश हो और जिसके लिये सेक्रेटेरियेट से टेलीफोन आ जाता है, उसको ऋण तो क्या सब कुछ मिल जाता है और जिनकी सिफारिश नहीं हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं चेअरमेन महोदय, किसानों को ऋण मुक्त करने के लिये सोसायटीज कर्ज देती हैं। वे केवल उन्हीं लोगों को कर्ज देती हैं जो गांवो में मुखिया लोग हैं, जो बड़े आदमी हैं या बड़े आदमियों से सम्बन्धित हैं। उनको ऋण मिल जाता है। जो गरीब लोग हैं जिन पर चार-चार हजार, पांच-पांच हजार रुपया कर्ज है और जिनकी हालत बहुत खराब है, जिनके शाम की रोटी का इन्तजाम नहीं है, जो इस प्रकार के कर्ज मिलने के जरुरतमंद हैं, उनको कर्ज नहीं देते हैं। इस प्रकार की नजीरें मौजूद हैं। चेअरमेन महोदय, इसलिये निवेदन करना पड़ता है।

प्रान्त की प्रगति के नाम पर प्रान्त की दुर्गति की जाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। प्रान्त की प्रगति की जाय, इसका हम विरोध नहीं करते। जैसी कि मैंने पहले नजीर दी थी कि जर्मान का प्लॉट व्यक्ति विशेष के पुत्र को दे दिया गया और फिर वह भूदान में दे दिया गया था, इसी प्रकार अगर इसमें रोक-थाम के प्रोविजन्स न रखे गये तो कोऑपरेटिव के नाम से पैसे ले लिये जायेंगे और फिर कह दिया जायगा कि सम्पत्ति दान में दे दिये जायं। तो इस प्रकार की बातें होती हैं तो हमको दुःख होता

[श्री मानसिंह महार]

है। इस तरह की वातों पर बोलना चाहते हैं पर डर लगता है। बड़े बड़े लोगो की नाराजगी मोल लेनी पड़ती है। पर डर किस बात का ? हमें कोई परमिट तो लेने नहीं हैं, हमें कोई जंगलों के ठेके लेने नहीं हैं और कोई इस तरह के काम हमें करने नहीं हैं जो डरें। एक एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से डरते हैं, वह भी मनमाने ढंग से लगाया जा रहा है, यह बकरे की गर्दन तो बलिदान के लिये ही बनी है, वह पैसा भी जायगा तो जनता के लिये ही जायगा। पर बैंक डोर से ५ रुपये देकर काम बना लें ऐसे तो हम नहीं हैं।

इसलिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता की गाढी कमाई है, उसकी रक्षा की जाय। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें क्या है ? और इस तरह कह कर मुझे वाध्य किया जाता है कि मैं उनका नाम बताऊं, पर मैं इस तरह से नाम बताने वाला नहीं हूं। इससे जिनका नाम बताया जायगा उनको दुःख होगा। पर दुःख तो इस बात का है कि जिन लोगों की इस प्रकार की हरकतें हमारी आखों के सामने नाच रही हैं वे ही इस प्रकार का बिल सदन में पेश कर रहे हैं। तो सदन के माननीय सदस्यों को चाहिये कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भिजवाएं। सारे सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का इल्म है कि क्या गड़बड़ियां जमीन के अलॉटमेंट में हुई हैं, उन बातों को रोकने की खातिर ऐसे प्रतिबन्ध लगाने बहुत आवश्यक हैं।

इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जोधपुर से आने वाले मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है कि प्रवर समिति में इस बिल को भेजा जाय, इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाय और जनता के पैसे को सुरक्षा से रखने की खातिर इस बिल को चाहे तीन के लिये ही भेजेंगे, ऐसी आशा करता हूं••

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय चेयरमेन· · · · · · · · · · · ·

श्री अमृतलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय महार, ने अभी कोऑपरेटिव लैंड मोर्टगेज के सिलसिले में बोलते हुये एक बात कही। वह बात में तीन-चार दफा सुन चुका हूं और उसको मैं हाउस में क्लीयर करना चाहता हूं। वह यह है कि Grow more food campaign (ग्रो मोर फूड कैम्पेन) के मातहत कलेक्टर को अधिकार है कि १०० एकड़ जमीन चाहे उसको दे। मेरे भाई ने बिना मेरे नोटिस के मेरे लड़के का नाम वहां पर लिख दिया। मेरे लड़के का नाम महेन्द्रसिंह है भी नहीं, उसको हम टीटू कहते हैं और उसका नाम शरतकुमार है, इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं था। मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। मैंने उसे कह दिया कि इसे भू-दान में दे दिया जाय। अगर वह रखता है तो भी गलत है। अगर भू-दान में दे दे तो भी गलत है। एक राजस्थान विधान सभा के सदस्य को इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी इस प्रकार की बात कहना कोई अच्छी बात नहीं है।

इसके अलावा कलेक्टर्स एन्टाइटल्ड थे और और-और लोगों को भी दी और साथ ही उसको भी दी, मैं नहीं समझता कि हर प्रसंग पर वे इस बात को बार बार क्यों कहते हैं ? मैं निवेदन

[श्री अमृतलाल यादव]

करना चाहता हूं कि जो जमीन दी गई वह वाजिब दी गई थी, वह भी राजस्थान का नागरिक है, उसको ऐसा हक था। इसके बावजूद भी बार बार यह कहा जाय, यह वाजिब चीज नहीं। जहां तक लैंड मोर्टगेज बिल का सवाल आता है माननीय सदस्यों ने कई कई बातें कही हैं। एक माननीय सदस्य और बोलने वाले थे, वे बोल लेंगे तब कहूंगा।

श्री मानसिंह मद्दार—On a point of information, Sir, गलत नाम से जमीन लेना वाजिब था या गैर वाजिब यह भी तो बता दिया जावे।

(घंटी)

श्री हिम्मतसिंह—चेयरमेन महोदय, यह जो बिल राजस्थान सहकारी भूमि बन्धक बैंक विधेयक, १९५६, प्रस्तुत हुआ है और इससे विषय में दो माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे, मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स को पढ़ने से ज्ञात होता है कि लोन्स काश्तकारों को मिले ताकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में बढोती हो और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी है। इस कारण पहले इस बिल को बहुत जरूरी समझ कर सरकार ने एक आर्डीनेन्स के रूप में इसको पास कराया। आर्डीनेन्स पास होने के बाद यह बिल के रूप में हमारे सामने आया है। जो हूबहू आर्डीनेन्स के माफिक है। यह ठीक है कि काश्तकारों को रुपये की आवश्यकता पड़ती रहती है और उन्होंने जो अपनी जमीनों पर बहुत सारा कर्ज ले रखा है उससे उनको मुक्त करना निहायत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी याद रखना चाहिये कि टीनेन्सी एक्ट, जो धारा सभा से पास हुआ है उसमें ऑलरेडी प्रोवीजन मौजूद है कि १० वर्ष में जमीन जो रहन रखी है स्वयं दखल में आयेगी। ऐसी हालत में उनको इससे भी ज्यादा सुविधा दी जाये, वह बहुत ही सुन्दर है। 'अधिकस्य अधिक फलम्' लेकिन प्रश्न यह है कि दरअसल जितनी मदद चाही जा रही है उनको मिलेगी या नहीं। राजस्थान सरकार काश्तकारों को कई रूप में तकावी दे रही है। लेकिन यह सभी जानते हैं कि तकावी मिलती कितनी कठिनाई से है और कितनी दफे तहसील में काश्तकारों को जाना पड़ता है? तब कहीं जा कर उनको तकावी मिलती है और तकावी का रुपया उस पर भी उनको पूरा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बटवारा करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बैंक से तकावी लोन दिलाया जावेगा, यह कोई काफी सुविधाजनक होगा यह सोचने की बात है। मैं ऐसा ख्याल करता हूं कि तहसील से तकावी जो मिलती है उससे भी अधिक समय इसमें लगेगा।

पहली बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि उसको जमीन के लिये कर्ज लेना है। जब तक इस प्रकार के कर्ज के लिये सब लोगों की दरख्वास्त न आ जावेगी तब तक उसको लोन नहीं मिल सकेगा। जब सोसाइटी उसको लोन देने के लिये आर्डर पास कर देगी तभी उसको लोन मिलेगा। मगर काश्तकार को हर वक्त रुपये की जरूरत रहती है। कभी उसका बैल मर जाता है तो उसको रुपये की जरूरत रहती है, कभी बीज के लिये उसको रुपये की

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

जरूरत रहती है तो कभी गाडी के लिये। सरकार उसको ऋण मुक्त करने जा रही है मगर मैं यह कहूंगा कि उसको बैंक के जरिये जो रकम मिलेगी वह तकाबी की रकम जो तहसील से दी जाती है उससे भी अधिक देर से मिलेगी और किसी भी सूरत में जल्दी नहीं मिल सकेगी। वह अपनी जरूरत के माफिक बनिये से जल्दी रुपया हासिल कर सकता है। चाहे वह उसके लिये फायदेमन्द हो या न हो लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि वह अपनी जरूरत के लिये बनिये से जल्दी से जल्दी ले सकता है, बैंक और दूसरी जगह से उसको लेने में समय लगता है क्योंकि जो कानून कायदे हैं वे उलझन वाले है और जितने भी कानून कायदे हैं वे उनको जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यहां पर फायदे की गर्ज दिखाई जाती है वह फायदा नहीं मिलेगा। इसका क्लॉज ४१ है जिसके द्वारा एमेन्डमेन्ट राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ में ला रहे हैं। यह एक बहुत बडा कानूनी मसला है और मैं ख्याल करता हूं कि बजाय इसको एडवोकेट जनरल को बुलाये जाने के और इस क्लॉज तक और बातों पर बहस की जाय, सबसे उचित तो यह होगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जावे। वह इस पर राय लेकर इस बिल को जल्दी से जल्दी सदन में पेश कर देगी। इसलिये मैं इसके कुल डिटेल्स में न जाते हुए अर्ज करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे और जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी को १० दिन में इस पर अपनी रिपोर्ट दे दनी चाहिये।

श्री मुकिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और जो काश्तकारों को कर्जा सहकारी बैंक के द्वारा दिया जावेगा तो मैं यह कहूंगा कि काश्तकारों को इससे कोई हित होनेवाला नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इस विधान सभा में कई बिल किसानों के हित के लिये पास होने के बावजूद भी काश्तकारों को किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। वह फायदा, मैं तो यह मान कर चलता हूं कि ज्यादातर वहां पर बैठे हुए हैं उन लोगों को इधर या उधर बैठनेवालों को या जो उन लोगों से सहानुभूति रखते हैं वे काश्तकारों का नाम लेकर बिल पास करा लेते हैं। पहले वह पेश किया जाता है और फिर पास करा लिया जाता है। काश्तकारों को फायदा हो रहा हो, ऐसी बात नहीं हो रही है। आज मैं आपको तकाबी की मिसाल बताऊं, वाटर बोर्ड के काम की मिसाल बताऊं। काश्तकार का नाम लेकर खुदगर्ज लोग कितना फायदा उठाते हैं? वे लोग इस तरह से कितना सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके लिये कोई कहने की बात नहीं। एक बात मैं यह बता देना चाहता हूं कि बहुत से इतने लोग हैं जो रुपया सरकार से ले लेते हैं और वापिस नहीं देते। आज उनको कर्ज लिये २, ३, ५ और १० साल हो जाते हैं। कोई लोग १० हजार या ५ हजार ट्रेक्टर के लिये और दूसरी तकावी के नाम पर ले जाते हैं। मैं तकाबी कमेटी का सदस्य हूं। अच्छी तरह से जानता हूं कि दो साल से किसानों को किसी प्रकार का पैसा नहीं मिला। तकाबी कमेटी की मीटिंग होती है और जो प्रोसीजर है उससे तो मैं समझता हूं कि किसानों को तीन साल तक पूरा रुपया नहीं मिल सकता। पटवारी वहां पर जावेगा, गिरदावर जाकर जमानत आदि लेगा। इस प्रकार पचासों फंदे होते हैं और वह यह कहता है कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ इसलिये रुपया नहीं दिया जा सकता। तो मैं यह कहूंगा कि इससे सरकार को क्या फायदा? काश्तकार १॥ रु० या दो रुपया सैंकडा ब्याज देकर ले लेता था। मगर आजकल ८ आना और १० आना सैंकड़ा ब्याज पर देते हैं और सरकार की इतनी फन्देबाजी से क्या फायदा? मैं तो यह मान कर चलता

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

हूं कि काश्तकारों के नाम पर हाउस में बिल लाया जाता है, मगर वह गलत है। मैं तो यह कहूंगा कि यह अपने खुदगर्जों के लिये काश्तकारों के हित का नाम लिया जाता है और पास कराया जाता है, मगर मैं यह कहूंगा कि काश्तकारों को इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। मैं यह नहीं समझता कि तकाबी से काश्तकारों को ज्यादा फायदा हुआ हो या कहीं एक पैसा भी मिल गया हो। परन्तु हमारे जैसे जो भी भाई हैं वे उनसे रुपया ले लेते हैं और बाद में पूरी किश्त भी नहीं देते हैं और वह रुपया उन लोगों को मिल जाता है।

यहां जो ऋण दिया गया था मकानों के लिये लेकिन उसमें क्या हुआ कि गरीबों को ऋण नहीं मिला। जिनके पास भगवान ने दे रखा है उन्हीं को वह भी ऋण मिल गया, वे बेचारे गरीब सुबह से लकर शाम तक फिरते रहे; रजिस्टरी कराओ, फलां कराओ इसी में उनका दिन व्यतीत हो जाता था। इस तरह से उन गरीबों को जिनके लिये यह ऋण दिया गया था वह नहीं मिल सका; वे बेचारे मकान बनाने के लिये परेशान हैं। समझ में नहीं आता, गरीबों का तो नाम लिया जाता है फायदा करने का और फायदा होता है बड़े आदमियों को।

स्टूडेन्ट्स को लोन देने के बारे में भी स्कीम थी किन्तु अब तक दूसरा बजट भी बनना शुरू हो गया लेकिन स्टूडेन्ट्स को लोन देने के लिये कोई कमेटी नहीं है। मुझे पता नहीं सरकार बैठी बैठी करती क्या है? इसके अलावा माननीय चेयरमेन महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. ने टेन्डर के लिये एप्लाई किया किन्तु अभी तक उसका चेक पास नहीं किया। बिजलीघर से टेन्डर आने वाले हैं किन्तु निकाले नहीं जाते हैं। आपके पास मेजोरिटी है, आप चाहे जिस चीज को पास करवा सकते हैं। आज अपोजिशन की ऐसी स्थिति है कि वह चाहे जो करे, वह सुन रहे हैं, लकिन आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों; आप नहीं तो भगवान तो सुनेगा। नहीं तो ये दीवारें तो हमारी बातों को सुनेंगी। मेरा चेयरमेन महोदय, यह निवेदन है कि यह जो काश्तकारों के नाम पर ऐसे बिल लाये जाते हैं उससे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होता, फायदा होता है बड़े बड़े आदमियों को। चेयरमेन महोदय, इसमें कई फन्दे हैं किसी काश्तकार को ऋण दिया जायगा तो उसको तहसीलदार से और कई अधिकारियों के पास उसके लिये जाना पड़ेगा। इस प्रकार इस रुपये को लेने में पचासों फन्दे हैं। ऐसे बिल को विधान सभा में लाने से केवल कागज काले करने के अलावा या बीस-तीस अफसरों को फायदा पहुंचाने के और क्या हो सकता है? इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पहले तो इस प्रकार के बिल के लाने की आवश्यकता ही नहीं, अगर बिल लाना ही है तो पहले सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय ताकि वह सोच-विचार कर यहां पर रखा जा सके, उसमें हाउस के समय की भी बचत होगी और काफी वाद-विवाद के बाद एक अच्छी चीज सदन के सामने आ सकेगी। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उस पर बोलने वाले व्यक्तियों ने तथ्य की बात को छोड़कर कुछ इधर उधर की बात कहने लग गये। इस बिल का मूल

[श्री मोतीलाल चौधरी]

उद्देश्य क्या ह, वह भी उन लोगों ने समझने की चेष्टा नहीं की और यह कह दिया कि इससे तो काश्तकारों को फायदा नहीं पहुंचने वाला है। यह कह कर उन्होंने सदन का समय भी नष्ट किया। माननीय चेयरमेन, मेरे जोधपुर से आये हुए सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जल्दी पास करने में किसी प्रकार के रोड़े न अटकाते हुए अपना अमेन्डमेन्ट विथड्रा करें और इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाने में हमारा साथ दें। जहां तक इस बिल के दृष्टिकोण का ताल्लुक है मैं कहूंगा कि यह बहुत बड़े महत्व का बिल है, इसमें राजस्थान के किसानों को लोंग टर्म पर कर्जा मिल सकेगा, दस पांच साल और बीस साल तक का कर्जा मिल सकेगा, जो मिलना निहायत जरूरी है क्योंकि इसके बिना राजस्थान का किसान किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकता। आज जब कि पूंजीपतियों को उद्योगों के लिये लोंग टर्म पर कर्जा दिया जाता है, करोड़ों रुपयों का कर्जा दिया जाता है; न उन पर किसी प्रकार से कानूनी बन्धन है तो मुझको यह देख कर बड़ा दुख होता है कि गरीबों को राहत पहुंचाने के लिये इस प्रकार का बिल जो लाया जाता है उसमें भी रोडे अटकाने की कोशिश की जाती है, जो बड़े दुख की बात है। आज इसके लिये यह कहा जा रहा है कि यह तो कानून पास नहीं करना चाहिये। राजस्थान के अन्दर १ करोड ५५ लाख की जनसंख्या है, उसमें से १ करोड २५ लाख काश्तकार वर्ग के हैं उनका जीवन-निर्वाह केवल कर्जे पर हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उन गरीबों को बनियों के कर्जे से राहत देने के लिये प्लानिंग कमीशन की सिफारिश के अनुसार और सेकन्ड फाइव-इयर-प्लान में भी इस बात का उल्लेख है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया गया है। दूसरी स्टेटों के अन्दर इस प्रकार का बन्दोबस्त हो चुका है, हम भी अपने प्रान्त में इस प्रकार के बैंक की स्थापना करना चाहते हैं जिससे उनकी जमीन मोर्टगेज करके उनको लोंग टर्म पर लोन मिल सके, यह एक सीधा-सादा सुझाव है, सिम्पल है, उदार है; इसको मानने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर बोलते हुए कई विरोधी सदस्यों ने कई प्रकार की बातें कीं, उसमें सिर्फ दो बातें विशेष तौर से कही गई। उनमें से एक तो यह कि काश्तकारों के नाम से यहां बिल पास किये जाते हैं, किन्तु उससे काश्तकारों को किसी प्रकार भी फायदा नहीं पहुंचता। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है। इस कानून का जो आदमी विरोध करते हैं वे केवल अपने स्वार्थवश विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने केवल विरोध इसलिये किया कि अगर इस प्रकार का कानून बन जायगा तो वे जो रुपया आज किसानों को ऊंचे से ऊंचे ब्याज पर देते हैं उनसे कोई नहीं लेगा, उनकी रोटी एक प्रकार से छिन जायगी इसलिये वे विरोध करते हैं, लेकिन जो जोधपुर से आये हुए सदस्य हैं, जो काश्तकारों के हिमायती हैं, जो चाहते हैं कि काश्तकारों के लिये बहुत कुछ किया जाना चाहिये उनकी ओर से इस प्रकार के बिल को पास करवाने में विलम्ब करवाना मैं दुख की बात के सिवाय और क्या कह सकता हूं? दूसरे सदस्यों को तो जो मनी लेन्डर हैं, जो रुपया देते हैं उनके इन्टरेस्ट क्लेश होते हैं उनका विरोध होना स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे बैंकों के बन जाने से काश्तकारों को सुविधा से कर्जा मिल जायगा, उनसे कोई लेने नहीं आयगा, उनसे काश्तकारों का शोषण नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं खास तौर से जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस बिल का उद्देश्य यह है कि एक बैंक बनाया जाय और उस बैंक की मार्फत काश्तकारों को लाभ देने के लिये लोंग टर्म के ऋण पांच-दस, बीस साल तक का कर्जा मिल सके। वह सुविधा उनको होगी। वे अपनी जमीन को रहन रखकर

[श्री मोतीलाल चौधरी]

लम्बे समय के लिये कर्जा ले सकते हैं। मेरे खयाल से उनके संशोधन रखने का केवल एक ही मतलब हो सकता है कि किसानों को जल्दी राहत नहीं मिले। मैं निवेदन करूंगा कि जब उनको काश्तकारों की हमदर्दी है, वे चाहते हैं कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिलें, वे यदि जल्दी मिलने के पक्ष में होते तो वे इस प्रकार इस बिल को पास करवाने में डिले नहीं करते। अगर उनका किसी क्लॉज में एतराज है तो वह क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन के समय उसमें सुधार किया जा सकता है। मेरा तो यही निवेदन है कि इस बिल को हमें जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये ताकि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। आज कम से कम जोधपुर और बीकानेर के किसानों की यह हालत है कि उनको तो इसके बिना सुविधा मिल ही नहीं सकती क्योंकि एक वर्ष अच्छी फसल होती है, फिर दो साल काल पड़ता है, इसलिये वे कर्जे को दूसरे साल चुका नहीं सकते इसलिये कि खेती वगैरह तो होती नहीं। अगर इन लोगों को पांच साल, दस साल, बीस साल तक के कर्जे मिल जायं तो वे खेती में उन्नति कर सकते हैं। ऐसी हालत को देखते हुए मैं जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को विथड्रा करेंगे। मैं विरोधी साथियों से निवेदन करूंगा, जो यह कि रुपया जो उधार देते हैं तो वे चाहते हैं किसी प्रकार भी गरीबों को सहायता नहीं मिले, वह तो उनका स्वभाव है, उसी स्वभाव के अनुसार उन्होंने विरोध किया है। बिल में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम चीज राजस्थान में करने जा रहे हैं। वह केवल इसलिये कि काश्तकारों को सुविधा से कर्जे मिल सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास--चेयरमेन महोदय, शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत करने का मोशन बिल के प्रिन्सिपल को स्वीकार कर लेने के समय ही हो सकता है। अगर इसके प्रिन्सिपल से ही किसी की मत भिन्नता होती तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात तो फिर पीछे ही रह जाती। प्रिन्सिपल से हमें मतभेद नहीं है, हम उससे सहमत हैं, पर इसमें तो केवल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात है। Motion for Select Committee is not in opposition to the principles of the Bill, but it is only....

श्री सभापति (जवानसिंह)--That is apparent.

श्री मोतीलाल चौधरी (जारी)--मैंने यह नहीं कहा कि आप इससे सहमत नहीं हैं। आप से पहले के वक्ता महोदय के बोलने का जो ढंग था उससे ऐसा लगता था कि वे इसके विरुद्ध हैं क्योंकि उनके स्वार्थों पर इससे प्रभाव पड़ता है, उनको कर्जा अगर नहीं मिलेगा तो उनकी रोटी बन्द हो सकती है।

राज श्री हिम्मतसिंह--सब अपने २ इन्टरेस्ट की बात करते हैं।

श्री मोतीलाल--तो इसलिये मैं यह कह रहा था कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का दृष्टिकोण मैंने मान लिया। उनका दृष्टिकोण काश्तकारों को राहत देने का है, तो इसके लिये तो मैंने सिर्फ यह कहा कि सिलेक्ट कमेटी में जाने से देर होगी और देर होने से किसानों को जो सुविधाएं इस कानून से मिलने वाली हैं उनमें दिक्कत होगी। इसलिये सिलेक्ट कमेटी में इसे नहीं भेजते हुए इसको यहीं डिसकस् कर लिया जाय। केवल मात्र ४१ सेक्शन्स हैं इसमें, उन पर काफी अच्छी तरह से यहां बात कर सकते हैं। क्लॉजेज ११ व ९ के बारे में आपने अपनी राय रक्खी। इसके लिये अमेन्डमेन्ट आ सकते हैं और जो अमेन्डमेन्ट उचित होगा उसे यहीं एक्सेप्ट कर लेंगे।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

फिर यह कोई नई चीज हम नहीं लाये हैं । राजस्थान में पहले से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनकी मार्फत किसानों को लोन मिलते हैं, पर उनमें एक दिक्कत है, वह लोन ९ महिने के लिये मिलते हैं उससे उनको इतनी सहूलियतें नहीं मिलतीं खास करके मारवाड के इलाके में जहां कि तीन तीन सालों में एक फसल अच्छी होती है। इसलिये अभी वे मजबूरन बैंक से कर्जा नहीं ले सकते और जाकर बोहरों के चंगुल में बेबसी से पड़ना पड़ता है। इसलिये उन लोगों को दस-बीस साल के लिये कम रेट पर कर्जा दिया जावे, यह सुविधा इसमें की गई है । तो इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि इसको तो जितना जल्दी पास किया जावे तो उतना ही ज्यादा राजस्थान के काश्तकारों का फायदा है ।

श्री जगतसिंह झाला—सभापति महोदय, मैं सहाड़ा रायपुर से आने वाले माननीय मित्र का समर्थन करना चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे । मेरा इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों से कोई मतभेद नहीं है, पर इसमें बहुत से क्लॉजेज ऐसे हैं जिन पर सदन में ठीक तौर से विचार नहीं कर सकते । हमारी यह मंशा भी नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी में भेजकर हम इसमें देर करना चाहते हैं । हम भी चाहते हैं कि यह इसी सेशन में पास हो जाय । मेरा तो सिर्फ यह मतलब है कि दस-पन्द्रह दिन के बाद फिर सेशन हो रहा है तो इस बीच में इसमें सिलेक्ट कमेटी में विचार कर लिया जाय और पन्द्रह दिन के बाद इसे सदन में लाकर पास कर दिया जाय ।

इसमें बहुत से क्लॉजेज काश्तकारों के लिये अहितकर भी हो सकते हैं । जैसे मान लीजिये कि एक काश्तकार की कर्जा लेने के बाद मृत्यु हो गई और उसका लड़का नाबालिग है, कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ? उसके लड़के पर कुर्की करके रुपया वसूल करेंगे या क्या करेंगे, इस चीज का उल्लेख इस कानून में नहीं है तो इस बात को और ऐसी अन्य बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने यह सुझाव रक्खा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेज दिया जाय, इसे सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनावे । बहुत सी बातों को खुले रूप से खुल कर कहने के लिये आवश्यक है कि एक जगह कुछ लोग बैठ जावें और इस पर गहराई से विचार कर लिया जावे। वह गहराई से विचार यहां हो नहीं पावेगा । बहुत सी बातों को विस्तृत रूप से कहने, समझने और समझाने के लिये भी सिलेक्ट कमेटी आवश्यक है । फिर अगर इन पन्द्रह दिनों में ही कोई काश्तकारों का नुकसान होने वाला है और यह इतना महत्त्वपूर्ण है तो फिर इतने दिन क्या हो गया था आपको ? आपने पहले इसे लाने की बात सोची होती । फिर इतने दिन आपने क्या किया, कितनी सहकारी समितियों का गठन किया, कैसे चल रही हैं वे, कितना कर्जा दिया, यह सब कुछ आप बतावें हम जानना चाहते हैं। इस बारे में आप बहुत पीछे हैं, फिर कहते हैं कि इस कानून की वजह से काम रुक रहा है । यह बिलकुल गलत बात है । हमारी नाराजगी इस पर प्रगट करने का कोई सवाल नहीं । इन समितियों के गठन में गड़बड़ियां हुई हैं, इसके लिये तो कहना ही पड़ेगा, चाहे वह आपको फिर कड़वा ही लगे । मैं साफ कहता हूं कि फतहनगर के पास लदाना के बीड़ में एक ही जाति के व्यक्तियों को अगर आप बीड़ दे देते हैं तो इसके लिये तो निवेदन करना ही पड़ेगा । वे सभी यादव जाति के व्यक्ति हैं । तो एक जाति के व्यक्तियों को आप जब इतना दे देते हैं, मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ कर, तो क्या हम यह सही बात भी नहीं कहें, आपकी नाराजगी का ख्याल करके । आप जब मिनिस्टर के स्थान पर बैठे हैं तो आपके लिये सभी समान होने चाहिये ।

श्री अमृतलाल यादव—बिलकुल गलत है ।

(घंटी)

श्री झाला—I am in possession of the House.

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Shri Jagat Singh is in possession of the House.

श्री जगतसिंह झाला—आप मुझे सुन लीजिये ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आप बोलिये ।

श्री जगतसिंह—एक जाति के ही व्यक्तियों को आपने दी है और यह बात आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताई है । जिनको दिया गया उनमें ६७ एक जाति के व्यक्ति हैं इसलिये कहना पड़ता है । जब सहकारी समितियों का सवाल हो तो यह विरोध उस वक्त नहीं प्रकट करें तो कब करें । यह हमारा उचित विरोध है । आपके ऊपर व्यक्तिगत हमारा कोई विरोध नहीं है । अगर आपके किसी कर्मचारी ने ऐसा किया है तो आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया ? आपको एक्शन लेना चाहिये था ।

(विषयान्तर होने के कारण घंटी) ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—Please be relevant.

श्री जगतसिंह झाला—मेरा निवेदन करना यह है कि एक जाति को प्रोत्साहन देना और दूसरों के हकों को मारना उचित नहीं है और जब हम इन बातों का विरोध करते हैं तो हमारा विरोध वाजिब है । उसे आपको सुनना चाहिये और गलती को सुधारना चाहिये । इसलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है । उसमें हम गरमागरम बात भी कह सकते हैं । यहां कहते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं । वहां पर गरमागरम बात पर अगर आप नाराज भी हो जाते हैं तो हम आपको राजी भी कर सकते हैं । (हंसी) इसलिये शान्ति से इस सुझाव पर सोचना चाहिये । यह प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसे पार्टीबाजी का प्रश्न बना दिया जावे और इस प्रकार इसे उलझा दिया जावे । हम भी जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में यहां आये हैं । हम जो बात कहते हैं उस पर भी आपको गौर करना चाहिये । फिर दो-चार दिन की देर कोई ज्यादा देर नहीं है । फिर सदन का सत्र चल रहा है, सिलेक्ट कमेटी के लिये मेम्बरों को बुलाने-करने में पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा । तो इसलिये मेरा यही निवेदन करना है कि आप पांच-दस आदमियों की एक सिलेक्ट कमेटी बना दीजिये ताकि इसके सभी पहलुओं पर वहां हम गम्भीरता से विचार कर सकें । इससे राजस्थान की जनता का हित होगा, नही तो फिर हम यहीं कहेंगे कि एक पार्टी का हित देखने के लिये यह कानून जल्दी में बनाया जा रहा है और राजनैतिक स्वार्थों के लिये इसे उपयोग में लाने की बात की जा रही है ।

Page No 100

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)--As the time is over, we rise for the day to meet again at 11.00 A.M. tomorrow.

(तत्पश्चात् पांच बजे सदन की कार्यवाही कल, दिनांक १६ अक्टूबर, १९५६ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन, जयपुर,
दिनांक–१५ अक्टूबर, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

LOAN SANCTIONED AND DISBURSED DURING THE YEAR 1956-57

I.	**Iron & Metal & Engineering Works.**	
1.	Rajasthan Iron & Metal Foundry, Udaipur	10,000/-
2.	Rajasthan Agricultural Implements Mfg. Works, Bharatpur	3,000/-
3.	F.R. Metal Industries, Jodhpur	15,000/-
4.	M/s Motital Prabhudayal	4,000/-
5.	Shri Noor Mohammed (Copper & Brass Utensil Mfg.)	3,000/-
6.	Modern Engineering Works, Jodhpur	10,000/-
7.	Shri Ramlal Mali, Pati (Razors & Scissors Mfg.)	7,500/-
8.	M/s Sultan Ali, Iron Works, Udaipur	3,000/-
9.	Shri Laxmi Iron & Galvanizing Works, Jaipur	15,000/-
10.	Rajasthan Metal Works, Bhilwara	15,000/-
11.	Shri Surendra Singh (Tools & Crafts Ind.), Udaipur	4,000/-
12.	Shri Nebhraj Bharat Motor Works, Jaipur	5,000/-
13.	M/s Gadia Lohar Co-operative Society, Chittorgarh	10,000/-
14.	M/s National Iron & Tin Works, Udaipur	3,000/-
15.	M/s National Motor Works, Jodhpur	10,000/-
16.	M/s Chandmal Surajmal, Jodhpur	10,000/-
		1,28,500/-
II.	**Handloom Cloth Hosiery, Tie & Dye Works etc.**	
17.	Shri Mohanlal Madani (Handloom Works) Pachpadra	5,000/-
18.	Shri Hansraj (Handloom Works), Pachpadra	5,000/-
19.	M/s Shiv Shaktti Udhyog Bhandar, Bikaner	2,000/-
20.	M/s Khatri Rangai Chhapai Utpadak Sahkari Samiti, Barmer	10,000/-
21.	Shri Ismailji Tie & Dye Industries, Udaipur	2,000/-
22.	M/s Ashok Hosiery & Thread Mills, Jaipur	3,000/-
23.	M/s D.S. & Co. (Readymade garments Mfg. Ind. Jpr.)	8,000/-
24.	Shri Noor Mohammed (Dyeing & Ptg.) Udaipur	2,000/-
25.	M/s Bakiwala Handloom Factory, Jaipur	10,000/-
26.	Mohan Phelwan (Hand Printing)	2,000/-
27.	Mohammed Ibrahim (Hand Printing), Udaipur	2,000/-
		51,000/-
III.	**Soap, Hair Oil and Chemicals and Ayurvedic Medicines.**	
28.	M/s Janta Soap Works, Dholpur	3,000/-
29.	Shri Mannalal (Soap & Hair Oil Mfg. Chhipa Barod)	3,500/-

Page No 102

30.	M/s Rajasthan Pharmacy, Ajitgarh	3,000/-
31.	M/s Sharma Perfumery Co-op. Works, Jaipur	6,000/-
32.	M/s Bhatnagar Chemical Works, Udaipur	1,000/-
33.	M/s Sharat Kumar Vaidya, Udaipur	5,000/-
34.	Shri H.P. Gupta, Pratap Soap Mfg. Jaipur	2,000/-
35.	Shri Banarsilal Chaptia, Soap Works, Surajgarh	3,000/-
36.	Vaidya Kunj Beharilal, Singhana	3,000/-
		29,500/-

IV. Flour Dal Mills.

37.	Smt. Kalawati Devi, Alwar	3,000/-
38.	M/s Rajasthan Dal & Oil Mills, Jaipur	15,000/-
		18,000/-

V. Furniture, Ivory, Saw Mills and General Machinery Works.

39.	M/s Friends Timber Supply Co., Udaipur	5,000/-
40.	Shri Sukh Sampatraj Bhansoli, Merta City	3,000/-
41.	Vishwa Kerma Wood Ind., Rajgarh	3,000/-
42.	Shri Mathuralal S/o Gesulal Bigod, Bhilwara	5,000/-
43.	,, Maula Bux Qureeei, Bikaner	5,000/-
44.	M/s Laduram Hazari Mal, Jodhpur	5,000/-
45.	Vishwa Karma Utpadak Sahkari Samiti Ltd., Dungarpur ..	8,000/-
46.	Shri Kalyan Singh Bend Saw Mills, Alwar	3,000/-
		37,000/-

VI. Leather Works.

47.	Sardarshahar Charm Utpadak Sahkari Samiti, Sardarshahar ..	3,000/-
48.	Beruea Charm Utpadak Sahkari Samiti Ltd., Bilwa	2,000/-
49.	Pipar City Jatian Utpadak Sahkari Samiti, Pipar City ..	1,000/-
		6,000/-

VII. Stone Statues and previous Stone Works.

50.	M/s Sanatan Dharm Moorti Art, Jaipur	4,000/-
51.	M/s Vijay Laxmi Marble Co., Makrana	10,000/-
52.	M/s Bhanwar Nanulal Jain Diamond Cutting Factory, Jaipur	4,000/-
53.	Shri Raj Roop Tank, Jem Cutting & Polishing Works, Jaipur	15,000/-
		33,000/-

VIII. Miscellaneous Industries.

54.	Shri Nandlal Sobhraj, Painting Ind., Nathdwara	2,000/-
55.	M/s Pratap Caps House, Udaipur	10,000/-
56.	M/s Ganesh Ind., (Biscuit & Confectionery), Jaipur	3,000/-
57.	M/s Bharat Type Retreading & Valcanising Factory, Bharatpur	8,000/-
58.	M/s Mewar Glass Works, Udaipur	15,000/-
59	Shri Vallabhdas Manufacturing of Mastake for betel Leaves, Nathdwara	1,500/-
60	,, Kanak Mal, Bhilwara (Ice Factory)	15,000/-
61.	,, Sukhdeo Pd. & (Ink Sealing wax Mfg., Indis Bkr.)	2,000/-
62.	M/s Dhamani Products, Bikaner.	2,000/-
63.	Shri Bansilal (Printing Press), Jodhpur.	4,000/-
64.	M/s Ramkishore Mangilal, Kishangarh (General Stores)	1,000/-
65.	Shri Vishnudatt Purohit, Jodhpur	10,000/-
66.	,, Gordhandas Prop. Ramfire Works, Udaipur	5,000/-
67.	M/s H.G. Sadriwal & Sons, Udaipur	5,000/-
68.	Shri Raj Singh, Udaipur	5,000/-
69.	Shri Rameshchandra Garg, Prop. National Printers, Bharatpur	2,500/-
70.	Shri Suraj Prakash Prop. Embroidary Works, Udaipur ..	4,000/-
71.	Indian Woollen Carpet Factory	10,000/-
72.	M/s Channu Mal Nawal Mal Sindhi	5,000/-
		1,06,400/-
	GRAND TOTAL ..	4,09,400/-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

LIST OF TEACHERS' TRAINING SCHOOL AT RAJASTHAN.

List of Teacher's Training Schools in Rajasthan.

Opened Before 1956.

1. Basic Teachers' Training College, Bikaner.
2. Basic S.T.C. Schools, Udaipur.
3. Basic S.T.C. School, Jaipur.
4. Basic S.T.C. School, Parasramdwara.
5. Basic S.T.C. School, Bharatpur.
6. Basic S.T.C. School, Alwar.
7. Basic S.T.C. School, Goner.
8. Basic S.T.C. School, Paota.
9. Basic S.T.C. School, Kotah.
10. Basic S.T.C. School, Sawaimadhopur.
11. Basic S.T.C. School, Jodhpur (Vidyashala).
12. Female Basic S.T.C. School, Jodhpur (Sardarpura).
13. Female Basic S.T.C. School, Jaipur.

List of Teachers' Training Institutions.

Opened from July, 1956.

1. Basic S.T.C. School, Nanta (Kotah).
2. Basic S.T.C. School, Shahpura (Distt. Bhilwara).
3. Basic S.T.C. School, Partapur (Distt. Banswara).
4. Basic S.T.C. School, Udaipur.
5. Basic S.T.C. School, Khetri.
6. Basic S.T.C. School, Tonk.
7. Basic S.T.C. School, Karauli.
8. Basic S.T.C. School, Bikaner.
9. Basic S.T.C. School, Sirohi.
10. Basic S.T.C. School, Churu.

Page No 105

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये)

List A—of Approved Local Development Works for the Year 1956-57 by the District Development Committee, Bhilwara.

S. No. 1	Name of work. 2	Government Aid. 3
1.	School Building, Mangrol	1,500/-
2.	,, Gurla	1,000/-
3.	,, Hamirgarh	1,000/-
4.	,, Karoi	1,000/-
5.	,, Sawroopganj	1,000/-
6.	,, Godukota	500/-
7.	,, Kanda	500/-
8.	,, Pipla	500/-
9.	,, Gandi sagar Tank	5,400/-
	TEHSIL SAHADA.	
10.	,, Koshthal	3,000/-
11.	,, Khankhala	1,000/-
12.	,, Amli	500/-
13.	,, Nansa	1,000/-
14.	,, Dhoshar	500/-
15.	,, Soniyana	500/-
	TEHSIL RAIPUR.	
16.	High School Building, Raipur	2,500/-
17.	School Building, Sagrew	1,000/-
18.	School Building, Borana	1,000/-
19.	,, Sarvedi	1,000/-
20.	Khura near Narayan Khera, Behala	1,000/-
21.	School Building, Deoria	2,000/-
	TEHSIL BANERA.	
22.	School Building, Sardarnagar	1,500/-
23.	,, Raila	2,000/-

1	2	3
	Tehsil Mandal.	
24.	School Building, Bhagwanpura	1,000/-
25.	,, Keria	500/-
26.	,, Shivepur	750/-
27.	,, Borkiya	750/-
		33,900/-
28.	,, Gyangarh	750/-
29.	,, Nimbahera (Jatan)	750/-
30.	,, Chilaser	750/-
31.	,, Amadala	500/-
32.	,, Thana	500/-
33.	,, Danta	500/-
	Tehsil Shahpura.	
34.	,, Dhanop	500/-
35.	,, Amli	500/-
36.	,, Rajiyas	1,000/-
37.	,, Samelia	400/-
38.	Girls' School Building, Phulia	600/-
39.	,, Kothiyan	500/-
40.	,, Bachkhera	500/-
41.	,, Taswara	500/-
42.	Ayurvedic Dispensary, Bachkhera	500/-
	Tehsil Jahazpur.	
43.	School Building, Bankran	1,000/-
44.	,, Piplond	1,000/-
45.	,, Amerwasi	500/-
46.	,, Gangithala	500/-
47.	,, Titori	1,000/-
48.	,, Rupan	500/-
49.	,, Amalda	1,000/-
50.	,, Bagudar	500/-
	Tehsil Kotri.	
51.	,, Kotri	1,250/-
52.	,, Akola	1,000/-

1	2		?
53.	School Building,	Sagtpura	500/-
54.	,,	Bankakhera	250/-
55.	,,	Satolakakhera	500/-
56.	,,	Badlias	1,000/-
57.	Ayurvedic Dispensary at Paroli		500/-
			1,97,50/-

TEHSIL HUDRA.

58.	School Building,	Agucha	2,000/-
59.	,,	Jalampura	500/-
60.	,,	Sodar	1,000/-
61.	,,	Hudra	2,000/-
62.	,,	Kawlias	1,000/-
63.	,,	Bhojras	250/-
64.	,,	Rupaheli	500/-
65.	,,	Barantia	500/-

TEHSIL ASIND.

66.	,,	Lachura	1,000/-
67.	,,	Patan	500/-
68.	,,	Nimbahera	1,000/-
69.	,,	Sahmbhugarh	1,000/-
70.	,,	Ambesar	1,000/-
71.	,,	Bhojpura	1,000/-
72.	,,	Sohanpura	1,000/-
73.	,,	Sapola	500/-

TEHSIL MANDALGARH.

74.	,,	Jojva	500/-
75.	,,	Barundani	500/-
76.	,,	Mandalgarh	1,000/-
77.	,,	Sarthala	500/-
78.	,,	Chandiji-ki-Kheri	500/-
79.	,,	Umaji-ka-Khera	500/-
80.	,,	Talasiya	500/-
81.	,,	Gudha	500/-
82.	,,	Singoli	500/-

Page No 108

1	2	3
83.	School Building, Mohanpura	500/-
84.	Panchayat Bhawan, Makredi	500/-
		74,400/-

List of Local Development Works to be Undertaken During the Year 1956-57 'B'.

S. No. 1	*Name of Work.* 2	*Public contribution.* 3
1.	School Building. Bardod	1,000/-
2.	Danthal	100/-
	Roads.	
3.	Kanda	500/-
	Hospital.	
4.	Hamirgarh	6,000/-
5.	Mangrop	5,000/-
	Ayurvedic Dispensary.	
1.	Dariba	1,500/-
2.	Bhupalgarh	1,500/-
3.	Kodu Kota	1,500/-
4.	Guslan	1,500/-
	TEHSIL SAHADA.	
1.	School Building, Ulzlain	1,000/-
2.	„ Soniyani	500/-
3.	„ Shwarati	1,000/-
4.	„ Nighadia Kheda	1,000/-
	TEHSIL RAIPUR.	
1.	Girls' School, Raipur	500/-
2.	School Building, Boriapura	2,000/-
	TEHSIL BANERA.	
1.	School Building, Rupaheli Khurd	1,000/-
2.	„ Baren	1,000/-

1	2	3
3.	School Buildi g, Balesariya	800/-
4.	,, Upreda	500/-
5.	,, Lambia Kalan	2,000/-
6.	,, Dabla	1,500/-
	Tehsil Mandal.	
1.	School Building. Dhunwala	1,000/-
2.	,, Bawari	1,000/-
3.	,, Bhimbadyas	500/-
		34,800/-
	Tehsil Shahpura.	
1.	School Building. Kanechankalan	1,000/-
2.	,, Mindolia	1,500/-
3.	,, Shikola	2,000/-
4.	,, Itmaris	2,000/-
	Tehsil Jahazpur.	
1.	School B ilding. Sariyas	1,000/-
2.	,, Behada	200/-
3.	,, Phalasai	200/-
4.	Khura at Baradpura on that way	500/-
5.	Dispensary at Roopna	1,000/-
	Tehsil Asind.	
1.	Primary School. Jainagar	500/-
2.	,, Bhadeshi	1,000/-
3.	,, Mogar	1,000/-
4.	High School. Badnore..	5,000/-
	Tehsil Mandalgarh.	
1.	School Building. Jashuji-ka-Khera	500/-
2.	,, Jadoda	500/-
3.	,, Ladpura	500/-
4.	,, Aroli	500/-
5.	Dispensary at Barundani	1,000/-

1	2	3
	Tehsil Kotri.	
1.	School Building, Chaprel	750/-
2.	" Paroli	1,000/-
3.	" Bisniya	500/-
4.	" Birodol	1,000/-
5.	Dispensary at Barliya	500/-
	Tehsil Hurda.	
1.	School Building, Madera	500/-
2.	" Lamba	500/-
3.	" Sareri	1,000/-
4.	" Khejari	2,000/-
5.	" Dantia	1,500/-
		63,950/-
1.	School Building, Pipli	500/-
2.	" Lamba	1,000/-
3.	" Amesar	1,000/-
4.	" Paroli	3,000/-
5.	" Barsani	2,000/-
6.	" Ratanpura	2,000/-
7.	" Dariba	3,000/-
8.	" Amli	2,000/-
9.	" Kosithal	5,000/-
10.	" Shivrati	1,000/-
11.	" Amli	1,000/-
12.	" Soniyana	1,000/-
13.	" Satilas	500/-
14.	" Ulali	2,000/-
15.	" Majawas	2,000/-
16.	" Arnia	2,000/-
17.	" Lakhola	2,000/-
18.	" Adsipura	2,000/-
19.	Hospital Building, Pur	6,000/-
20.	School Building, Devaria	2,000/-
21.	Dam, Bhilwara	5,000/-

1	2	3
22.	School Building, Koroi	1,000/-
23.	,, Magroop	2,000/-
24.	,, Hamirgarh	1,000/-
25.	,, Swaroopganj	1,000/-
26.	,, Bada Mahua	500/-
27.	,, Argia	1,800/-
28.	,, Kanda	500/-
29.	,, Dariba	1,000/-
30.	,, Atun	400/-
31.	High School, Raipura	10,000/-
32.	School Building, Uprera	500/-
		65,700/-
33.	,, Antali	2,000/-
34.	,, Bhadasi	1,000/-
35.	High School, Raipur	5,000/-
36.	School Building, Vachana	2,000/-
37.	Kisturba Trust, Vachana	1,000/-
38.	Library, Vachana	1,500/-
39.	School Building, Doharia	250/-
40.	Road at Vachana	20,000/-
41.	School Building, Bagor	3,000/-
42.	,, Balsaria	1,300/-
43.	,, Ulala	1,750/-
44.	,, Mahindargarh	3,000/-
45.	,, Barana	1,000/-
46.	,, Doudka Khera	1,000/-
47.	,, Maklas	1,000/-
48.	,, Titoli	1,500/-
49.	Girls' Schools, Doulatgarh	4,000/-
50.	Library, Suwana	2,000/-
51.	Hospital Suwana	1,000/-
52.	Khura, Narainpura	1,000/-
53.	School Building, Argia	1,000/-
54.	Public Park, Shambhugarh	2,000/-
55.	Water Tank, Sanganer	5,000/-
56.	Veterinary Dis. & School, Baroda	6,000/-
57.	Dharamtalai Repairs, Gadarmala	2,000/-

Page No 112

1	2	3
58.	School Building, Mahuwa	3,000/-
59.	Hospital Building, Mahuwa	2,500/-
60.	School Building, Dantal	1,000/-
61.	Panchayat Building, Kotla	3,000/-
62.	School Building, Rupheli	1,000/-
63.	,, Tokarvad	2,000/-
		82,800/-
		65,700/-
	GRAND TOTAL ..	1,48,500/-

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न जो सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

1. (44/C. M.) MaharajaShri Keshir, Shi. M. L. A.(Div. No, 75) Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) What are ancient monuments and archaeological sites and remains now under the protection of the Rajasthan Government ?

(b) What is the total sum spent on the preservation and maintenance of these monuments ect., during each of the last six years ?

(c) Are there any other such monuments, sites or remains proposed to be taken under the protection of the Govt. in future? If so, what are they ?

उत्तर

(क)
(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इनकी तालिकाएं सदन की मेज पर रख दी
(ग) गई हैं ।

परिशिष्ट

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY & MUSEUM, RAJASTHAN.

List of Ancient Monuments & Sites declared protected

under Section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

JAIPUR CIRCLE.

S. No.	Name of Monument on Site	Place
	DISTRICT JAIPUR	
1.	Yajnashala Column on Varadrajjiki-Dungri	Jaipur
2.	Chhatris on Station Road behind Mr. B. L. Dhama's house	,,
3.	Astronomical Observatory	,,
4.	Dilaram Bagh	Amber
5.	City Wall (Amber Town)	,,
6.	Kund of Panna Mian	,,
7.	Sarai Panna Mian	,,
8.	Chhatris of past rulers of Amber-Jaipur	,,
9.	Amber Palaces and fort	,,
10.	Mandir Ram Keshwarji	,,
11.	Dargah Ghari Bullah Shah	,,
12.	Rajawatan palaces	,,
13.	Buildings of No-Lakha Gardens	,,
14.	Buildings of Khalsa Gardens.	,,
15.	Mandir Harshnath Bhairon	
16.	Mandir Narsinghji	,,
17.	Bala Bai-ki-Sal	,
18.	Mandir Batak Bhaironji	,,
19.	Sarai Aidyan	
20.	Durgah of M una Bib i	,,
21.	Mahals of Hadi Rani ji	,,

परिशिष्ट

1	2	3
22	Tomb of Momin Salzadi	Amber
23.	Mahal & Gardens of Rai Badaran	,,
24.	Garden of Kuujgali Badaran	,,
25.	Caitoré Chhatris, Brahmpuri	,,
26.	Dargah of Bajazed pir	,,
27.	Fort	Jamwaramgarh
28.	Small Ancient Temple near Mata's temple	,,
	DISTRICT DAUSA	
29.	Brick Temple infront of School Building	Dausa
30.	Fort	,,
31.	Bhaumyaji's Palace & Ancient ruins around it	,,
32.	Banjaron-ki-Chhatri No. 2	Lalsote
33.	Tomb-stone of some European Gentlemen near the Dak Bangalow	,,
34.	Hans Mahal (Moghul Sarai)	Bugla-Jatwara
	DISTRICT SAMBHAR	
35.	Rajaji ka-Mahal	Moazamabad
36.	Rajaji-ka-kua	,,
37.	Marble Cenotaph of Rani Kankavatiji of Maharaja Mansingh I	,,
38.	Temple of Mahadevji	,,
39.	Mansagar Ghat	,,
40.	Tripolia Gate	Naraina
41.	Bhojrajji-ki-Chhatri	,,
42.	Jame-i-Masiid	,,
43.	Fort	,,

परिशिष्ट

DISTRICT TORAWATI-JHUNJHUNU

1	2	3
44.	Brick Temple at the Foot of Bhimji-ki-Dungri	Bairat
45.	Asokan Rock Edict at the foot of Bhimji-ki-Dungri	"
46.	Swetambra Jaina Temple in the town	"
47.	Ancient Mount near pilani	Narhad
	DISTRIGT MALPURA	
48.	Hadi Rani-ka-Mahal	Todaraisingh
49.	Sri Ralyanji's Temple	Diggi
	DISTRICT GANGAPUR	
50.	Ancient Pillared Hall at Jagar	Hindaun
51.	Horse Statue near Banega	Wazirpur
	DISTRICT ALWAR	
52.	Chhatri of Moosi Maharaniji	Alwar
53.	Fateh Jung Burj near Rly Station	"
	JODHPUR CIRCLE	
	DISTRICT JODHPUR	
54.	Jaswant Memorial (Deokund Thara)	Jodhpur
55.	Buildings & Gardens at Sursagar	"
56.	Fort	"
57.	Heroes Hall	Mandore
58.	Cenotaphs	"
59.	Cenotaphs of Ranis at Panchkund	"
60.	Sachia Mata Temple	Osian
61.	Surya Temple	"
62.	Harihar Temple	"
63.	Vishnu Tample	"
64.	Shiv Temple	"
65.	Pipla Devi Temple	"
66.	Vishnu Sheshasai Temple	"

DISTRICT NAGAUR

1	2	3
67.	Rao Amarsingh's Chhatri	Nagaur
68.	Mosque at Gindani Tank	"
69.	Mosque at Shams Tank	"
70.	Dargah of Tarkin	"
71.	Appaji-ki-Chhatri	"
72.	Fort	"
73.	Shiv Temple	Pih Thanwla

DISTRICT BARMER

74.	Temples	Kiradu
75.	Fort	Jalore
76.	Top Khana	"
77.	Baradari	Sadri

DISTRICT MERTA

78.	Badshahi Mosque	Metra
79.	Malkot Fortress	"

५५०
४–८६२

परिशिष्ट

LIST OF PROTECTED MONUMENTS IN RAJASTHAN.

JODHPUR

S. No.			Tehsil
1.	Temple.	Arna	Jodhpur
2.	Mata-ki sal & Khaka Deval.	Ghatiyalo	,,
3.	Khokri Mata Temple.	Tinwari.	,,
4.	Siva-Parvati Temple.	Buchkala.	Bilara
5.	Peplad Mata Temple.	Pipar.	,,
6.	Siva Temple.	Bhundanva.	,,
7.	Brahmin Goddess & Jaina Temple.	Phalodi.	Phalodi
8.	Kaiwas Mata Temple.	Kin Saria.	Parbatsar
9.	Hindu Mosque Temple.	Didwana.	Dedwana
10.	Dadhamati Mata Temple.	Goth. Manglod	Nagor
11.	Ancient Site	Khed.	Pachpapra
12.	Ancient Site.	Bhinmal.	Jaswantpura
			do
13.	Siva & Jaina Temples.	Ratanpura.	(Sundha Hill)
14.	Sundha Mata Temple.	Bhirmal.	,,
15.	Siva Statue & Siva Temple.	Ramsin Nadol.	Jalore
16.	Jaina Temple.	Narlai.	,,
17.	Siva Temple.	Bithu.	Pali
18.	Fortress.	Bali.	Bali
19.	Laxmi Narain Temple (Mahavir Temple).	Nana.	,,
20.	Nilkanth Temple.	,,	,,
21.	Taxmi Narain Temple.	,,	,,
22.	Bhatund Ancient Temple.	Bhatund.	,,
23.	Sun Temple.	Kewri.	,,
24.	Siva Temple. (Neelkantha)	Kekind.	,,
25.	Jakal Nata Temple,	Bali.	,,

1	2		3
26.	Somnath Temple (Siva)	Pali.	Pali
27.	Anand Karag Vishnu Temple	Pali.	,,
28.	Varah Temple.	Sadri.	Desuri
29.	Ranpur Surya Temple.	Ranpur.	,,
30.	Ancient Site.	Hathundi (Bijapur).	Bali
31.	Siva Temple.	,,	,,
32.	State well or Baori.	Sewri	,,
33.	Temple of Amba Mata.	Ghanarad.	Desuri
34.	Mahavir Temple & Laxminath Temple.	Ghanerao.	,,
	BIKANER		
35.	Dev Kund.	Bikaner.	Bikaner
36.	Cenotaphs of Rulers.	,,	,,
37.	Eighteen Armed Images.	Nagalchiji.	,,
	SIROHI STATE		
38.	Vishnu Temple.	(Ur) Or.	Sirohi
39.	Parsvanath Jain Temple.	,,	,,
40.	Vithalji's Temple.	,,	,,
41.	Sedheshwara Temple.	Datani.	Reoder
42.	Surya & Parsvanath Temple.	Nitora.	Pindwara
43.	Sambhunath & Parasrami Temples.	Kojra.	,,
44.	Mahavirji's Temple.	Bamanvarji.	,,
45.	Temple ruins & Sculptures.	Hathal-Hathaladi.	Reodar
46.	Inscriptions.	Dhandapur	,,
47.	Temple ruins.	Udrat.	,,
48.	Temple Ruins.	Jolpur.	,,
49.	Jaina Temple.	Jeraval.	,,
50.	Siva Temple.	Verman.	,,

UDAIPUR

1	2		3
51.	Ancient Ruins and Fort	Rani Mallia.	Lasadia
52.	Ancient Ruins,	Javar	Girwa
53.	Rishabhadesji's Temple.	Dhulev.	Kherwara
54.	Moti Magri Palace.	Udaipur.	Girwa
55.	Vishnu Temple.	Eklingri.	Nathdwara.
56.	Bundh Nockowki.	Kan Karauli. Khamnor	Rajsamad
57.	Temple of Lakilisa.	Eklingji.	Nathdwara.
58.	Ancient Site.	Bansi.	Lasadia
59.	Ancient Site (magri) Ayad (near Udaipur City).	Ahad-Udaipur.	Girwa

DUNGARPUR & BANSWARA

60.	Jain Temple,	Sagwara.	
61.	Ancient Ruins.	Varriat.	
62.	Ancient Ruins.	Mjhara	
63.	Jain Temples	Upergaon	
64,	Memorial Scripts,	Devla	
65.	Battle field	Velpan	
66.	Autri Jain Temple of Shantinath.	Autri	
67.	Vijyamata-ka-Temple.	Madpur	
68.	Brahma, Vishnu & Mahadeva Temple.	Baneswara	
69.	Temple.	Boresawara	
70.	Temple.	Gamdi	
71.	Tank.	Punpur	
72.	Jaina Temple	Aspur	
73.	Temple & Fort	Gilya Kot	
74.	Bhuwareshwata Temple	Naroli	

1	2		3
75.	Nil Kanth Temple	Hathod	
76.	Sidhnath Mahadeo Temple	Jhakarda	
77.	Shiva Temple	Devki Gamdi	
78.	Vai hnav Temple	Dungarpur	
79.	Nawa Dera Temple.	Nava Dera	
80.	Old Temples.	Surpur	
JHALAWAR.			
81.	Temple ol Padmanathji	Jhalrapatan.	Jhalrapatan
82.	Shankhadharee Ancient site	,,	,,
83.	Siva Temple.	Kalamandi Kalash	,,
84.	Pepa ji-ka-Bagh Temple	Manpura (Jhalawar)	,,
85,	Old Naseyaenji Jaina Temple	Jhalrapatan	,,
86.	Shiv Temple	Pachpahar	Pachpahar
87.	Ancient Site.	Kotda Village	,,
88.	Temples.	Sarod	,,
89.	Temple of Annapurna Mataji	Msroli	,,
90.	Kaya Verneswar (Shivaji's Temple)	Kiyasra	Dag
91.	Sri Nageswar Temple	Unhel Gangadhar	Gangadhar
JAIPUR.			
92.	Nahargarh Fort	Jaipur	Jaipur
93.	Hawa Mahal	,,	,,
94,	Jain Temple & Baori.	Sanganer	,,
95.	Pillar & Siva Lingam in Deswalon-ki-Masque	Chatsu	,,
96.	Lakshmi Narainji's Temple	,,	,,
97.	Gurgali Beg-ki-Chhatri	,,	,,
98.	Siva Dungri Monuments	,,	,,

परिशिष्ट

1	2		8
99	Step Well Baori	Chastu	Jaipur
100.	Chaturbhujji-ka-Mandir	"	"
101.	Fort	Khandar	Sawai Madhopur
102.	Bara Khamba Mosque	Hindaun	Gangapur
103	Bara Khamba Tomb	"	"
104.	Rasul Shah Gumaz & mosque	"	"
105.	Sanduki Fort	Mahwa	"
106.	Lakshmi Narainji's Temple,	Nagar (Uniara)	Malpura
107.	Monolithic Pillar	Achukra	"
108.	Temple & Mosque	Mandoli	"
109.	Samadhi of Sri Daduji	Fatehpur	Jhunjhunu
110.	Jaina Temple	Ghata [Tudyana]	"
111.	Palaces	Paota	"
112.	Pucca Minara of Prince Saleem	Santha	"
ALWAR.			
113.	Tomb of Khanjada & Ancient Site.	Bhangarh	Bhangarh
114.	Fort.	Tijara	Tijara
DHOLPUR			
115,	Fort & Palaces	Rajgarh	Rajgarh
116.	Bhartribartari Caves	Bhartrihari	"
127.	Old Temple	Kotra	Dholpur.
118.	Much Kund	Dholpur	do
119,	Tomb of Raja Dhonpal	do	do
120.	Tomb of Zarzarina	do	do
KARAULI.			
121.	Fort	Timangarh	Karauli
122.	Fort.	Utgir	Sapotra
123.	Fort	Mandrel	Mandrel
124.	Fort	Sapotra	Sapotra
125.	Fort	Naroli	do

1	2	3	4
KISHANGARH.			
127.	Fort.	Gothiana	Arain
128.	Tower	Sandolia	do
129.	Kalyan Raiji's Temple.	Arain	do
130.	Burj	do	do
131.	Fort Palace	Dasuk	do
132.	Fort & Chhatri	Jheerota	do
133.	Chhatris	Bhomolava	do
134.	Murblay Cenotaph	Roopnagarh	Roopnagarh
KOTAH.			
135.	Ancient Site & Statues	Shahabad	Shahabad
136.	Bhand Deoria Shiva Temple	Ramgarh	Kishanganj
137.	Fort	do	do
138.	Old Temples	Bhimgarh	Chhipabarod
139.	Temples old	Bicholas	Atru

५९८
२
६४८८

परिशिष्ट

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

Department of Archaeology & Museums, Rajasthan, Jaipur.
Statement showing the amount of expenditure on the Preservation of Ancient Monuments in Rajasthan.

Year.	Total Amount Spent.		
1950-51 1951-52	Works on Monuments declared as of National Importance carried out on Agency basis and expenditure re-imbursed by the Government of India.		
1952-53	—	--	Rs. 9,898/15/9
1953-54	--	--	Rs. 10.292/ 4 /3
1954-55	---	---	Rs. 14,235/15/--
1955-56	---	---	Rs. 17,287/15/6

परिशिष्ट

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY & MUSEUMS, RAJASTHAN.

List of Ancient Monuments in Rajasthan to be declared Protected-Circlewise.

S. N.	Name of Monument.	Locality	Tahsil or District.
	JAIPUR CIRCLE (1) Alwar.		
1.	Tripolia	Alwar	Alwar
2.	Nikumbha-ka-Mahal	,,	,,
3.	Salim Sagar	,,	,,
4.	Mela Baori	Macheri	Rajgarh
5.	Naugaja Jain Images	Rajgarh	,,
6.	Temple of Someshwarji	Bhangarh	,,
7.	Mohammed Kulis	,,	,,
8.	Chhayri of Sindhya	Sewia	Thanagazi
9.	Narainji's Temple	Thanagazi	,,
10.	Fort	Pertapgarh	,,
11.	Old Palaces & Temple in ruins	Kool	Bansur
12.	Fort	Lachmangarh	Lachmangarh.
13.	Gumbad Bhartariharíji	Tijara	Tijara
14.	Raja Susrmajit's Palaces	Saretha	,,
15.	Fort	Kishangarh	Kiahangarh
	(2) Bharatpur.		
16.	Old Temple	Katara	Kama.
17.	Palaces	Kama	,,
18.	Chhatri of Holkar	Gangarsoli	Kumher
19.	Chhattas (Old Palaces)	Deeg	Deeg
20.	Old Palaces & Fort	Kumher	Kumher
21.	Narki Burj	Gopalgarh	Bharatpur
22.	Kaley Khan-ka-Maqbara	Bayana	Bayna
23.	Barah Khamba Mosque	,,	,,

परिशिष्ट

1	2	3	4
24.	Chhatris on way to Fort	Bayana	,,
25.	Fort & Palaces	Weir	Weir
26.	Bahare Dari	,,	,,
27.	Shahab Khan's Tomb	Pahari	Pahari
28.	Fortress	Deeg	Deeg
29.	Lal Mahal Palaces	Roopbas	Roopbas
	(3) Dholpur		
30.	Tomb Maharjia (High School Bldg).	Dholpur	Dholpur
31.	Shergarh Fort	,,	,,
32.	Old Temple	Tantpur	Tantpur
	(4) Jaipur.		
33.	Tomb Ranaji	Baswa	Baswa
34.	Dargah Sakhrarji	,,	,,
35.	Dargah Dupala	,,	,,
36.	Jahaz Rampura	,,	,,
37.	Ancient Monuments	Chikana	Nawai
38.	Anceint Site	Andhi	Jamwaramgarh
39.	Lakshmi Narainji's Temple	Asnavad	,,
40.	Jaina Statutes	Dagota	,,
41.	Old Palaces	Jamwaramgarh	,,
45.	Old Fort	Gol	Lalsot
43.	Old Relics	Kotari	Khandela
44.	Akbar's miles Stones	Jaipur-Amber	Jaipur
45,	Ancient Site	Dubbi Baderkha	Malarnachor
46.	Keshoraiji-ka-Mandir	Kho	Jaipur
	(5) Karauli		
47.	Fort & Palaces	Karauli	Karauli

1	2	3	4
48.	Madan Mohanji's Temple	Karauli	Karauli
49.	Kela Deviji's Temple	,,	,,
50.	Old Well	Gubrida	,,
		(6) Kishangarh	
51.	Akbar's miles Stone	Kishangarh	Kishangarh
52.	Old Temple Srinathji	,,	,,
53.	Pitamber-ki-Gal	,,	,,
54.	Fort	Roopnagar	Roopnagar
55.	Old Mosque	Karkeri	,,
56.	Chhatri Jawan Singh	,,	,,
57.	Fort	Sarwar	Sarwar
58.	Lakshminathji's Temple	,,	,,
59.	Kaushilya Mata-ka-Mandir	Kuchir	,,
60.	Nimbarkon-ka-Mandir	Salemabad	,,
61.	Gopalji-ka-Mandir	Sampla	,,
62.	Cenotaphs	Akoriya	Arain
63.	Old Mosque	Arain	,,
	JODHPUR CIRCLE	(1) Bikaner.	
64.	Old Well	Nal	
65.	Daduji-ka-Mandir	,,	
66.	Old Palaces	Gajner	
67.	Sankhlon-ka-Qila	Jangloo	
68.	Kesolai	,,	
69.	Mahadeo-ka-Mandir	,,	
70.	Cenotaphs	,,	
71.	Old Chhatris	Bhadala	
72.	Old Chhatris	Ratangarh	Ratangarh

६०० ५८८

परिशिष्ट

1	2		6	4
73.	Fort		Churu	Churu
74.	Maqabara		,,	,,
75.	Fort		Rajgarh	Rajgarh
76.	Ancient Sites	Chaks	72/1 & 72/2	
77.	Ancient Sites	,,	39/1 & 39/2	
78.	Ancient Sites	,,	40 & 43	
79.	Acnient Sites	,,	11, 15, 21, 77 & 86	
80.	Ancient Sites		Gama-ki-Dhani	
81.	Ancient Sites		Rerh	Anoopgarh
82.	Ancient Sites		Bhagwansar	Suratgarh
83.	Ancient Sites		Karnisar	,,
84.	Ancient Sites		Mamanvali	,,
85.	Ancient Sites		Rampura	,,
86.	Ancient Sites		Amarpura	,,
87.	Ancient Sites		Jetsar	,,
88.	Ancient Sites		Bugian	,,

(2) Jodhpur.

89.	Kapurlingam Temple	Sadri	Desuri
90.	Lakshmi Narain's Temple	,,	,,
91.	Tarachand-ki-Baori	,,	,,
92.	Jain Temple Ruins	Ustran	Desuri
23.	Step Well	Bhatund	,,
94.	Lakshmi Narian's Temple	,,	,,
95.	Ghandarava Raja's Temple	,,	,,
96.	Neelkanth Mahadeo Temple	Nadol	,,
97.	Someswar Temple	,,	,,

परिशिष्ट

1	2	3	4
98.	Padma Prabhu Temple & Ins.I091A.D.	Nadol	Desuri
99,	Kameswara Siva Temple	Anna	,,
100.	Vishnu Temple	Pipar	Bilara
101.	Chand Baori	Badlu	,,
102.	Old Palaces	arsha-ki-Dungri	,,
103.	Old Step Well	Rajlani	,,
104.	Deviji's Temple & Inscr.1303A.D.	Pandu Khan	Merta
105.	Maha Kali Temple	Bhawal	,,
106.	Siva Temple & Inscr. 844 A.D.	Merta	,,
107.	Fort (Kuchaman Road)	Maroth	,,
108.	Vaishnava Temple	,,	,,
109.	Kalyanraiji's Temple & Inscr. 1180A.D.	Pholadi	Phalodi
110.	Ancient Jain Temple & Inscr.	Juna	,,
111,	Old Fort	,,	,,
112.	Old Mosque	Sachor	,,
113,	Siva Temple 12th cent. Inscr.	Saiwara	,
114.	Mataji's Temple & Inscription	Sungha	Jaswantpura
115.	Step Well & Inscr. 1164 A.D.	Banda Dhar	
116.	Pataleswar Temple	Pali	Pali
117.	Siva Temple	Belar	Bali
118.	Sun Temple & Inscr.	Bhamnera	,,
119.	Kathbaji's Temple	Lhas-ka-Gudha	,,
120.	Ancient Step Well	Raipuria	,,
121.	Castle & Temple	Chanode	,,
122.	Old Siva Temple	Sela	,,
123.	Jogmayaji's Temple	Sheo	Sheo
124.	Siva Temple	,,	,,

परिशिष्ट

1	2	3	4
125.	Jogmayaji's Temple with Pillars.	Bisu	Sheo
126.	Old Mosque	Kanasas	,,
127.	Balarakhji's Temple	Barmer	Barmer
128.	Charbhuja Temple	,,	,,
129	Mata-ka-Mandir	,,	,,
13o.	Temple of Kapalsar	Chhotan	,,
131.	Temple Makaraji	Makara	,,
132.	Rani Roopdeviji's Temple	Malazal	,,
133.	Temple of Keradeo	Jana	,,
134.	Kaga Chhatris	Jodhpur	Jodhpur
135.	Ek Minar-ki-Masjid	,,	,,
136.	Minarets (two) over Vdiyasal	,,	,,
137.	Nathji-ka-Mandir	,,	,,
138.	Tumarji-ka-Jhalra	,,	,,
139.	Tapi Baori	,,	,,
140.	Nimbla Kua (Well)	,,	,,
141.	Chand Baori	,,	,,
142.	Talheti-ka-Mahal	,,	,,
143.	Palaces of Maharaja Bhimsingh	Kailana	,,
144.	Palace of Maharaja Takhtasingh	Bijoli	,,
142.	Fort	Junagarh	
146.	Bheroji's Temple	Badli	
147.	Old Octagonal Building	Paldi	
148.	Cave Temple	Rajpura	Desuri
149.	Jaikalnath Mahadeo on Hill	Nadalai	,,
150.	Charbhuja Temple	,,	,,
151.	Siva Temple	Nawali	,,
152.	Ancient Temple	Siva	Didwana

1	2	3	4
153.	Vaishnava Temple	Kolia	Didwana
154.	Old Step Well	Jaitaran	,,
155.	Old Temple of Mahadeo & Vishnu	Bar	,,
156.	Maha Lakshmi Temple	Raipur	,,
157.	Old Step Well	Balunda	,,
158.	Rock Cut Cave Temple	Jalore	Jalore
159.	Jallundarnathji's Temple	Kaniagiri	,,
160.	Kapaleshwar Mahadeo Temple	,,	,,
		(3) Sirohi	
161.	Surya Narainji-ka-Mandir	Basantgarh	Pindwara
162,	Bhuteshwara Mahadeo	,,	,,
163.	Sarteneswar Mahadeo	Aprikheda	,,
164.	Ambaji-ka-Mandir	Arasua	,,
165.	Temple of Morkundeswara Mahadeo	Ajari	,,
166.	Gopeswara Mahadeo	Kalumbari	,,
167.	Jamdagni Mahadeo	Vasa	,,
168.	Rameshwara Mahadeo	Rohera town	,,
169.	Kedarnathji Mahadeo Temple	Nitora	,,
170.	Temple of Sri Deyaniji	Varki Kheda	,,
171.	Sri Anjana Mahadeo	Anjana	Deogarh
172.	Sri Sendamataji-ka-Mandir	Madariya	,,
173.	Sri Sem Mata-ka-Mandir	Kaseri	,,
174.	Sri Madhav Vilas	Deogarh	,,
III.	UDAIPUR CIRCLE	(1) Banswara	
175.	Vaishnavite Temple	Banswara	Banswara
176.	Sitla Mata-ka-Mandir	Uthala	Ballabhnagar
177.	Chhatri Salambarki	,,	,,

1	2	3	4
178.	Temple cf Andaswar	Bagol	Kushalgarh
179.	Temple of Mangleswar	Himmatgarh	,,
180.	Siva & Deviji's Temple	Arthuna	Garhi
181.	Charbhujaji-ka-Mandir	Pipalda	Pipalda
182.	Mataji-Kandari-ka-Mandir	Phusod	,,
	(2) Bundi		
183.	Hans Devi-ka-Mandir	Bundi	Bundi
184.	86 Pillared Cenotaph	,,	,,
185.	Temple of Lakashminathji	,,	,,
186.	Kalyan Nathji's Temple	,,	,,
187.	Cenotaphs of Sarbagh Rulers	,,	,,
188.	Dhaddi Mata-ka-Mandir	,,	,,
189.	Rakt Dantika Temple & Inscn.	Sithoor	Hindoli
190.	Kalyan Raiji-ka-Mandir	Hindoli	,,
191.	Ancient Site	Ajitgarh	,,
192.	Ancient Site	Gamdoli	Patan
	(3) Dungarpur		
193	Old Palaces (Udai Vilas)	Dungarpur	Dungarpur
194.	Dargah Pirbaksh	Galiyakot	Sagwara
195.	Gopeswarji Mahadeo Temple	Sagwara	,,
196.	Siva Temple	Gol	Aspur
197.	Temple Sri Lakshminarainji	Mugada	,,
198.	Hari Temple	Sanwla	,,
199.	Temple Baneswarji	Navatgharh	,,
200.	Siva Temple (Mahadeoji)	Baileshwarji	,,
201.	Sri Lakshminarainji's Temple	Bodigama	,,

1	2	3	4
	(4) Jhalawar		
202.	Rani-ka-Maqbara	Dag	Dag
203.	Dageshwar Mata-ka-Mandir	"	"
204.	Juna Mandir	Jhalrapatan	Jhalrapatan
205.	Sri Dwarkanathji's Temple	"	"
206.	Siladevi-Mata-Ka-Mandir	"	"
207.	Horse Statue	Kandiya	"
208.	Ren Basera (Wooden Palace)	Jhalrapatan	"
	(5) Kotah.		
209.	Mathuradishji's Temple	Kotah	Kotah
210.	Neelkanth Mahadeo Temple	"	"
211.	Siva Temple Ruins	Ravipura	Kanwas
212.	Vaishnavite Temple	Kanwas	"
213.	Fort	Gagraun	"
214.	Khichi-ka-Mahal	"	"
215.	Bagh and Math	Malawala	Sangod
216.	Mitha Sahib-ki-Dargah	Gagraun	Kanwas
217.	Vaishnavite Temple	Khairabad	Chechat
218.	Hinglaji-ki-Mataji	Chechat	"
219.	Fort	"	"
220,	Narsinghji-Ka-than	Takhaji	"
221.	Fort & Palaces	Shahbad	Shahbad
222.	Lakshminarainji's Temple	"	"
223.	Vishnu & Siva Temple	Devari	"
224.	Sheron-ka-Dari Khana	Kundakhoh	"
225.	Tapsi-ki-Bughichi & Cave	"	"

परिशिष्ट

1	2	3	4
226.	Vishnu Temple & Inscr.	Nonera	,,
227,	Fortress	Kelvara	,,
228-	Rakt Dantika-Mandir	Asnawad	Asnawad
229,	Palaces	,,	,,
230.	Three Ruined Temples	Gadgach	,,
231,	Vindhyavasin Temple	Inderagarh	Inderagarh
232.	Vaishnavite Temple 10th cent.	Kunwalji	,,
233.	Bhand Devra	,,	,,
234.	Brahmani Mata ka-Mandir	Sorsan	Anta
235.	Mandir Sri Mahadeoji	Nagda	,,
236.	Old Fort	Paliata	Bhainsrod
237.	Charbhujji-ka-Mandir	Bhainsrod	,,
238.	Mala Devi Temple	Salvan	Digod
239.	Siva Temple	Khijuri (Dablana)	Digod
240.	Ruins of Temple	Choma Maliyan	,,
241.	Chhatri of Bhibishan	Kethun	,,
242.	Ruins of Temple, Baori & Math	,,	,,
243.	Inscriptions	Bhanda Heda	,,
244.	Ancient Mounds-Ruins of Places of Solanki Rajputs.	Charchoma	,,
245.	Chomeshwara Mahdeo Temple	Choma Maliyan	,,
246.	Mahadeo-ka-Mandir	Atraliaya	,,
247.	Sas Bahu-ka-Deora	Sholi	,,
248.	Chhatri Shambhugiri & Inscr.	Toran	,,
249.	Temple of Shri Lakshminathji	Sultanpur	,,
250.	Chhatri with Inscription	,,	,,
251.	Babaji-ki-Samadhi & Inscr.	,,	,,
252,	Kund and Inscription	Satabad	,,

परिशिष्ट

1	2	3	4
253.	Sadhu's Cave & 10th. cent. Inscr.	Gaiparnath	Ladpura
254.	Old Palaces	Nanta	„
255.	Old Fort & Inscription	Itawa	Itawa
256.	Fort & Inscription	Nahargarh	Kishangarh
257.	Samadhi	Khandela	„
258.	Kapil Muni's Ashram & Inscr.	Kapildhara	„
259.	Old Temple & Fortress	Siswali	Mangrol
260.	Old Temp'e	Mangrol	„
261.	Old Temple	Bamori Kalan	Chipa Barod
262.	Vishnu Temple	Mangli	Talerah
263.	Old Temple Bahairava	Atru	Atru
		(6) Partabgarh	
264.	Fort	Partabgarh	Partabgarh
265.	Fort	Junagarh	„
266.	Gotmeswara Temple	Gotmeswara	„
267.	Old Temple	Arnod	„
		(7) Shahpura	
268.	Old Palaces (inside city)	Shahpura	Shahpura
269.	Rani Dwara	„	„
270.	Old Temple	Virdhol	„
271.	Old Temple	Sarori	„
		(8) Udaipur	
272.	Ansient Site	Kalyanpur	Udaipur
273.	Temple of Ambika	Jagat	„
274.	Chhatris of Ram Shah & Salivahan	Khamnor	

६०८

परिशिष्ट

1	2	3	4
275.	Vishnu Temple	Knamnor	Udaipur
276.	Someshwara Mahadeo	Bara Deora	Jahazpur
277.	Gata Rani Mataji-ka.Mandir	Ramgarh	"
278.	Bhuteshwara Mahadho-ka-Mandir	Ghorh	"
179.	Temple of Bedar Mata & Inscr.	Badnor	"
280.	Neel Kanth Mahadeo Temple	Begun	Begun
281.	Old Temple	Banera	Banera
282.	Old Temple	Salumber	Salumber
283.	Jagnia Mata-ka-Mandir	Dharna	Begun
284.	Siva Temple	Menal	"
285.	Ancient Site	"	"
286.	Janya-ka-Mahadeo	Arthuna	"
287.	Temple of Deviji [mataji]	Berath	Bhilwara
288.	Ancient Site	Pur	"
289.	Fort and mint	Bhilwara	"
290.	Temple Charbhujaji	Ameth	Ameth
291.	Fort and Palaces	Mandalgarh	Mandalgarh
292.	Jaleswar-ka-Mandir	"	"
293.	Gupteswhra Mahadeo	"	"
294.	Mundagini'ka-Mandir	Bijolia	"
295.	Shankara-ka-Mandir	Tilasma	"
296.	Shankar-ka-Mandir	Aaner	"
297.	Vishnu Temple & Inscr.	Karia	"
298.	Chhatri and Temple	Haldighati	
299.	Deviji-ka-mandir & Inscr.	Sawai Bhoj	Asind
300.	Mataji-Bankeyraiji	Amesar	"
301.	Sri Deoji's Temple & Inscr.	Barnagar	"
302.	Mataji's Temple	Asind	"
303.	Mataji-ka-Mandir	Nagpura	"

परिशिष्ट

1	2	3	4
304.	Sun Temple	Darauli.Dabok	Udaipur
305.	Chhatri of Maharana Pratap	Chawand	"
306.	Ancient Ruins	"	"
307.	Bharka Deviji-ka-Mandir (old)	Bharka	Sahara.
308.	Two Yupa Inscr.	Nanbsa	"
309.	Mahadeoji's Temple	Jaorah	Kotra
310.	Gatmeswarji's Temple	Arnod	Achhnera.
311.	Narsinghi Mata's Temple	Lalgarh	"
312.	Fortress with remains of Svamedhyangya	Kotri	"
313.	Ruins of Palaces of Hammir	Thanewali Bakshi	"
314.	Padmavati Mata-ka-Mandir	Ninor	"
315.	Devi's Temple & Inscr.	Sewana	"

६९०
४४०२

प्रश्न

२. (६। आर. एम.) रावराजा श्री सरदारसिंह, एम. एल. ए. (१३७)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में जिलावाइज़, तहसीलवाईज़ व गांववाईज़ कितनी भूमि भूदान में प्राप्त हुई ?

(ख) उपरोक्त प्राप्त हुई भूमि में से कितनी काबिले काश्त व कितनी नाकाबिले काश्त है ?

(ग) उसमें से किस कदर भूमि भूमिहीनों को किस आधार पर बांटी गई है ?

(घ) जिला टोंक में तहसीलवाइज़ कितनी भूमि प्राप्त हुई ?

(ङ) तहसील दूणी, जिला टोंक में ऐसी कितनी भूमि प्राप्त हुई थी उसमें सालिम ग्राम कितने आबाद हुए ? उन ग्रामों के क्या नाम हैं ?

(च) अब तक उपरोक्त ग्रामों के स्थान के लिये सरकार ने कितनी धन राशि प्रदान की है ?

(छ) उपरोक्त धन राशि के खर्च करने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

उत्तर

[अनुपलब्ध]

प्रश्न

३. (७। सी. आई. एम.) श्री भैरोंसिंह एम. एल. ए. (१६)—क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) राजस्थान में किस किस स्थान पर कौन कौन अधिकारी सोशियल वेलफेयर, ऑफिसर एसिस्टेंट सोशियल वेलफेयर आफिसर, डिवीजनल सोशियल वेलफेयर ऑफिसर, एसिसटेंट डाईरेक्टर और स्पेशिल ऑफिसर, लेडी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर किस किस तारीख से नियुक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उक्त अधिकारी उपरोक्त नियुक्ति के पूर्व किस किस विभाग में किस किस पद पर नियुक्त थे और क्या वह नियुक्ति पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव हो चुकी थी ?

(ग) उपरोक्त पदों पर डाइरेक्ट एपॉइन्टमेन्ट कितने व्यक्तियों को हुआ है और क्यों और किस तरह ?

(घ) प्रश्न (क) में वर्णित कौन २ अधिकारी बाई प्रमोशन इन पदों पर आये हैं ? प्रमोशन, सिनियोरिटी के आधार पर हुआ है या किन्हीं विशेष गुणों के कारण ? प्रमोशन के बारे में पी. एस. सी. से राय ली गई है या नहीं और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न है ।

(ख) इसकी सूचना इसके साथ संलग्न सूची में अंकित की गई है ।

(ग) सूची में दिये गये अधिकारियों में से श्री पदमचन्द सिंघी और श्रीमती अनुपमा भंडारी की इस विभाग में नियुक्ति सीधी (डाइरेक्ट) हुई है । श्रीमती भंडारी का निर्वाचन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हो गया है । श्री सिंघी का होना बाकी है ।

(घ) श्री शान्तिलाल, राज्य सरकार के आदेशानुसार सोशियल वेलफेयर आफिसर के पद पर अस्थाई प्रमोशन से नियुक्त किये गये हैं । श्री सोहनलाल असिस्टेंट सोशियल वेलफेयर के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य सम्पादन कर रहे हैं । विभाग के विभिन्न कर्मचारियों की सिनियोरिटी अभी निश्चित नहीं की गई है । वर्तमान जो व्यवस्था की गई है वह योग्यता को दृष्टि में रख कर की गई है । क्योंकि इस विभाग का Integration अभी नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में अस्थाई प्रमोशन के लिये राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मति लेना आवश्यक नहीं है ।

सूची अधिकारीगण समाज कल्याण विभाग, राजस्थान

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	वर्तमान नियुक्ति के पूर्व जिस विभाग में थे	वर्तमान पद के पूर्व जिस पद पर थे	क्या वर्तमान पद के पूर्व के पद पर नियुक्ति पी. एस. सी. द्वारा एप्रूव हो चुकी थी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	श्री मूलचन्द पी० कल्ला	समाज कल्याण विभाग	सोशल ओफिसर मील पुनर्वास योजना अरियावाद	नहीं	
२.	श्री कैलाश बहादुर माथुर	नागरिक रसद विभाग	असिस्टेंट कमिश्नर	इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।	
३.	श्री शान्तिलाल गुप्ता	समाज कल्याण विभाग	असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ओफिसर	नहीं	
४.	श्री शम्भुदत्त शर्मा	नागरिक रसद विभाग	असिस्टेंट कमिश्नर	इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।	
५.	श्री तेजसिंह पांड्या	पुनर्वास विभाग	असिस्टेंट रूरल रिहबिलीटेशन ओफिसर	"	
६.	श्री विश्वेन्द्रनाथ	नागरिक रसद विभाग	डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर	"	
७.	श्री सोहनलाल	समाज कल्याण विभाग	ओफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट	नहीं	
८.	श्री उत्सवलाल शर्मा	समाज कल्याण विभाग	सोशल वेलफेयर ओफिसर	नहीं	

१	२	३	४	५	६
९.	श्री नानालाल बोडिया	समाज कल्याण विभाग	सोशल वेलफेयर ऑफिसर	नहीं	
१०.	श्री लाजपतराय वर्मानी	पुनर्वास विभाग	तहसीलदार (पुनर्वास)	इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।	
११.	श्री पदमचन्द सिंघी	समाज कल्याण विभाग	सोशल वेलफेयर ओफिसर	नही	
१२.	श्रीमती अनुपमा भंडारी	प्रथम नियुक्ति इसी विभाग में हुई है ।	,,	इनका निर्वाचन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हो चुका है ।	

सूची तारांकित प्रश्न ७ के उत्तर अनुसार अधिकारी, जो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के आधीन कार्य कर रहे हैं

क्रम संख्या	पद	नाम अधिकारी	तारीख नियुक्ति समाज कल्याण विभाग के आधीन वर्तमान पद पर	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१.	सोशल वेलफेयर ओफिसर	श्री मूलचन्द पी० कल्ला	१२-६-१९५६	
		श्री कैलाशबहादुर माथुर	२२-९-१९५५	
		श्री शान्तिलाल गुप्ता	२६-५-१९५६	
२.	असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ओ०	श्री शंभूदत्त शर्मा	२३-१२-१९५४	
		श्री तेजसिंह पांड्या	१४-१-१९५५	
		श्री विश्वेन्द्रनाथ	१-३-१९५५	
		श्री सोहनलाल	२५-५-१९५६	
३.	असिस्टेंट डाइरेक्टर	श्री उत्सवलाल शर्मा	१९-१-१९५५	
		श्री नानालाल बोर्डिया	२२-९-१९५५	
४.	स्पेशल ओफिसर	श्री लाजपतराय वर्मानी	८-३-१९५६	
		श्री पदमचन्द सिंघी	१२-६-१९५६	
५.	लेडी वेलफेयर ओफिसर	श्रीमती अनुपमा भंडारी	२८-३-१९५५	

प्रश्न

४. (३/यू० एस०) रावत श्री शम्भूसिंह एम० एल० ए० (१३६)--क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) भीलवाड़ा जिले की तहसील करेड़ा और मांडल में सन् १९४९ ई० से किस किस जागीर की आमद तहसील वसूल करके जागीरदार को लौटाती रही ?

(ख) जागीर की वसूली का हिसाब फाइनेन्शियल इयर (वित्तीय वर्ष) से रखा जाता था, अथवा एग्रिकल्चरल इयर (कृषि वर्ष) से रखा जाता था और वो कब से शुरू होकर कब समाप्त होता था ?

(ग) दस हजार से ऊपर की आमद वाले प्रत्येक जागीरदार की प्रत्येक वर्ष में कितनी वसूली हुई और उसमें से प्रत्येक वर्ष में कितनी और कब जागीरदार को लौटाई गई और कितनी तहसील में रख कर किस मद में जमा की गई व कितनी कब किसी अन्य विभाग तथा अन्य व्यक्ति को तहसील से भेजी गई और कितनी किस किस वर्ष की काबिले लौटाये जाने के तहसील में बची हुई है, तथा वह कब तक लौटा दी जायगी ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

५. (४/यू० एस०) महाराजाधिराज श्री अमरसिंह एम० एल० ए० (२)--क्या स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(१) क्या बनेड़ा स्थित अक्षय चिकित्सालय के डाक्टर के रहने का कोई स्थान न होने के कारण चिकित्सार्थियों के रहने के लिये जो कमरे बनाये गये हैं उनमें रहते हैं ? यदि हां तो, क्या सरकार का डाक्टर के लिये अलग मकान बनवाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

परिशिष्ट ५

राजस्थान सहकारी ऋण विधेयक, १६५६ के खण्ड ३ पर हुए विभाजन की सूची

हां पक्ष—५५

क्र० सं०	सदस्य नाम
१.	श्री अमृतलाल यादव
२.	श्री ब्रद्रीप्रसाद गुप्ता
३.	श्री भगवानसिंह तरगी
४.	श्री भैंरवलाल कालाबादल
५.	श्री भवानीसहाय शर्मा
६.	पं० चन्द्रकान्त राव
७.	श्री चुन्नीलाल बिरला
८.	श्री बदीनबन्धु परमार
९.	श्री धर्मचन्द
१०.	श्री धूलजी भाई भावसार
११.	श्री रामनिवास मिर्धा
१२.	श्री घासीराम
१३.	श्री घीसीसिंह कटेला
१४.	श्री जैंसिंह रानावत
१५.	श्री हंसराज आर्य भादरा से
१६.	श्री हरिदेव जोशी
१७.	श्री हरीराम निनामा
१८.	श्री हरीसिंह
१९.	श्री हजारीलाल शर्मा
२०.	श्री द्वारकादास पुरोहित
२१.	श्री जैंचन्द्र मोहिल
२२.	श्री रामरतन कोचर
२३.	श्री कंवरलाल जेलिया
२४.	श्री मोहम्मद अब्दुल हादी
२५.	श्री लादूराम चौधरी
२६.	श्री लालबहादुर
२७.	श्री लक्षमन हीरात
२८.	श्री चांदमल मेहता

क्र० सं०	सदस्य नाम
२९.	श्री माधोलाल (मेहार)
३०.	श्री महादेवप्रसाद बंका
३१.	श्री मन्ना भील
३२.	श्री मनफूलसिह भादू
३३.	श्री मथुरादास
३४.	मौलवी मोहम्मद इब्राहीम
३५.	श्री मोटाराम
३६.	श्री मोतीलाल चौधरी
३७.	श्री नरसिह कछवाहा
३८.	श्री नाथूराम
३९.	श्री प्रभूदयाल
४०.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
४१.	श्री राधाकृष्ण मारू
४२.	श्री रामचन्द्र चौधरी
४३.	श्री रामजीलाल यादव
४४.	श्री रामकरन जोशी
४५.	श्री रामरतन टिक्कीवाल
४६.	श्री रिद्धिचन्द्र पालीवाल
४७.	श्री रोशनलाल शर्मा
४८.	श्री अगदराम
४९.	श्री शाह अलीमुद्दीन अहमद
५०.	महाराज श्री शिवदानसिह
५१.	श्री श्रीदास गोयल
५२.	श्री सोमावाला भील
५३.	श्री तेजमल बापना
५४.	श्री उदयलाल बरदीया
५५.	श्री वीरेन्द्रसिह

ना पत्र—१२

१. लै० क० श्री राजाधिराज अमरसिह
२. श्री भोपालसिह
३. श्री राजा हिम्मतसिह अटरू
४. श्री ईश्वरसिह
५. श्री जगतसिह झाला

Page No 146

क्र० स०	सदस्य का नाम
६.	श्री जसवन्तसिंह सोलंकी
७.	रावत श्री मानसिंह
८.	श्री मुक्तिलाल मोदी
९.	पं० रूपनारायण शास्त्री
१०.	श्री सन्तोषसिंह कछवाहा
११.	रावत श्री शंभुसिंह
१२.	श्री हरिकृष्ण व्यास

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक १५ अक्टूबर, १९५६

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१.	४६५	७	श्री दामीदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
२.	५०१	२	श्री नारारायण चतुर्वेदी	श्री नारायण चतुर्वेदी
३.	५०४	११	श्री दामदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
४.	५०८	अन्तिम पंक्ति	undr stood	under stood
५.	५०६	३	Tim	Time
६.	५०६	६	सफ	साफ
७.	५१८	२४	श्री अमूतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
८.	५३२ व ५३३	२	श्री मानर्ि ह महार	श्री मानसिंह महार
९.	५४२	२	श्री मनसिंह महार	श्री मानसिंह महार
१०.	५४३	२	श्री मुक्तोलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
११.	५४५	१४	पद् से खड़े	पद् को खड़े
१२.	५४५	२१	श्री हरिराम निवास	श्री हरिराम निनामा
१३.	५४७	शीर्ष	बैंक (विधेयक) १९५६	बैंक विधेयक, १९५६
१४.	५५१	,,	बंक	बैंक
१५.	५६१	,,	भ्मि	भूमि
१६.	५७२	,,	भमि	भूमि
१७.	५८५	५	1(44/CM) Maharaja Shri Kesir: Shi M.L.A.	1 (54/CM) Maharaj Shri Keshri Singh, M. L. A.
१८.	५८५ से ६१० पृष्ठ संख्याएं		४८७७ से ४९०२ तक	५८५-६१०